Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३४ वां दिवस [संख्या २७

सोमवार, दिनांक २९ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.१२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, पुनर्वास, आबकारी, वन, पंचायत, राजस्व, समाज कल्याण व सामुदायिक विकास-विभाग]

श्री, उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री भीमसेन ।

हायर सैकन्डरी स्कूल, कस्बा कालू

५९०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के कौन कौन से हायर सैकन्डरी स्कूल को डिग्रेड करने के आदेश देने हेतु सूचना दे दी गई है ?

(२) क्या सरकार कस्बा कालू के हायर सैकन्डरी स्कूल को भी डिग्रेड करने के नोटिस दे रही हैं ?

(३) क्या सरकार पिछड़े हुए इलाकों का ध्यान रखते हुए तथा नागरिकों द्वारा इस वर्ष विशेष प्रयासों के कारण, वहां हुई छात्रवृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त स्कूल को डिग्रेड करने से पूर्व कम से कम २ वर्ष का नागरिक को अवसर देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) अगले सत्र में इनमें से कुछ डिग्रेड किए जाने वाले स्कूलों को वापिस

Page No 2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अपग्रेड करने का मामला सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन : इनमें कालू का नाम है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची में कालू का नाम नहीं है।

श्री भीमसेन : सूची में देख लिया। लेकिन जो विचाराधीन हैं जिनको आप डाउनग्रेड नहीं करना चाहते उसमें कालू का नाम है या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसमें अगर नहीं होगा तो मिला लेंगे।

श्री भीमसेन : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

क्राफ्ट शिक्षक के लिए योग्यता

५६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड क्राफ्ट शिक्षक के लिये मैट्रिक व उस विषय में बोर्ड द्वारा मान्य डिप्लोमा प्राप्त शिक्षक को हायर सैकन्डरी पढ़ाने के लिये योग्य माना जाता है ? यदि हां, तो फिर ऐसे शिक्षकों को ट्रेंड ग्रेज्युएट ग्रेड (सेकिन्ड ग्रेड ११०।२२५) क्यों नहीं दिया जाता है ? क्या यह सही है कि इन्हें १.९.६१ के पहले यह ग्रेड दिया जाता था ? यदि हां, तो फिर अब क्यों बन्द कर दिया गया है ?

(२) क्या इसी प्रकार की योग्यता वाले किसी शिक्षकों को ये ग्रेड दिये जाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) सरकार ने यह परिवर्तन किस आधार पर और क्यों किया ? जबकि ऐसे शिक्षकों से बॉड भरवा कर फुल पे पर ट्रेनिंग पर भेजा गया था ? इसका जिम्मेदार कौन है ?

(४) क्या यह सही है कि आई. टी. आई से सरप्लस स्टाफ को शिक्षा विभाग में उसी ग्रेड (सैकन्ड ग्रेड) पर लिया गया है, जबकि वे उक्त क्वालीफिकेशन भी नहीं रखते ?

(५) क्या यह सही है कि बी. सी. टी. सी. में इसी योग्यता वाले शिक्षकों को १५०-१५-३०० का ग्रेड दिया जा रहा है, जबकि वे बी. ए. नहीं हैं ? फिर हायर सैकन्डरी स्कूलों में पढ़ाने वालों को इस ग्रेड से क्यों वंचित किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : इसका उत्तर संतोषजनक मेरे पास नहीं है। यदि आज्ञा हो तो सप्ताह के अन्दर पर्याप्त रूप से उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

पुरुषार्थी परिवारों की जमीन का मुआवजा

५६२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम हेलक जिला भरतपुर के कुछ पुरुषार्थी परिवारों की जमीन १९६३ में एम्युनिशन डिपो के लिए एक्वायर कर ली गई है? यदि हां, तो कितने परिवारों की और कितनी भूमि एक्वायर की गई है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का मुआवजा पुरुषार्थी किसानों को अभी नहीं दिया गया है, केवल रूंघ हेलक में जमीन अलॉट की गई है, जो कि नौतोड़ करने के लिये पैसा न होने के कारण अभी तक नौतोड़ नहीं हुई है?

(३) क्या यह सही है कि इस जमीन का मुआवजा १६०) रु० बीघा तय किया गया है और इसी आधार पर दूसरे लोगों को मुआवजा दिया गया है?

(४) क्या यह सही है कि छोटे गूजर को, जिसके पास भी कस्टोडियन विभाग की जमीन थी, मुआवजा जमीन उक्त दर से अदा कर दिया गया है?

(५) क्या यह सही है कि उक्त पुरुषार्थी परिवारों की जमीन का मुआवजा नियत होकर केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा कर दिया गया है और वह तहसील भरतपुर में जमा है?

(६) क्या यह सही है कि कलेक्टर भरतपुर ने इस ज़मीन का मुआवजा कस्टोडियन विभाग को देने का आदेश दिया है?

(७) क्या यह सही है कि उक्त पुरुषार्थी परिवार नॉन क्लेमेंट पुरुषार्थी हैं और ऐसे पुरुषार्थियों से कब्जे की सब ज़मीन भारत सरकार ने राज्य सरकार को १ करोड़ रुपये में दे दी है तथा राज्य सरकार ने यह ज़मीन पुरुषार्थी किसानों को पक्के अलॉटमेंट के तौर पर दे दी है?

(८) क्या यह सही है कि उक्त पुरुषार्थी परिवारों ने राज्य सरकार को, मुआवजा देने के लिए गत १६-१-६५ को भी अपना एक प्रतिवेदन दिया है? क्या राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उप-मन्त्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, एम्युनिशन डिपो के लिए २६ परिवारों की २७५ बीघा ५ बिस्वा ज़मीन अवाप्त की गई है।

(२) जी हां। यह पुरुषार्थी परिवार रूंघ हेलक की ज़मीन पर कब्जा लेकर काश्त कर रहे हैं। ऐसी जानकारी इस विभाग के पास नहीं है कि किसी ने जमीन को नौतोड़ नहीं किया हो।

(३) जी हां। एम्युनिशन डिपो में ली गई ज़मीन का मुआवजा ब-लिहाज

(श्री परसराम मदेरणा)

किस्म जमीन दिया गया है। जिसमें १६०) रु० फी बीघा की शरह की जमीन भी है।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी हां।

(८) जी हां। यह प्रतिवेदन राजस्व व विधि विभाग के बीच विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या विचाराधीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : एप्लीकेशन जो १६-१-६५ को दी थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुरुषार्थी परिवारों को उनका मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : उनको मिलना चाहिये या नहीं, इसको लीगली एग्जामिन करना होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डाइरेक्टिव दिया था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया है और लॉ डिपार्टमेंट की मुकम्मिल राय आने पर ही कहा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह सारी जमीन जो नॉन क्लेमेंट्स के पास थी वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान सरकार को ट्रांस्फर कर दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार को ३१-३-६३ को ट्रांस्फर हुई है, लेकिन एक्वीजीशन एवार्ड जो दिया गया था वह १६-३-६३ को दिया गया था। इसलिए राजस्थान सरकार को जो जमीन ट्रांस्फर हुई है वह एक्वीजीशन एवार्ड के बाद हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जितने दूसरे नॉन क्लेमेंट डी. पीज है, उनको एलॉट शुदा जमीन पर खातेदारी हकूक सरकार की ओर से देने का निर्णय किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : खातेदारी हकूक तो जब जमीन की प्राइस पे करेंगे, तब ही मिलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार उन लोगों की जमीन की कीमत उनके मुआवजे में से काट कर उनको मुआवजा देने को तैयार है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि यह प्रश्न लॉ डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है और लॉ डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लॉ डिपार्टमेंट को कौन से पोइन्ट्स रेफर किये गये हैं ? आया यह कि गवर्नमेंट में वेस्ट होने से १५ पहले आर्बीट्रेशन हो चुका यह या यह कि नॉन क्लेमेंट डी. पीज. होने के नाते कीमत देंगे, तब ही खातेदार बन सकेंगे ?

Page No 5

श्री परसराम मदेरणा : यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आज्ञा है। वह फाइल मेरे पास नहीं है। मैंने जो जानकारी की वह यह है कि वे चाहते हैं कि हमको कम्पेन्सेशन मिले। तो कम्पेन्सेशन दिया जाय या नहीं? और एक्वीजीशन ऑफिसर ने जो एवार्ड दिया है वह कस्टोडियन के फेवर में दिया है। तो दोनों प्रश्न चल रहे हैं। जमीन जो १६ तारीख से कस्टोडियन में थी, उस जमीन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक करार हुआ था और उस करार होने के बाद कम्पेन्सेशन स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिये था। दूसरा पोइंट है कि उनको राइट्स एक्रू हुए थे या नहीं; अगर हुए थे तो राजस्थान परमानेन्ट एलॉटमेंट रूल्स के लागू होने के बाद उन पुरुषार्थियों को कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है या नहीं। दोनों पोइंट्स इन्वोल्वड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कस्टोडियन-सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है. उनको इस जमीन का मुआवजा दिया जाय, ऐसा उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है, क्योंकि यह मामला रेफर किया गया है सेन्टर को। वहां से जो चिट्ठी प्राप्त हुई, उसमें यह है कि हमें इसका मुआवजा नहीं चाहिये, वह जमीन राजस्थान सरकार को पूरी ट्रान्सफर हो चुकी है, कम्पेन्सेशन दे दिया गया है राजस्थान गवर्नमेन्ट को। कम्पेन्सेशन कस्टोडियन द्वारा पे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिये विधि विभाग को रेफर करने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अवार्ड दे दिया है, एक्वीजीशन ऑफिसर ने दिया है, न तो चिट्ठी हमारे पास है। तहसील में रकम जमा पड़ी है। लैन्ड कुछ ही दिनों के बाद, १५ दिनों के बाद में ट्रान्सफर होगी, एक्वीजीशन के उनको पॉवर्स होंगे। We have stepped into the shoes of Custodian. यह हमको मिलना चाहिये, परिवारों को मिलना चाहिये। राइट्स खातेदारी के एक्रू हुए नहीं, नोन क्लेमेन्ट डी पी० लैन्ड प्राइज़ को पे नहीं कर देते, राइट्स एक्रू नहीं होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुनर्वास मन्त्री केन्द्र का रेफरेन्स दूं उन्होंने जहाज रानी मन्त्री, श्री राजबहादुर जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि

"Please refer to my D. O. letter No. 1783-B/MR dated the 23rd November, 1964, regarding representation from Shri Moto Singh, Purusharthi Kisan Panchayat, Helka village, District Bharatpur for payment of compensation for the land allotted to certain displaced person families of Helka village, district Bharatpur.

I have looked into this case and find that the agricultural land in possession of the non-claimant displaced persons situated in Alwar and Bharatpur districts had been transferred to the Government of Rajasthan on payment by the Government of a sum of Rupees one crore as the price of the land. The land allotted to 26 non-claimant displaced families (the applicants) is included in

Page No 6

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

the land which stands transferred to the State Government. In view of this fact, the matter relates to the Government of Rajasthan. The petitioners may, therefore, approach the State Government for the payment of compensation."

इसलिये जहां तक यह प्रश्न है, चूंकि इसका अवार्ड १५ दिन पहले हुआ था इसलिये ट्रान्सफर हुआ या नहीं, यह वह लैटर क्लीयर करता है कि that land has been transferred to the State Government.

इसलिए इस प्रश्न पर तो डिपार्टमेंट की राय जानने की जरूरत नहीं है।

जहां तक दूसरा प्रश्न है, गवर्नमेंट की पोजीशन क्लीयर है। जब डी. पीज पेमेन्ट करने को तैयार हैं, अगर न भी किया हो तो करके दे दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि उस पर खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं हुए थे, जमीन का मालिक नहीं था, तो यह पोइन्ट लीगली एग्जामिन कराने का है। उन्होंने रिप्रेजन्टेशन किया है, इसलिए लॉ विभाग की राय के अनुसार किया जाना जरूरी है।

आपका लैटर भी मुझे दे दें।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६४

श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६५

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

कृषि फार्म, पंचायत समिति, मालपरा

५६६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत समिति, मालपुरा, जिला टोंक के पास कोई निजी कृषि फार्म है? यदि हां, तो कब से और अब तक समिति को इससे कितना फायदा हुआ, सालवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस फार्म के किस किस कार्य के लिये सरकार से कर्ज व अनुदान किस किस सन् में कितना कितना मिला? सालवार आंकड़ों की सूची देने की कृपा करें।

(३) गत साल इस फार्म में कितना अनाज रबी व खरीफ फसल में पैदा हुआ?

(४) यह फार्म कितने एकड़ का है?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(श्री परसराम म...णा)

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५६७

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६८

श्री बिरदाराम फुलवारिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६६

श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपयाआगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६००

कुमारी उमा माथुर

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६०१

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

राजस्व मण्डल में विचाराधीन मामले

६०२. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्व मण्डल में किस किस वर्ष के कितने कितने मामले विचाराधीन हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) १ अप्रेल, सन् ६२ से विचाराधीन मामलों में अब तक कुल कितनी कितनी तारीख पेशियां पड़ चुकी हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (१) राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में विचाराधीन मामलों की सूची कृपया तालिका 'अ' पर देखें ।

(२) १ अप्रेल सन् ६२ से ३१ जनवरी, ६५ तक विचाराधीन मामलों में नियत की गई तारीख पेशियों की सूची कृपया तालिका 'ब' पर देखें ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **भैरोंसिंह** : क्या सरकार ने महसूस किया है कि इतनी संख्या में मुकदमे और मुकदमों में लम्बी लम्बी तारीखें और दस बारह तारीखें दिये जाने का मतलब यह है कि रेवेन्यू बोर्ड की सदस्य संख्या कम है और काम ज्यादा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सदस्यों की संख्या का मुकदमों की संख्या से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। जितनी तारीख-पेशियां बदली जाती हैं और जिनके कारण देरी होती है, उनके अलग वजुहात हैं जिन पर बोर्ड के सदस्यों का कन्ट्रोल नहीं है। वे वजूहात पेश होने पर पेशियां बदलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने किस आधार पर मान लिया कि उन वजुहात से बदली जाती हैं जिन पर उनका कन्ट्रोल नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे कारण कई हो सकते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन वजुहात के संकलन को मैं यहां सदन के सामने सुना सकता हूं। मिसाल के तौर पर कभी तलबाना जमा नहीं होता है, तो उसके लिये टाइम मिलता है, कभी बहस के लिये मौका नहीं मिलता, कभी बहस वकीलों के नहीं होने से नहीं होती कभी वकील आपस में मिलकर तारीख बढ़वा लेते हैं, कभी दस-बारह पार्टियां होती हैं उनकी पूरी इत्तलापाई नहीं हो पाती, कभी केस सिंगल से डबल में चला जाता है, फिर नई इत्तलापाई होती है, कभी राजस्थान से बाहर की पार्टी होती है, तो तामील में समय लग जाता है, कभी छुट्टी घोषित हो जाती है। तो ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से पेशियां बदल जाती हैं। तो इन कारणों से यह स्पष्ट है कि मेम्बरों की संख्या कम है, इसलिये काम नहीं निकलता ऐसा नहीं है, बल्कि यह भी मालूम होगा माननीय सदस्य को कि अभी कुछ दिनों पहले हमने इसके प्रोसीजर में भी चेन्ज किया था कि जिससे जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वह कम हो। इस तरह वर्क लोड कम करने की कोशिश भी की थी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६०४

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछने का है। अधिकार तो नहीं है, पर क्या आपकी आज्ञा से पूछ सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

करोली ग्राम के प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में परिवर्तन

६०३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) [महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला परिषद्, उदयपुर ने सन् १९६२–६३ में करोली ग्राम (खमनोर पंचायत) में प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने की सिफारिश की थी, परन्तु उपरोक्त प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में बदल के बजाय ग्राम

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

बिनोल (पंचायत राजसमन्द) प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि राजसमन्द पंचायत समिति क्षेत्र में मोही और फ़रारा मिडल स्कूल्स की बिल्डिग बनाने के लिये तीन तीन हजार रुपया सरकार की तरफ से इस वर्ष दिये गये, जब कि दूसरी जगहों में स्कूल खोलने के लिये सरकार ग्रामवासियों से रकम अग्रिम में मांगती है ?

(३) यदि हां, तो शिक्षा विभाग का राजसमन्द पंचायत पर ही विशेष ध्यान क्यों है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या इससे मैं यह समझूं कि माननीय उप-मन्त्री को अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी नर्स करने का शौक है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नर्स करने का तो शौक है, पर इस आधार पर नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): फिर किस आधार पर है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो केवल वेलीडेट किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

नई माध्यमिक पाठशालाएं खोलने की शर्तें

६०४. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां), [श्री तेजराम गहलोत (सोजत) के द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष राजस्थान में नई माध्यमिक पाठशालाएं कितनी व किस किस स्थान पर खोली गई एवं जनता द्वारा कितना खर्चा जमा करने की शर्त किस आधार पर कब तय की गई ?

(२) सम्बन्धित स्कूलों का उक्त खर्चा कितना व कौन सी तारीख को जमा हुआ ?

(३) स्वीकृत स्कूलों में से कितनी व कौन कौन सी ऐसी स्कूलें हैं जो भवन, बच्चों की संख्या, खर्चा आदि सम्बन्धी समस्त शर्तें पूरी होने के बाद ही चालू की गई हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि ६ जुलाई, १९६४ को स्वीकृत १५ स्कूलों में से पांचवां व पाटोदा स्कूल के लिये २०,०००) रुपया एवं शेष १३ स्कूलों के लिये १३,०००) की शर्तें लगाई गई ? यदि हां, तो केवल इन दो स्कूलों के लिए अधिक धनराशि की शर्त क्या व किस आधार पर लगाई गई ?

Page No 10

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(५) क्या यह भी सही है कि पाटोदा माध्यमिक पाठशाला के लिये बाद में शिक्षा सचिव ने १३ हजार रुपया शर्त लागू कर अन्य आदेश जारी कर दिया ? यदि हां, तो किस आधार पर ऐसा किया गया ?

(६) क्या यह भी सही है कि पांचवां माध्यमिक पाठशाला के साथ अनुचित व पक्षपात पूर्ण सात हजार रुपया अधिक जमा कराने की जो शर्त लगाई गई है, उसके सम्बन्ध में कई प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर भी शिक्षा सचिव ने अपनी हठधर्मी कायम रखी है एवं आज तक कोई उचित व न्याय संगत निर्णय नहीं दिया ? इसके क्या कारण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) इस वर्ष जिन जिन स्थानों पर माध्यमिक शालाएं खोली गई, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जनता द्वारा १३२५०) रुपया तीन साल में तीन किश्तों पर सरकार को जमा कराने की शर्त सरकार की आर्थिक कठिनाई के कारण की गई थी।

(२) इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) किसी न किसी रूप में तमाम स्कूल ही शर्तों की पूर्ति के होने पर चालू किए गए।

(४) जी हां, स्कूल उन्नत करते समय इन स्थानों के कुछ प्रतिनिधि २०,०००) जमा करा स्कूल खुलाने पर विशेष रूप से उत्साही व रजामन्द थे।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दूदूवाला एण्ड कम्पनी से भारत सरकार की बकाया धनराशि की वसूली

६०५ **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या तहसीलदार भीलवाड़ा ने ३ मार्च, सन् ६४ को भीलवाड़ा की एक फर्म दूदूवाला एण्ड कम्पनी को भारत सरकार की २० लाख की बकाया रकम के पेटे कोई किश्तों में उक्त रकम चुकाने की सुविधा प्रदान की है ? यदि हां, तो प्रत्येक माह की किश्त की रकम क्या है ?

(२) उक्त बकाया रकम किस विभाग की वसूली थी ?

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार भीलवाड़ा को उक्त विभाग की तरफ से वसूली का अधिकारी भी नियुक्त किया हुआ है ? यदि हां, तो उनको प्रत्येक माह में कितना अलाउन्स इस कार्य के लिये दिया जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त विभाग ने ३ मार्च, ६४ से पूर्व उक्त तहसीलदार

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

को यह स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि उक्त बकाया रकम की वसूली में किसी भी प्रकार की किश्त की सुविधा नहीं दी जाने को है व सम्बन्धित फर्म की चल व अचल सम्पत्ति को शीघ्रातिशीघ्र कुड़क करके तुरन्त वसूली की जाने को है ?

(५) क्या तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा अनधिकृत कार्यवाही करने पर सम्बन्धित विभाग ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारी पर की गई कार्यवाही का ब्योरा सदन की मेज पर रक्खे ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कितना भव्य उत्तर है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस ३ तारीख को नहीं तो किसी और तारीख को १८ लाख हो या २२ लाख की रकम हो, इस तरह की रकम की कोई इन्स्टालमेंट तहसीलदार, भीलवाड़ा ने ६४ में की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, ३ या किसी अन्य तारीख को २० लाख या कोई और रकम तहसीलदार, भीलवाड़ा ने ऐसी रकम के लिए कोई किश्तबन्दी इस दर्मियान नहीं की ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्कमटैक्स की रकम की वसूली के लिए किसी और अधिकारी को मुकर्रर कर रखा है जो अधिकारी राज्य सरकार की सेवा में है पर इन्कम टैक्स ऑफिस को जिसकी सेवाएं दे रखी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्कमटैक्स की रकम की वसूली करने के लिए भीलवाड़ा में किसी की नियुक्ति नहीं कर रखी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या श्री जे. पी. गर्ग तहसीलदार भीलवाड़ा में थे क्या उन्होंने दूदूवाला एण्ड कम्पनी की बकाया इन्कमटैक्स की रकम की वसूली में किश्तें की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री जे० पी० गर्ग भीलवाड़ा में, मेरी जानकारी के अनुसार तहसीलदार नहीं थे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या दूदूवाला कम्पनी के १८ लाख या २० लाख रुपये की रिकवरी के मामले से सम्बन्धित किसी अधिकारी को राज्य सरकार ने सस्पेन्ड नहीं किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है । इन्कमटैक्स की रिकवरी के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिए सारा जो काम रिकवरी का है, वह टैक्स रिकवरी ऑफिसर अजमेर करता है और जिस जगदीशप्रसाद गर्ग की बात आप कर रहे हैं वह अजमेर में टैक्स रिकवरी ऑफिसर था जो कि ८ जिलों के लिए है जिसमें भीलवाड़ा का भी एक जिला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या उक्त जगदीशप्रसाद, जो कि अजमेर में टैक्स रिकवरी ऑफिसर थे, उन्होंने दूदूवाला कम्पनी के केस में सन् ६४ में कोई इन्स्टालमेंट २० लाख की स्वीकार की थी और की थी तो किस तारीख को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, उन्होंने १८ लाख या इसी के आसपास की रकम की कुछ किश्त रिकवरी ऑफिसर इन्कम टैक्स श्री जगदीशप्रसाद ने की थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितनी रिकवरी की इन्सटालमेन्ट की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५ हजार रुपये मासिक।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस १८ लाख की रिकवरी पर इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का सालाना पेमेन्ट क्या होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फलावट की चीज है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फलावट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या श्री जगदीशप्रसाद को इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने स्पेसिफिकली जिस दिन उन्होंने आदेश दिया, उससे पहले इन्कमटैक्स डिपार्टमेन्ट इस १८ लाख रुपये की जमा नहीं करनी है और आपको उनकी चल और अचल सम्पत्ति को कुर्क करना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्कम-टैक्स ऑफिसर जो कि अजमेर सर्किल का है या असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके द्वारा इस प्रकार की सूचना तहसीलदार को दिया जाना कहा जाता है और तहसीलदार के जो भी रिकवरी ऑफिसर हैं उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि यह सूचना मेरे ऑर्डर के बाद में मिली। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर मेरी राय व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उस तहसीलदार को उसी समय सस्पैन्ड कर दिया था और बोर्ड ऑफ रैवेन्यू उसकी इन्क्वायरी कर रहा है और उसकी चार्जशीट सुनाई जा चुकी है और जल्दी ही इस मामले में निर्णय होने वाला है। इसलिए इस मामले पर मैं अपनी राय अधिक नहीं देना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट ने जब राज्य सरकार को एक बार लिखा तो राज्य सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं है। मैं इसका बैक-ग्राउन्ड और बता दूं। यह जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, यह इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के ही अन्डर में है। हमारा ताल्लुक केवल इसलिए आता है रेवैन्यू

साद लड्ढा)

विभाग का कि इस विभाग से कुछ आदमियों को उन्होंने मांगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर का काम करने के लिए, इसलिए जिसको वे मांगते हैं या जिनको हम भेजते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिये उनको यहां काम करने के लिए, जिसकी तनख्वाह वे देते हैं तो वे उनके अण्डर में रहते हैं। सिर्फ चूंकि वह रेवेन्यू का तहसीलदार रहा हुआ होता है उस सर्विस का आदमी है इसलिए डिसिप्लीनेरी एक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले सकता है और इसीलिए वह एक्शन लिया है। गवर्नमेंट का उस रिकवरी ऑफिसर से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनके जो सस्पेन्शन के ऑर्डर किये हैं वह किस तारीख को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन यह उन्होंने दिये ज्योंही यह जो इन्कम-टैक्स वाले ऑफिसर हैं उनके नोटिस में आया। उसने मूव किया और तत्काल ही उसका सस्पेन्शन कर दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तारीख बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६-१०-६४ को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह ऑर्डर किस दिन दिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौन सा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्स्टालमेन्ट करने का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३-२-६४ को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ८ महीने के बाद तो उसको सस्पेन्ड किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने सस्पेन्ड नहीं किया। हम सस्पेन्शन कब करें जब कि हमको इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट करे। इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगा और उसने मूव किया तब सस्पेण्ड किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस दिन इन्सटालमेंट किये, उसके विद-इन फोर्टनाइट गया कि इसको सस्पेन्ड किया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस प्रकार का कोई मूव नहीं किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मूव किया है, राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राज्य सरकार को चिट्ठी आना मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ज्योंही उन्होंने मूव किया, उसके बाद में उन्होंने उसको सस्पेन्ड कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, १८ लाख जो रिकवरी है, जिसमें

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राज्य सरकार को भी हिस्सा मिलने को है, उस रिकवरी के लिए इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप कोई इन्स्टालमेंट मत कीजिए और महज दूदूवाला की सम्पत्ति कुर्क कर लें, जिसके ५०-६० लाख की असेट्स है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा तहसीलदार जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल सरकार का और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हो, वह १८ लाख रुपये की इन्स्टालमेंट करता है एक महीने की, यानी एक साल में १८ लाख, ८० हजार रुपये आयेंगे और उस पर इन्ट-रेस्ट आने वाले १५ वर्षों में भी रिकवर नहीं होगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मैटर में क्या राज्य सरकार, जो अण्डर के अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोई सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक उनके सुपविजन का सवाल है कि वह किश्त करें या न करें और करने में गलती करें या नहीं, यह सारा मामला इन्क्वायरी के सामने भी है और साथ ही साथ यह सबोर्डीनेशन इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट का है । जब इन्कम-टैक्स डिपार्ट-मेंट के और उनके दर्मियान में इस प्रकार की चर्चा चली और इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट ने यह समझा कि इस ऑफिसर ने बदनियति से काम किया है, तो उन्होंने हमको लिखा [illegible] बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनको सस्पेन्ड कर दिया, जिसकी तत्काल कार्यवाही जल्दी ही होने वाली है । लेकिन जहां तक [illegible] करना नहीं करना, किश्त करना नहीं करना, वह रिकवरी ऑफिसर और इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट दोनों एक ही चीज है । उन्हीं में यह करने की बात है । इसके अन्दर सरकार का सम्बन्ध तो इतना ही आता है कि वह अगर हमसे ऑफिसर ओन डेपुटेशन मांगते हैं तो वह हम देते हैं । अगर नहीं मांगे और अपना ही रिकवरी ऑफिसर अलग से नियुक्त करके ऐसा करें, तो हम कहीं पिक्चर में नहीं आते हैं और हमने इस आदमी को शील्ड करने की कोशिश नहीं की । वह सस्पेन्शन में है और दो-तीन दिन में ही फाइनल आर्ग्युमेन्ट्स हो जायेंगे और फैसला होने वाला है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो-तीन रोज में फैसला होने वाला है, लेकिन ६ महीने हो गए उनको सस्पेन्ड हुए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि फैसला होने में भी देरी इसलिए लगी कि पहले सरफअली को इसके अन्दर इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया, उनका तबादला हो गया । इसके बाद बनैसिहजी को अपोइन्ट किया । राज्य सरकार को इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने में और उनके तबा-दले होने में कुछ समय लगा, लेकिन कुछ दिनों के अन्दर ही कार्यवाही होने वाली है, इसको भी माननीय सदस्य समझें ।

श्री उपाध्यक्ष : इनका प्रश्न तो यह है कि मोर्अत्तिल करने की कार्यवाही क्यों देरी से हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट की सूचना हमारे पास आई

Page No 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तो हमने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करके, उससे एक्सप्लेनेशन लेकर सस्पेन्ड कर दिया क्योंकि हमको भी तो सेटिस्फाई होना पड़ता है।

Income Tax department is one party and the Board of Revenue is to do justice.

तो हमें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करनी पड़ती है। तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में प्राइमाफेसी केस बन गया तो सस्पेन्ड कर दिया और चार्जशीट दे दी और उसका जवाब आ गया, आर्ग्युमेन्ट्स हो गए और अब फाइनल ऑर्डर्स होने हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि आपके इस प्रकार के बेईमान अधिकारी के गलत कार्यवाही के कारण इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको सुझाव रखा है कि हम अपने अधिकारी के मार्फत ही अपनी रिकवरी करेंगे और आपके अधिकारी पर हमारा भरोसा नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह दूसरा प्रश्न हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ लिखा है :

"We don't rely on the officers of the Rajasthan Government."

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ दस्तावेज मांगे, जिससे प्राइमाफेसी केस साबित होता है। उन्होंने स्वयं ने नहीं भेजे और दूसरी जगह भूल से भेज दिये और बाद में यहां भेजे। मैं इस इन्क्वायरी की डिटेल में यहां जाना उचित नहीं समझता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उचित इसलिए नहीं समझते हैं कि रेवेन्यू के उपमन्त्री भीलवाड़ा से आते हैं। उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे वे चीफ मिनिस्टर थे और एक भीलवाड़ा की कम्पनी के १८ लाख की रिकवरी के इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेशों के बावजूद ढिलाई बरती जाये, यह जाहिर करता है कि हमारी सरकार इस कम्पनी को फेवर करना चाहती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : न तो सरकार से सम्बन्धित है और न यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका सम्बन्ध है। और उदयपुर जाते वक्त भीलवाड़ा से रास्ता है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह राठौड़।

गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नागोर का परीक्षाफल

६०६. **श्री गंगासिंह राठौड़** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, नागोर की मार्च, १९६४ की हाई स्कूल की परीक्षा में सब छात्रायें असफल हुईं ? क्या यह सही है कि इसका कारण भवन की कमी व इन्एफीशियेन्ट स्टाफ का होना है ? अगर हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां, लेकिन इसका कारण भवन की कमी व इनएफीशियेन्ट स्टाफ का होना नहीं है ।

श्री गंगासिंह राठौर : क्या इसकी गवर्नमेंट की तरफ से इन्क्वायरी की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका कारण लड़कियों में कुछ प्रखर बुद्धि का अभाव हो सकता है ।

श्री गंगासिंह राठौड़ : यह तो सवाल का जवाब नहीं हो सकता कि सारी की सारी लड़कियां प्रखर बुद्धि की नहीं होने के कारण सारी की सारी फेल हो जायें । ऐसे बेसिक कारण हैं, जिनके आधार पर ये फेल हुई हैं । क्या सरकार इसके कारणों की जानकारी करने की कोशिश करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां । जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है १० अध्यापिकायें हैं, जिनमें बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० एड० और इन्टर हैं । वहां कमरे १७ हैं और जिसमें से ११ कमरे पढ़ने के काम में आ रहे हैं । इसलिए स्टाफ एफीशियेन्ट है, कमरे भी बहुत ज्यादा हैं, फिर भी फेल हो गईं । आप चाहते हैं तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री गंगासिंह राठौड़ : क्या यह सत्य है कि ऑफिसर्स जो वहां पर हैं, उनकी औरतों को पढ़ाने के लिए रख दी गई हैं, जिसके कारण से वे लड़कियों को नहीं पढ़ाती हैं और वहां पर शिक्षा का सुचारुरूप से कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी बात नहीं है । वे पढ़ाने में सजग हैं और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि विद्यार्थी कूढ़ मगज हों तो कितनी मुश्किल होती है । लड़कियों और महिलाओं को सहृदयता से पढ़ाना पड़ता है । ऐसी स्थिति है ।

श्री गंगासिंह राठौड़ : इसके पहले यहां का रिज़ल्ट अच्छा रहा और इस साल सारी की सारी लड़कियां फेल हो जाती हैं, यह अजीब बात मालूम पड़ती है । इसका क्या कारण है ? स्टाफ पढ़ाता नहीं है, न तवज्जोह दी जाती है लड़कियों की तरफ और न सरकार द्वारा उनकी तरफ कोई तवज्जोह दी जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका कारण अभिभावकों की उदासीनता है । हम अभिभावकों को थोड़ा सा सतर्क करने का प्रयास करते हैं और हैडमिस्ट्रेस को भी सतर्क कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादा मेहनत की जाय कि जिससे ऐसी नौबत न आये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): शिक्षा मन्त्री महोदय ने अभिभावकों को ले लिया और लड़कियों को कूढ़ मगज भी कह दिया और इनका कारखाना तो अच्छा चलता है । मैटिरियल ही खराब है, सरकार की जिम्मेदारी की बात नहीं है । मैं अर्ज करूंगा कि स्कूलों का स्तर गिर रहा है । उसके सुधारने के लिए पंजाब की तरह से करना चाहिए कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं देते है तो उनको निकाल देना चाहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुभाव अच्छा है, लेकिन जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध

Page No 17

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है स्तर गिर रहा है वह मैं नहीं मानता। दूसरे स्कूलों में अच्छा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): स्तर का मापदण्ड क्या है?

श्री निरंजनाथ आचार्य: महिलाओं का स्तर कुछ ऐसा है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैंने कूड़ मगज लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: I challenge. आप प्रोसीडिंग देख लें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपने इस्तेमाल किया, लेकिन आपको मेम्बर लोग जानते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या मन्त्री महोदय ऐसा समझते हैं कि सब की सब छात्राओं का फेल होना असाधारण या सामान्य बात है?

श्री निरंजनाथ आचार्य: मैं खुद मानता हूं कि यह घटना असाधारण है और इसका कारण जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया कि मकान की कमी या इन्एफीशियेन्सी स्टाफ की है, यह दोनों तो नहीं है और कोई तीसरा कारण हो सकता है। जिसकी ओर मैंने संकेत भी किया है और उस संकेत के आधार पर ही प्रधान अध्यापिका को इस सम्बन्ध में हमने पूछा है कि आखिर जब सहूलियत सब है तो ऐसा क्यों हुआ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: तो क्या उत्तर मिला प्रधान अध्यापिका से? प्रधान अध्यापिका से जानकारी प्राप्त हुई है तो क्या जानकारी प्राप्त हुई?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अभी जानकारी प्राप्त नहीं की है, वह की जा रही है और जानकारी प्राप्त हो जायेगी। यह मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय सदस्य कि आगे इस सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने कहा कि छात्र और छात्राओं के अध्ययन का प्रश्न अभिभावकों, शिक्षकों और वातावरण पर है। इसलिए इस पर ज्यादा सतर्क, सजग रहने का प्रयास किया जायेगा। इतना ही मैं कह सकता हूं।

श्री गंगासिंह: जो छात्राएं वहां पर पढ़ती हैं, वे पेड़ों के नीचे, बरामदों और धूप में पढ़ती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैंने कहा कि १७ कमरे हैं। उनमें से १० कमरे काम में आते हैं। पर्याप्त स्थान है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: बाकी ७ कमरों का क्या करते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य: वे एड्मिनिस्ट्रेटिव परपजेज के काम आते हैं। कहीं स्टोर में काम आते हैं, कहीं स्टाफ रूम है। इस तरह से है। इनके लिए स्थान पर्याप्त है।

श्री गंगासिंह: जहां पर स्कूल स्थित हैं, क्या वह बिल्डिंग स्कूल के उपयुक्त है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : १२ हजार और एक्स्टेन्ड करने के लिए खर्च करना चाहते हैं।

श्री गंगासिंह : क्या दूसरी बिल्डिंग बनाने का प्रश्न है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसने कहा कि उपयुक्त नहीं है। वर्तमान स्थिति में भी वह उपयुक्त है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या प्रधान अध्यापिका महोदया ने अभिभावकों को कन्याओं या छात्राओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह बताया है कि आपकी यह जो गुपुत्रियां हैं, वे पढ़ने में अच्छी नहीं हैं और उनका दिमाग ठीक नहीं है। इस प्रकार की सूचना अभिभावकों को मिली है। इसको स्पष्ट करना आपका कर्त्तव्य हो जाता है। आपने अभिभावकों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो कृपा करके यह बतायें।

महारवल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय का दिमाग ठीक नहीं लगता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अब्दुल जब्बार : प्रश्न तो मैं बतलाऊंगा कि आम तौर से एज्जुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी यही खराबी है कि अभिभावकों को सूचना नहीं मिलती है।

श्री उपाध्यक्ष : वह पूछना चाहिए आपके नियम हैं। ऐसा सम्भव हो सकता है कि भेजी गई हो।

गम्भीरी बांध की डूब में आई भूमि के किसानों की भूमि का एलॉटमेंट

६०७. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कानपुरा (निम्बाहेड़ा) में गम्भीरी बान्ध की डूब में आई जमीन के किसानों को भूमि एलॉट की गई है ? यदि हां तो उनसे लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कितने वर्षों का लगान बाकी है ? और ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां, इस ग्राम के १५ किसानों को तहसील निम्बाहेड़ा के एक गांव के अन्दर और ८ किसानों को तहसील चित्तौड़गढ़ के एक गांव के अन्दर जमीन के एवज में जमीन एलॉट हुई है। उनसे लगान वसूल हो रहा है तथा किसी का भी लगान बाकी नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह वसूल हो रहा है और बाकी नहीं है, इन दोनों बातों में अन्तर है। आप स्पेसिफिकली कहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगान वसूली कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है। वह हर साल दो बार ड्यू होता है और वह वसूल हो रहा है यही कहा जायेगा। 'बाकी नहीं है, का मतलब यह है कि मैं जवाब देता हूं उस तारीख तक जितना ड्यू हो गया वह वसूल हो चुका है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो जमीनें निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ में मिलना बतलाया

(श्री अब्दुल जब्बार)

गया है, क्या उनका नाम और खाते के नम्बर बता सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाम और खाते के नम्बर इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि इस प्रश्न के पीछे आप क्या जानना चाहते है ? अगर आप यह कहना चाहते हों कि लगान वसूल नहीं हो रहा है और सरकार के नुकसान का ख्याल हो तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि लगान ले रहे हैं और बदले में जमीन देने का प्रश्न था. तो जमीन दे दी है। तीसरी बात आप क्या जानना चाहते है ?

श्री अब्दुलजब्बार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी जमीन एलॉट हुई है, लेकिन वह उनके नाम दर्ज नहीं और किसी से लगान नहीं ले रहे हैं और लगान इकट्ठा हो जायगा और एक साथ उनसे मांगेंगे। यदि उनके नाम जमीन दर्ज नहीं होगी तो उनको कभी भी बेदखल कर दिया जायगा। वहां पर पटवारी आम तौर से इस तरह की हरकतें करते है और किसानों को परेशान करते है और किसान चारों तरफ मारे मारे फिरते है और सुनवाई नहीं होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब जमीन के बदले मे जमीन दी गई है तो वापिस लेने का प्रश्न आता नहीं। लगान ले रहे हैं इसलिये इकट्ठा लगान नहीं जोड़ा जायेगा और फिर एक साथ वसूली की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं आता है। इनके खाते में दर्ज हुई कि नहीं, इसकी जानकारी अभी इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि रेकॉर्ड जिन्स गिरदावरी इन्हीं के नाम से होती है।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह कह रहा हूं कि तहसील में जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हो रही है और लगान उनसे वसूल नहीं हो रहा है। वे बेचारे गर-मुश्तकिल काश्तकार की तरह से मारे मारे फिरते हैं। यहां एक प्रश्न के सिलसिले में मैंने एक लेटर रेफर किया है ५-६ दिन पहले। उस लेटर का आप अवलोकन फरमावेंगे और उनके नाम जमीन दर्ज कर दी जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन दर्ज नहीं हुई होगी, तो दर्ज करवाने की कार्यवाही की जायेगी। लगान उनसे वसूल हो रहा है। यह मैं तहकीक के तौर पर कह सकता हूं।

प्रश्न संख्या ६०८

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६०६

श्री भैरवलाल "कालाबादल"।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है इसको एलाउ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

जोधपुर डिवीजन के अध्यापकों को मैट्रिक ट्रेन्ड ग्रेड

६१०. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) [श्री तेजराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जोधपुर डिविजन के २३ अध्यापकों का १ अप्रेल १९५१ से मैट्रिक ट्रेंड ग्रेड में पदोन्नति करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस प्रश्न को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ बारबार सरकार के समक्ष सन् १९५५ से रिप्रेजेन्टेशन करता रहा है ? अगर हां, तो सरकार ने अब तक अध्यापकों के प्रश्न पर क्या विचार किया है ? अगर नहीं किया, तो क्यों ?

(३) उपरोक्त मामले का फैसला अब सरकार कब तक कर देगी ? निश्चित् अवधि बताने की कृपा करें।

(४) उपरोक्त २३ अध्यापको में से अब तक कितने रिटायर हो चुके हैं और कितने कार्य कर रहे हैं ? रिटायर होने वाले शिक्षकों के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

(५) क्या यह सच है कि उपरोक्त अध्यापकों का हक मार कर कनिष्ठ अध्यापकों को उसी दिनांक से इस ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया था ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां, ये अध्यापिका अपनी युनिट ग्रेड में ४०-२-५०-३-८० में थे जो कि युनिफाइड में ५०—४-७० हो गई तथा रेशनलाइज ५०-४-७०-५-८० हो गई। विचार किया गया था और निर्णय लिया गया कि यदि युनिफाइड में उनका ग्रेड ७० पर खत्म होता है तो उन अध्यापकों को युनिट ग्रेड ले लेना चाहिए था।

(३) मामला शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग के मध्य विचाराधीन है।

(४) एक अध्यापक रिटायर हुआ है जिसका मामला भी बाकी के अध्यापकों के साथ विचाराधीन है।

(५) जी नहीं।

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि प्रश्न के भाग (३) में यह मामला शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के विचाराधीन है। ५१ से यह मामला चल रहा है वह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, पहले कुछ इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त हुई, वह शिक्षकों के मुफीद नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने शिक्षकों का उचित हित समझकर दुबारा इसको वापिस रेफर किया है और मेरा विश्वास है कि फाइनेन्स और हमारे बीच में यह चल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रहा है। आप जितने चिन्तित हैं उतने ही हम भी चिन्तित हैं कि इनको फायदा मिले। इस सम्बन्ध में अधिक प्रश्न नहीं करें तो मदद मिलेगी।

श्री तेजाराम गहलोत : जल्दी कर दीजिये इनकी तकलीफ दूर।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मामला खाली !

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन !

प्रश्न संख्या ६११

श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१२

श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

किसानों को दस साला आधार पर भूमि का एलॉटमेंट

६१३, **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एलॉटमेंट—फार-एग्रीकल्चर पर्पेजेज रूल, १६५७ के अन्तर्गत १० साल के लिये भूमि एलॉट करने का प्रावधान है? अगर हां, तो बीकानेर जिले में ३ वर्ष के लिये भूमि आवंटन की आज्ञा जारी करने के क्या कारण हैं?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि उपरोक्त जिले के किसानों द्वारा १० साला आधार पर भूमि आवंटित किये जाने की मांग चल रही है? अगर हां, तो सरकार उक्त मांग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। चरागाहों के विकास करने तथा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपनाने योग्य फसल नमूनों पर रिपोर्ट देने तथा इस प्रश्न पर विस्तृत जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी और यह निश्चित किया गया था कि कमेटी द्वारा की गई जांच के परिणाम विचाराधीन रहने तक निम्नलिखित जिलों में अनभिवृद्ध सरकारी भूमि का आवंटन केवल ३ वर्ष के लिये ही किया जाय, ताकि इस मामले में यदि इसका निर्णय कर लिया जाय कि ऐसी रेगिस्तानी भूमियां चरागाहों तथा इसी प्रकार के अन्य अभिप्रायों के लिये अधिक उपयुक्त होती हैं, तो ऐसी योजना को प्रभावशाली करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो :

(१) बिलाड़ा तहसील के अतिरिक्त जोधपुर।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) सिवाना तहसील के अतिरिक्त बाड़मेर।

(३) जैसलमेर । (४) बीकानेर । (५) नागौर, (६) चूरू।

(२) ऐसी कोई मांग नहीं की गई है ।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार ने कहा कि ऐसी मांग नहीं की है । मैं समझता हूं कि खुद जिला कांग्रेस की तरफ से ऐसी मांग चली है बीकानेर की तरफ से और मांग पंचायत और पंचायत समिति की तरफ से भी की जा रही है। और आप कह रहे हैं कि मांग नहीं आई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न इस विधान सभा में पहले भी उठाया था और पता नहीं लौट कर यह प्रश्न कैसे आ गया ? मैंने यह उस समय निवेदन किया था और आज भी करना चाहता हूं कि यह कमेटी बनी थी स्टेट लैण्ड यूटीलाइजेशन कमेटी, उसकी रिपोर्ट भी सब्मिट हो गई हैं। उस पर निर्णय लिया जा चुका है और उन निर्णयों के आधार पर सर्वे करने की बात है। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि पाश्चर के डेवलपमेंट के लिए एनीमल हस्बेन्ड्री की तरफ से सुविधा देने के लिए उन्हें डेवलप करना जरूरी है या खेती में इस जमीन को काम में ले। और वहां की जमीन भी इस पर्पज के लिए अच्छी मानी गई है और इस तरह का सुझाव भी है। इसलिए जल्दी फाइनल करके उचित व्यवस्था करेंगे । एलॉटमेंट ऑफ लैण्ड रूल्स सारे के सारे रिवीजन के लिए विचाराधीन हैं। इन नियमों के फाइनल करते वक्त, इस कमेटी ने जो रिकमन्डेशन की है, उन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे, जिससे माननीय सदस्य की भावनाओं को संतोष मिल सकेगा।

श्री भीमसेन : इन पर कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निर्णय जल्दी करना चाहते हैं । समय नहीं बता सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ६०९ नम्बर के सवाल को अलाउ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह होने दीजिये पहले। यह पहले होने दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes, Sir, I have already replied.

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री विरदाराम ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कुमारी उमा माथुर ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : No, I am Sorry ?

श्री गोकुलचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसका जवाब दिलवा दिया जाय । वेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री उपाध्यक्ष : All right.

गायब फाइलें

६०६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-मु०) [श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जयपुर कलेक्टरी से ता० ५ अक्टूबर सन् ६४ की तारीख को पेशी पर फैसला होने वाली रेवेन्यू से सम्बन्धित कितनी फाइलें गायब हो गई ?

(२) जुलाई से अक्टूबर सन् ६४ तक जिन फाइलों का फैसला कलेक्टरी जयपुर से हुआ था, उन फाइलों में से कितनी फाइलें गायब हैं ? इन फाइलों को किसने किस मतलब से गायब किया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कुल ६६ फाइलें गायब हुई हैं ।

(२) कुल १४३ फाइलें गायब हैं । किसने किस मतलब से फाइलें गायब कीं, यह पुलिस की जांच पूरी होने पर ही कहा जा सकता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फाइल गायब है इनकी सूची तैयार करा ली गई है ? जो फाइलें किसी सिलसिले में गायब हैं, उनका जो नम्बर दिया है, उसकी सूची तैयार करा ली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनकी फिर से सूचियां तैयार करा ली गई हैं और कई फाइलों का पुनर्गठन भी कर लिया गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ये फाइलें किस मैटर से सम्बन्धित हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई मैटर्स से सम्बन्धित है। मिसाल के तौर पर एलॉटमेंट होने पर उसकी अपील या रिवीज़न कलेक्टर के यहां हुआ करता है, उसमें की गायब हुई हैं, अपील और रिवीजन सुनने के लिये अधिकार है-उसकी भी हैं फौजदारी के केसेज़ के अन्दर रिवीज़न और अपील सुनने का अधिकार है उसकी भी है रिकवरी के सिलसिले में पी. डी. आर. के सिलसिले में जो फाइलें होती हैं वे भी हैं। इस प्रकार के कई मसले, कई तरह के मामले जो कलेक्टर और ए. डी. एम. के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, म्युनिसिपैलिटी के हैं और दूसरे हैं—ये सभी मिल कर हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मालविया कॉलेज की जमीन के बारे में जो केस है उसकी फाइल भी इसमें इन्क्लूडेड है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां। साहनी के नाम का बार-बार केस आता है, वह भी इसमें इन्क्लूडेड है।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : कितने अर्से में फाइलें गायब हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच तारीख को जो पेशी थी, उस तारीख का जो पुलिन्दा था वह और अन्य मिसलें टेबल पर होना बताया जाता है-वह गायब हुई हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मिसलें गायब हुई हैं या मिसलों के अन्दर जो कागज होते हैं वे भी गायब हुए हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिनमें कागज गायब हुए हों।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाइल समूची की समूची गायब होना पाया जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : साहनी वाली फाइल की बात कही, उसके सम्बन्ध में फाइल गायब होने के बाद क्या कदम सरकार लेना चाहती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके फाइनल डिस्पोज़ल के लिए री-कॉन्स्टीट्यूट होकर फाइल चल रही है कार्यवाही में। फाइनल डिस्पोज़ल के लिए तीस तारीख को अन्तिम पेशी है उस रोज निर्णय हो जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : निर्णय किस बात पर हो जायगा ? किस बात पर निर्णय करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरिट पर ! फाइल री-कॉन्स्टीट्यूट कर दी गई है, री-कन्स्ट्रक्ट कर दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पुलिस की जांच हो रही है. उस प्रिलिमिनरी जांच से यह मालूम हुआ कि ये फाइलें उन्हीं लोगों के द्वारा गायब करवाई गई हैं, जिनका फाइल डिस्पोज ऑफ न होने में इन्ट्रेस्ट था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। जब तक पुलिस की फाइनल रिपोर्ट न आ जाय तब तक नहीं कह सकता कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पी. डी. आर. के कितने केसेज की फाइल है इन ६६ फाइलों में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी. डी. आर. के ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जो रुपया बाकी निकलता है, वह वसूल होगा क्योंकि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से आता है वह दूसरा मिल जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सर्टिफिकेट आ जायगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूं कि पी. डी. आर. का मैंने नाम ले लिया वैसे एक आध फाइल है। वैसे ज्यादातर रेवेन्यू और इसकी फाइलें हैं।

श्री गंगासिंह राठौड़ : पुलिस में मुकदमे दर्ज होने के बाद इस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या जी ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री गंगासिंह राठौड़ : पुलिस में केस दिया गया है, केस दर्ज होने के बाद कोई गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पुलिस में केस दिया गया है, पुलिस इसमें इन्वेस्टीगेशन कर रही है....

श्री गंगासिंह राठौड़ : उसके बाद गिरफ्तारियां हुई या नहीं !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन शायद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समितियों में बी० ए० व एम० ए० पास अध्यापकों की संख्या

५६३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की पंचायत समितियों में कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनकी योग्यता बी० ए० और एम० ए० है ? पंचायत समिति-वार सूची सदन की मेज पर रखी जावे। इन अध्यापकों को कौन'सी वेतन-श्रृंखला दी जा रही है ?

(२) क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को मिडल स्कूलों व हाई स्कूलों में लेने का विचार रखती है ? अगर हां तो कब तक ?

उत्तर

(१) कुल २३२ पंचायत समितियों में से २२५ समितियों में ६३० बी० ए० व० :

(श्री विकास मंत्री)

एम० ए० की योग्यता रखने वाले अध्यापक हैं। शेष ७ पंचायत समितियों की सूचना एकत्रित की जा रही है। ये अध्यापक इस समय या तो ५०—८० की रेशनालाइज्ड पे स्केल्स में या ७५—१६० (तृतीय ग्रेड) में तनख्वाह ले रहे हैं।

(२) जी हां, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये सब कब तक मिडल स्कूल में ले लिए जावेंगे। यह शिक्षण संस्थाओं में स्थान रिक्त होने पर निर्भर है।

चौमूं में शराब का ठेका

५६४. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चौमूं कस्बे के लिये १९६३–६४ का शराब का ठेका किसके नाम किस आधार पर दिया गया?

उत्तर

चौमूं कस्बे के लिये १९६३-६४ को शराब का ठेका लालूखां पुत्र ख्वाजूखां सा० बीकानेर व मांगीलाल पुत्र भूरेखां सा० बीकानेर हर दो व्यक्तियों की साझेदारी में दिया गया था। यह ठेका गारन्टी प्रणाली के आधार पर दिया गया था।

जानवरों की चराई पर रोक

५६५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जगत ग्राम के रेबारियों की सांडें गिरवा तहसील के आस-पास के टेर नामक जंगल में चरती थी लेकिन अब उसके चारों तरफ वन विभाग द्वारा दीवार बना कर रोक कर दी गई है?

(२) क्या यह सही है कि जगत ग्राम के रेबारियों की सांडें अब झामरी नामक जंगल में चरती हैं लेकिन वन विभाग ने उनकी चराई पर रोक लगा दी है जबकि दूसरे गांव जैसे कि बामण की ढाणी वालों को चराने की आज्ञा दे दी है?

(३) क्या सरकार जगत ग्राम के रेबारियों को भी अपने ऊंट चराने की सुविधा प्रदान कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी हां। जगत ग्राम के रेवारियों की सांडें टेर नामक जंगल में चरती थी। और अभी भी चर रही हैं। इस वन खण्ड के सिर्फ ४०० एकड़ रकबे में गत वर्ष चौतरफा कोट रक्षार्थ बनाया गया था। शेष भाग में अभी भी सांडें चरती हैं।

(२) जी नहीं। जगत ग्राम के रेवारियों की सांडे अभी भी झाझरी बी—(२७६४ एकड़) में चरती हैं।

(३) जगत ग्राम के रेवारियों को अपनी सांडे चराने की पर्याप्त सुविधा प्राप्त है।

ग्राम भूंदौली के पटेल

५६७. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(१) क्या नीम-का-थाना तहसील, जिला सीकर में ग्राम भूदोली के पटेलों (नम्बरदारों) को मोअत्तिल किया गया था ? अगर हां, तो कब और किस कारण ?

(२) क्या यह सही है कि भू-राजस्व की ग्राम भूदोली के खातेदारान को छूट दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(३) क्या उक्त छूट के बाबत गबन व भ्रष्टाचार की कोई शिकायत वहां के ग्रामीण या पटेलों द्वारा की गई ?

(४) अगर हां, तो फिर उन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां, ग्राम भूदोली के पटेलों (नम्बरदारों) को दिनांक २०-१-६२ को छूट यानी कमी लगान की जो रकम काश्तकारन को वापिस देनी थी उसके गबन करने के सम्बन्ध में मोअत्तिल किया गया था।

(२) जी हां, दिनांक १०-६-६० को तहसील नीम का थाना से भू-राजस्व की छूट वितरण करने हेतु पटेल देह को २३६५) रु० ४८ न० पै० दिये गये थे।

(३) ग्रामीणों द्वारा इस विषय की शिकायत तहसील नीम का थाना में की गई थी।

(४) शिकायत की जांच उप-जिलाधीश नीम का थाना द्वारा की गयी थी और बाद जांच पुलिस स्टेशन नीम का थाना में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी कि गबन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हस्ब जाब्ता बाद तफतीश नतीजा १७३ जाब्ता फौजदारी पेश किया जावे। इस पर पुलिस से फाइनल रिपोर्ट अदम सुबूत दी जा चुकी है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को योग्यता छात्रवृति

५६८. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम एवं विशिष्ट स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को जिन्हें समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति मिलती है, "योग्यता छात्रवृत्ति" नहीं दी जाती है ?

(२) यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार ऐसे छात्रों को भी योग्यता छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

तहसील आहोर के ग्रामों में चौथोड़ी की दर

५६९. श्री दलपतसिंह (आबू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दलपतसिंह)

(१) क्या यह सही है कि जालोर जिले की तहसील आहोर के ग्राम सराणा, भंवराणी, पांनवा, राखी, नेसरा, आदि में तथा तहसील सिवाना के गांवों में खेतों में पहले कुदरती पानी से गेहूं सेवज पकता था और इस कारण वहां दर बीघोड़ी की लगाई गई थी और अब भी वसूल हो रही है ?

(२) क्या अब भी इन गांवों में पानी पहुंचता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बीघोड़ी में परिवर्तन करने प्रश्न पह विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) तीन साल से वर्षा कम होने से पानी की कमी है।

दो या तीन वर्ष और देखने के बाद यदि हालत इसी प्रकार रही तो परिवर्तन करने पर विचार किया जावेगा।

ग्राम भगेडा की कृषि भूमि पर बरसाती पानी का जमाव

६००. कुमारी उमा माथुर (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम भगेडा, तहसील अलवर में ग्राम की सैंकड़ों बीघा कृषि पर बरसाती पानी अभी तक भरा पड़ा है और इसी कारण उस भूमि पर कोई काश्त नहीं हो सकी है ?

(२) क्या यह सही है कि इस पानी का प्रबंध करने के लिए ग्राम वासियों तथा पंचायत भगेडा ने कई प्रार्थना-पत्र इरिगेशन इन्जीनियर अलवर तथा जिलाधीश अलवर को प्रस्तुत किये किन्तु उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की ?

(३) क्या यह भी सही है कि उसी भूमि की जमा (रेवेन्यू) काश्तकारों से मांगी जा रही है तथा बार २ कलेक्टर अलवर को आवेदन-पत्र देने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। १६५ बीघा भूमि पर पानी भरा हुआ है।

(२) ग्रामवासियों ने प्रार्थना-पत्र सिंचाई विभाग को और एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश अलवर को दिया था। सिंचाई विभाग उस समय कोई कार्यवाही नहीं कर सका। फसल का समय भी निकल चुका था। आगे के लिए लेन्डोवा नाला व डोली का बांध योजना का सर्वेक्षण (Survey) कार्य पूरा हो चुका है तथा जिसके लिये टेन्डर भी मांगे जा चुके हैं। बांध बनने के बाद पानी भरना बंद हो जावेगा।

(३) जी नहीं। जो भूमि दाखिल बांध है तथा गर्की में आ गई है उसकी कोई

(श्री राजस्व मंत्री)

जमा काश्तकारों से वसूल नहीं की जा रही है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यापक दिवस पर व्यय

६०१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ५ सितम्बर को अध्यापक दिवस कितने वर्षों से मनाया जा रहा है ?

(२) तहसीलवार कितना कितना पसा प्रत्येक साल में इस अध्यापक दिवस के नाम से वसूल किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) वसूलशुदा पैसे का उपयोग किस किस प्रकार सालाना किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) वसूलशुदा पैसे में से किन किन अध्यापकों को सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) सन् १९६२ से।

(२) तहसीलवार सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सन् ६२, ६३ व ६४ में जो रकम एकत्रित हुई है वह इस प्रकार है :—

१९६२	–	५९९९६-६६ पैसे
१९६३	–	११४१७-२१ पैसे
१९६४	–	४२३५६-९४ पैसे जिनमें अलवर, जयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, कोटा, और सवाई माधोपुर जिलों की सूचना शामिल नहीं है।

(३) अभी तक कोई भी रकम किसी भी प्रकार व्यय नहीं की गई।

(४) अभी तक किसी भी अध्यापक को सहायता नहीं दी गई। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो कमेटी नियुक्त हुई है उसने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

एस० टी० सी० गर्ल्स स्कूल, अलवर

६०८. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चालू वर्ष में एस० टी० सी. गर्ल्स स्कूल अलवर में कौनसी तारीखों में इन्टरव्यू हुए और उनमें कुल कितनी छात्राएं उपस्थित हुई ? उनमें शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी छात्राएं थीं ?

(२) ट्रेनिंग में कितनी छात्राएं ने ली गई और उनमें शिड्यूल्ड कास्ट व

(श्री गोकुलचन्द)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी ली गई और रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी ली जानी थी ?

(३) क्या यह सही है कि रिजर्व स्थान पर एक भी छात्रा नहीं ली गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं हो सकी थी ?

उत्तर

(१) सन् १९६४ में एस० टी० सी० गर्ल्स स्कूल, अलवर में २३ व २४ जून को इंटरव्यू लिए गए थे। १७८ छात्राएं उपस्थित हुई जिनमें केवल ५ छात्राएं शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज की थी।

(२) १२८ छात्राओं को प्रवेश दिया जिनमें से १०४ नवीन छात्राएं तथा २४ छात्राध्यापिकाएं हैं। इन्टरव्यू में शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स की केवल ५ छात्राएं उपस्थित हुई थी जिनमें से ४ छात्राएं चुन ली गई रिजर्वेशन के हिसाब से १५ छात्राएं ली जा सकती थी जो संख्या उपलब्ध नहीं थी।

(३) यह सही नहीं है। ४ छात्राएं ली गई हैं।

(४) जी हां।

समाज कल्याण विभाग का वार्षिक व्यय

६११. श्री सांवलियाराम (रूपवास) ; क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

समाज कल्याण विभाग का कुल वार्षिक व्यय क्या है और उनमें से कल्याणकारी कार्यों पर कितना व्यय होता है और अन्य पर कितना ?

उत्तर

समाज कल्याण विभाग का सन् १९६३-६४ का व्यय ९८,५६,२४९ रुपयों का है। इसमें से विभिन्न प्रवृत्तियों में ९२,१९,६९८ रुपये और प्रशासन पर ६,३६,५५१ रु० व्यय हुए हैं।

हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने के आधार

(१)६१२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सन् १९६५ में कितने हायर सैकन्डरी स्कूल खोले जा रहे हैं और कहां २ पर व कब कब ?

(२) उपरोक्त स्कूल किस २ आधार पर खोले जा रहे हैं ?

उत्तर

१९६५-६६ के बजट में कोई भी हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति क्षेत्र नवलगढ़ के अपूर्ण कार्य

३८. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती सुमित्रा)

(१) नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में कितने ऐसे कार्य अपूर्ण अवस्था में हैं जिनके लिये धनराशि स्वीकृत किये दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है ?

(२) इन कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं—पर्याप्त धनराशि पंचायत समिति से स्वीकृत न होना अथवा जन सहयोग न मिलना ?

(३) अब इन अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने के बारे में राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ५५ कार्य है।

(२) ६ कार्य फन्ड की कमी के कारण व ४६ कार्य जन-सहयोग प्राप्त न होने के कारण अधूरे हैं।

(३) जिन कार्यों के लिए और धनराशि की आवश्यकता है पंचायत समिति द्वारा दी जावेगी। जन सहयोग की पूर्ति के लिए पंचायत समिति की निजी आय में से सहायता व ऋण देने के लिए निर्देश किये गये है।

सहरियों को भूमि का एलॉटमेंट

३६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या समाज कल्याण मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) पंचायत समिति शाहबाद की खुशालपुरा बस्ती के सहरियों के लिये कितनी भूमि कितने सहरियों को कब अलॉट की गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि को सिंचित करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें कोई अनुदान दिया गया है ? अगर हां, तो कितने सहरियों को कितना २ रुपया कितने २ कुओं के लिये दिया गया ?

(३) क्या कुआ का वास्तविक सत्यापन हो चुका है ? क्या उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति शाहबाद को खुशालपुरा बस्ती के २८ परिवारों को सन् १९६१-६२ में और ६ परिवारों को सन् १९६४-६५ में कुल ४६२।४ भूमि अलॉट की गई।

(२) जी हां। खुशालपुरा बस्ती की भूमि को सिंचित करने के लिये विभाग द्वारा निम्न प्रकार सहायता दी गई—

क्र.स.	परिवार की संख्या जिनको कुओं के लिये सहायता दी गई	कुओं की संख्या	दर	रकम
१	२	३	४	५
			रुपये	रुपये
१.	२९	२९	२५०	७२५०
२.	४५	४५	५००	२२५००
३.	१	१	१५०	१५०
४.	१	१	४४५	४४५
योग:—	७६	७६		३०३४५

Page No 32

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

जी हां। कुओं के लिये कुल ३०,३४५ रुपये की धनराशि स्वीकार की गई थी, जिसमें से २३,३४५ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

कुचामन सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या

४०. **श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कुचामन सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में कुल कितनी अध्यापिकाओं के स्थान हैं ?

(२) क्या उक्त स्कूल को पूरी संख्या में अध्यापिकाएं उपलब्ध हैं ?

उत्तर

(१) कुचामन सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में कुल आठ अध्यापिकाओं के स्थान हैं, जिनका व्यौरा इस प्रकार है—

(१) प्रधानाध्यापिका	१
(२) द्वितीय श्रेणी अध्यापिका	४
(३) तृतीय श्रेणी अध्यापिका	२
(४) व्यायाम अध्यापिका	१

(२) उक्त स्कूल में केवल एक द्वितीय श्रेणी की अध्यापिका का स्थान रिक्त है। इस स्थान की रिक्त पूर्ति विज्ञान अध्यापिका से करनी है।

राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

४१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा दफा १५ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार के इन्तकाल कराने में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(१) यह मामला चल रहा है।

प्राइवेट स्कूलों को सरकारी सहायता एवं अनुदान की धनराशि

४२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) किस किस जिले के किन किन प्राइवेट स्कूलों को प्रति वर्ष कितना कितना रुपया सरकारी सहायता अथवा अनुदान के रूप में दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध सरकार को यह शिकायत मिली है कि प्राइवेट स्कूलों के प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक अपने अध्यापकों को कम वेतन देकर अधिक वेतन की रसीद लिखवाते हैं, ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे किसी स्कूल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

Page No 33

(श्री शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(१) सरकारी सहायता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ऐसी कोई शिकायत मुख्यतया: प्राप्त नहीं हुई है। एक शिकायत श्री अग्रसेन विद्यालय बीकानेर के बारे में प्राप्त हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप ग्रान्ट इन एड रूल्स की धारा ४ (डी) के अनुसार अध्यापकों को चैक द्वारा वेतन भुगतान करने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसी शिकायतों पर संस्था को दी जाने वाली सहायता बन्द करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैतारण तहसील में दर्ज मुकदमों की संख्या

४३. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील जैतारण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा ६१ के अधीन सन् १९६३ व १९६४ में कितने मुकदमे दर्ज किये गये ?

(२) उक्त मुकदमों में से कितने मुकदमे उक्त अर्से में फैसल किये गये ? क्या रैग्यूलेराइज़ेशन के संबंध में राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक १-९-६२ की अनुपालन की गई ? जिनमें इस आज्ञा की अनुपालना नहीं की गई उसका मुख्यतया क्या कारण है ?

(३) उक्त अर्से में कितने कितने मुकदमों में तारीख पेशी तहसीलदार की अनुपस्थिति की वजह से कितनी बार बदली गई ?

उत्तर

(१) तहसील जैतारण में १९६२ व ६३ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के अधीन १३५ व ११३८ मुकदमें दायर हुये।

(२) १९६३ में इस प्रकार के ७६ तथा १९६४ में ९७९ मुकदमो का फैसला किया गया और राज्य आज्ञा बाबत रैग्यूलेराइज़ेशन दिनांक १-९-६२ का पालन किया गया है।

(३) तहसीलदार की अनुपस्थिति के कारण तारीख पेशी बदली गई। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(११.५८ म० पू)

रतनगढ़ (चूरू) में पुलिस की ज्यादतियां सम्बन्धी स्थगन—प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : आज दैनिक समाचार पत्रों में रतनगढ़ के मामले के सम्बन्धित डी. आई. जी., संतराम शर्मा की रिपोर्ट प्रकाशित होने के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के माननीय नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंह तथा अन्य माननीय सदस्य-सर्व श्री भैरोंसिंह, मुरलीधर व्यास, मानिकचन्द सुराणा, एवं योगेन्द्रनाथ हांडा—ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इसके ऊपर विचार किया जाय। अतः मैं इसे

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सरकार द्वारा इस मामले पर प्रकाश डालने के लिए आज या कल एक वक्तव्य देदिया जाय।

(१२ मध्याह्न)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति है वह तो आप बता दीजिये। पूरी रिपोर्ट आप तसल्ली के साथ बाद में दे दें। लेकिन आज जो स्थिति है उसके बारे में तो बतावें कि आया यह रिपोर्ट जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, आया वह गवर्नमेंट ने दी है या समाचार पत्रों ने अपने ही प्रयत्नों से इस गोपनीय फाइल को निकाल कर प्रकाशित किया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): और इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हो जावे कि यह जो रेकॉर्ड में रिपोर्ट है, उस पर गोपनीय छपा है या विपरीत छपा है। जो रिपोर्ट छपी है उसको ट्रस्ट किया जावे या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर बात तो यह है कि जिस रिपोर्ट के लिये सरकार ने कहा कि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है कि इसको सदन को दिया जावे। वह आखिर में प्रकाशित होनी है समाचार-पत्रों में। मैं समाचार-पत्रोंको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): यह बात तो आप स्टेटमेंट देने के बाद में कह सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जो सरकार पब्लिक इन्ट्रेस्ट क्लेम करती है इसको गोपनीय रखने का वही रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित होती है। वह सरकार राज्य करने का अधिकार भी रखती है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इस पर स्टेटमेंट देने का आदेश दिया है। मैं इस पर अपना एक स्टेटमेंट दूंगा, जैसा आपके द्वारा आदेश हुआ है। अभी मैं अखबार को देखूंगा. I can not be cornefed at the floor.

श्री भैरोंसिंह : अभी तक आपने कोई समाचार-पत्र नहीं पढ़ा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मै प्रश्नों की तैयारी करने के लिए समाचार-पत्र को नहीं पढ़ता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय. आपने यह कहा कि यह कोई ऐसे महत्व की बात नहीं है कि जिसके लिए इस हाउस को एडजोर्न किया जावे। मैं ऐसा समझता हूं कि रतनगढ़ के मसले को लेकर जो कार्यवाही हुई उससे आप भी परिचित हैं कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह से सारे सदन ने ध्यान आकर्षित किया है कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जावे और उसके बावजूद भी आपने इसको गोपनीय बताया...

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir......

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा यह निवेदन है कि मुझे इस पर स्टेटमेंट देने का आदेश दिया गया है। मैं इस पर अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं। हमारे रूल्स कहीं इसके लिये प्रोवाइड नहीं करते हैं कि इस तरह से आप बोलें। आप कल भी वही के वही पोइन्ट्स रखेंगे। इसलिये अगर उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स को रिलेक्स करके बोलने के लिये इजाजत देते है तो आज बोला जावे और कल नहीं बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रोविज़न रूल में कहां है ?

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश हो जाने के बाद कि स्टेटमेंट दे दिया जावे; आप बोलें उसके लिये रूल्स में प्रोविज़न नहीं है कि आप बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मेरी बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो ऐडजोर्नमेंट मोशन है आज मंजूर होना चाहिये...

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार को आगाह कर दिया गया है वे तथ्यातथ्य की जानकारी करके यहां पेश करेंगे, उसके बाद में जो भी आपको जानकारी हो वह आप बतावें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट का मामला है और ऐडजोर्नमेन्ट मोशन पब्लिक इन्ट्रेस्ट के मामलों में एलाऊ होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में व्यवस्था दे दी गई है और इसके बारे में सरकार को आदेश दे दिये गये हैं कि अपना भाषण वे दे दें; उसके पश्चात् कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो मुझे बोलने की आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने बताया कि वे स्टेटमेंट देंगे। वे स्टेटमेंट देंगे इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आज की स्थिति में यह प्रश्न राज्य की प्रतिष्ठा का है, सदन की प्रतिष्ठा का है, सारे माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का और प्रेस वालों की प्रतिष्ठा का है, इसलिये यह बता दिया जाए कि क्या यह रिपोर्ट सरकार की ओर से दी गई है या प्रेस वालों ने स्वयं ने छापी है ? इसका तो कुछ उत्तर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में माननीय मन्त्री ने कह दिया है, वे स्टेटमेंट देंगे और स्पष्ट करेंगे; उसके बाद आप जो भी तथ्य होंगे, उस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञा दी है उसका पालन माननीय मन्त्री नहीं कर रहे हैं। किस तरह से नहीं कर रहे हैं ? आपने इसको सीरियस लिया और जब आपने इसको

(श्री भैरोंसिंह)

सीरियस लिया, तभी एडजोर्नमेंट मोशन पर स्टेटमेंट होता है। जब स्टेटमेंट होता है, माननीय मन्त्री कहते हैं कि कल जवाब देंगे या आज जवाब देंगे, यह तय करेंगे।

यह विधान सभा का अपमान किया है।

(घंटी)

मेरी सुन तो लीजिये। यह विधान सभा का अपमान है और इस अपमान का दर्द हमको भी है और आसन को भी है और सही रूप में नहीं तो दिखावे के रूप में उनको भी जो दर्द होना चाहिये, है। मैं यह निवेदन करूंगा कि दो बातें सरकार स्पष्ट कर दे, ताकि लाइन ऑफ ऐक्शन स्पष्ट हो जाए। एक सरकार ने इस रिपोर्ट को अपनी तरफ से पब्लिश करने के लिये प्रेसों को दी है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि आपने मुझे मिस-रिप्रेज़ेन्ट करने का प्रयास किया है। मैं आसन की इतनी प्रतिष्ठा रखता हूं जितनी कि माननीय सदस्य रखते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, इस आसन के प्रति इतना ही वफादार हूं जितना आप और दूसरे सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको इसके लिये धन्यवाद।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी सीरियसनेस या नोनसीरियसनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मुझे यह आदेश दिया गया है स्टेटमेंट देने का, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदेश दिये गये हैं उसको आप भी मानें और मैं भी मानूं। मैं यह समझता हूं कि इसके लिये कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपने जो व्यवस्था दी है वह संतोषजनक है। लेकिन आखिरकार सदन के विपक्षी माननीय सदस्यों को कम से कम एक-दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार को यह अधिकार है कि वह उसका उत्तर दे या न दे। जब दे उसके बारे में विचार करके व्यवस्था कर सकते हैं। आखिरकार हमको भी कुछ अधिकार है। यदि हम इतनी मोटी बात पर प्रेस करके कहें कि इस रिपोर्ट को पब्लिसिटी मिली है उसकी जानकारी करने का, इसमें तो प्रेस का प्रिविलेज, हमारा प्रिविलेज और सदन के प्रिविलेज, का प्रश्न है। आप क्यों इतनी ढिठाई करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप क्या कहना चाहते हैं ?

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पब्लिसिटी मिली है, यह आपके कोऑपरेशन के साथ मिली है या नहीं, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। अगर आप इस बारे में भी नहीं कहना चाहते, तो मैं यह कहूंगा कि यह क्या सरकार है, यह नाजोगी सरकार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह नाजोगी या जोगी सरकार का प्रश्न नहीं है। यहां तो रूल्स को रेस्पेक्ट करने का प्रश्न है। किस तरह से रूल्स को आप रेस्पेक्ट करते हैं, यह मैं कहता हूं कि आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। स्टेटमेंट डिमान्ड करने के बाद कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं प्रेस करता हूं कि आप इसका उत्तर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब तक मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं कर लूं, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मन्त्री महोदय अपनी प्रतिष्ठा, सदन की प्रतिष्ठा और प्रेस की प्रतिष्ठा को सेक्रिफाइस या बलिदान करना चाहते हैं। जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं आ जाता है, तब तक ये जो स्टेटमेन्ट देंगे, उस पर प्रश्न या मुद्दे हम उठा ही नहीं सकते। वे अगर स्पष्ट कह दें, तो और मुद्दे उठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि इस विषय पर व्यवस्था दी जा चुकी है, उसके अनुसार जब सरकार पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध कर लेगी, उस समय वक्तव्य देगी, उसके ऊपर कई प्रश्न उठ सकते हैं, आप कह सकते हैं। अभी सरकार को पूरी जानकारी नहीं है। अधूरी बात यहां पर कह दी जाय तो कई और प्रश्न उठ सकते है इसलिये जब तक सरकार पूरी जानकारी नहीं कर ले, तब तक मैं समझता हूं इस विषय को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने यह बताया कि सरकार को इसमें पूरी जानकारी नहीं है, सरकार ने भी अपरोक्ष रूप से स्वीकार किया कि उसको पूरी जानकारी नहीं है। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया........

श्री निरंजननाथ आचार्य : He cannot refer the press at the stage.

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्रीजी को कम से कम इस बात का तो ज्ञान होना चाहिये कि रूल्स के अनुसार जब एक आदमी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहा है, चर्चा कर रहा है तो दूसरे माननीय सदस्य को कत्तई दखल नहीं करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि इनको इतना मामूली सा ज्ञान भी रूल्स का नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खेद तो आपने प्रकट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : खेद तो प्रकट करेंगे जब तक आपकी यह आदत रहेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have the right to say that......

श्री भैरोंसिंह : आपने, उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दे दी कि सरकार को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, सरकार ने भी अपरोक्ष रूप से कह दिया कि हमें जानकारी नहीं है इसलिये हमें समय दिया जाय। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जब एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया जाता है, तो आध घंटे के

(श्री भैरोंसिंह)

भीतर उसकी एक प्रति सरकार को दी जाती है। जिस समय यह लिया जायगा या नहीं लिया जायगा, एडमिशन होगा या नहीं इसको जानने का एप्रोप्रियेट टाइम होता है क्वेश्चन अवर के बाद आधा घंटे पहले का और एक घंटा क्वेश्चन अवर का इस तरह से डेढ़ घंटा पूर्व सूचना मिली, इसलिये कि सदन जो कुछ कहना चाहे उसके बारे में जानकारी कर ले। अगर चेयर से यह रूलिंग हो जाय कि इस एडजोर्नमेंट मोशन को लिया जायगा तो गवर्नमेंट यह क्लेम नहीं कर सकती कि हमको समय चाहिये। समय का प्रावधान रूल्स में दिया है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is no point of order. This is canvassing the observations of the Chair.

श्री भैरोंसिंह : आप जोर से बोलिये, ऊपर से आवाज निकल जाय, मगर नीचे से मत बोलना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I stand for the parliamentary enquiry, Sir. This amounts to the canvassing the Ruling again.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): There is no question of any enquiry. Opposition has every right to press the Government. We are not questioning the ruling of the Chair. That is acceptable. But we have every right to demand a reply from the Government at this moment.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Enquiry should be instituted against you ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री निरंजननाथ आचार्य : Address the Chair. He should not address directly.

श्री उपाध्यक्ष : Order please! There is already a point of order.

जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है वह व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण का प्रश्न है, इस दृष्टि से वह व्यवस्था का प्रश्न है ही। उन्होंने कहा कि सरकार को इतना समय मिल जाता है, उसमें सरकार को जवाब देने के लिये तैयार रहना चाहिये। सरकार के सामने कई ऐसे कार्य होते हैं, जिनमें समय लग सकता है। जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आवे तो पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न रहता है, इसलिये इस दृष्टि से परम्परानुकूल यह व्यवस्था दी गई है कि सरकार आज अथवा कल जब भी तैयार हो जाय स्टेटमेंट दे दे।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि सदन के सम्मान का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का सम्मान है ही।...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन का सम्मान नहीं, काफी अपमान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : सारी चीजों की वस्तु-स्थिति को देखकर करना पड़ता है। यह तो

(श्री उपाध्यक्ष)

उन्होंने कहा है कि वे वक्तव्य देंगे। इतनी गैर जिम्मेदारी से अधूरा उत्तर नहीं देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे दो दिन तक उत्तर देते रहें लेकिन....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): व्यवस्था का प्रश्न है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप कृपा करके सरकार को ऐसा आदेश देने की व्यवस्था करना उचित नहीं समझेंगे कि सरकार को आज ४ बजे तक उत्तर देना चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यवस्था दी जा चुकी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय का उत्तर लाएतलाली और "beating about the bush" का है; आज उत्तर नहीं देंगे, कल देंगे और कल भी न दें। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आप आदेश देकर बाध्य करें कि वे चार घंटों के भीतर अपना उत्तर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश दे दिया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि आप इस छोटी सी बात को अलाउ कर सकते हैं कि या जो कुछ अखबारों में निकला है, आया वह रिपोर्ट में है या नहीं, इस बारे में हां या नहीं, कुछ तो सरकार की तरफ से कहना चाहिये, आया उसका कोई बेसिस है या नहीं, ऑथोराइज्ड रिपोर्ट है या नहीं, इसकी हां या ना तो कर दें कम से कम, आप इसकी अनुमति तो प्रदान कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Most glaring issue, obvious issue.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस संबन्ध में व्यवस्था दे दी, उस संबन्ध में एतराज़ उठाने का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि मैंने निवेदन किया यह स्थगन-प्रस्ताव क्वेश्चन अवर के बीच जब मैं और प्रश्नों का जवाब दे रहा था तब आया, माननीय सदस्य मेरी कठिनाई को समझ रहे हैं, इस पर भी आपत्ति उठाते जा रहे हैं। अखबार में प्रश्न आ गया उसके बाद मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला कि यह कैसे आया, अखबारी दुनिया है; किस तरह से यह आया, इसकी जानकारी करनी है। आपने जो मेरी कठिनाई पर विचार किया है, उसका मैं आभारी हूं। इस समय मैं कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं अभी कोई उत्तर दे दूं जो फिर चर्चा का विषय बन जाय। जिन अखबारों में...

श्री भैरोंसिंह : आपने इन्फोर्मेशन रिलीज़ की या नहीं, यह बतला दीजिये....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in possession of the floor, Sir.

श्री भैरोंसिंह : इनको बैठाइये ।-

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिये मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं कि आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करना हर माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है, इसलिये मैं इस संबन्ध में स्टेटमेंट माननीय सदस्यों को संतोष कराने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कल प्रस्तुत कर दूंगा। रूल्स ऑफ प्रोसिजर को डेफर करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। मैं रूल्स के अंडर में प्रोटेक्शन आपसे मांगता हूं। आपने मुझे प्रोटेक्शन कई बार रूल्स की कद्र करते हुए दी है। ऐसी स्थिति में आपने जो व्यवस्था दी है उसका पालन किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट के बारे में सदन में बहस हो रही है और मंत्रीजी कहते हैं कि कल जवाब दूंगा, आपने आदेश दिया है कि आज या कल उत्तर दें, मंत्रीजी ने "शीघ्रातिशीघ्र" को कल से क्वालिफाई किया है; हो सकता है कि वे कल उत्तर न दे सकें, कल मंत्रीजी कुछ भी जवाब दें या कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट हमारे अनुरूप नहीं है या खिलाफ है तो उसको वैरिफाइ करने का हमारे पास माप दंड क्या होगा ? चाहे मंत्रीजी कल जवाब दें या न दें, लेकिन श्री संतराम शर्मा की रिपोर्ट हाउस की कस्टडी में आनी चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय के पास आनी चाहिये, ताकि रिपोर्ट में रद्दोबदल करने का जो शक है उसकी संभावना नहीं रहे। पहले वह रिपोर्ट सदन के पज़ेशन में आनी चाहिये, हाउस की टेबल पर आनी चाहिये।....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! इस विषय में माननीय उपमंत्री महोदय ने जानकारी करके वक्तव्य देने को कहा है, संभवतया उन्होंने अखबार न पढ़ा हो, संभवतः जो अखबार में छपा है उसे स्टडी नहीं कर पाये हों, इसलिये व्यवस्था के अनुकूल ही वे चाहते हैं कि कल जवाब दे देंगे। इसलिये उनको इस विषय में बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना करते हुए निवेदन करूंगा कि जब तक तथ्यातथ्य से अवगत नहीं हो जाय तब तक प्रस्तुत आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस रिपोर्ट को आप कम से कम अपनी कस्टडी में ले लें वर्ना वेरीफिकेशन कैसे होगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : This should be placed on the table of the House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल मंत्री महोदय कह देंगे उसका वेरिफिकेशन क्या होगा ?

This report should be taken in the custody of the House. Anything can be done later.

श्री निरंजननाथ आचार्य : There is no point of order in it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This should be placed on the table of the House.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज से ६ दिन पहले रतनगढ़ कांड की चर्चा सदन में हुई थी तो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि इसका एक प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय को जानकारी के लिये दे देता हूं। संभवत: वह दे दिया होगा, यदि नहीं दिया तो यह अपमान है। अगर दे दिया है, तो उपाध्यक्ष महोदय, उसे देख लिया जाय। कहीं सरकार यह बहाना नहीं बना ले कि उस अखबार को रिलीज़ कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट मुख्य मन्त्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय को दे दी है। अब उस रिपोर्ट का लीक होकर छप जाना, इसके लिये यह देखना जरूरी है कि जो रिपोर्ट है वही छपा है या नहीं, जब तक हम यह जांच नहीं करा लें, तब तक इस रेस्पेक्टेबल सदन की फ्लोर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। रिपोर्ट की सेंक्टिटी, रिपोर्ट में तब्दीली नहीं हो जाय, उस सेंक्टिटी को मेंटेन करने के लिये रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय की कस्टडी-में है, तो यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है। अखबार में छप गई, यह प्रिविलेज का प्रश्न है या नहीं, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। वह रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय की कस्टडी में रखी हुई है।

श्री भैरोंसिंह : दो रिपोर्टें हैं; कौनसी छपी है, कौन सी नहीं छपी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और जो रिपोर्ट आपके पास है उसमें फर्क है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यही तो देखना है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह देखना है, तो आध घंटे में देख सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इस समय तक इस स्थिति में नहीं हूं, इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय में आगे जिक्र न करके हम आगे की कार्यवाही लें और श्री भीखाभाई...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस आपको दिया था और इसके सम्बन्ध में, I have to say...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I forgot.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं उस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं, जब पुलिस की डिमाण्ड पर बहस हो रही थी तो रतनगढ़ काण्ड के सम्बन्ध में जो जांच सदन ने करवाई है उसकी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा निवेदन है कि आप प्रश्न उठा रहे हैं; the question has to be taken in the chamber of the Speaker. Th is isnot the property of the House. आपके पास कोई प्रिविलेज मोशन है या नहीं है, these are questions to be discussed in the Chamber of the Hon. Speaker.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This has not been rejected.

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बात करना चाहते हैं तो चेम्बर में कर सकते हैं, यह चेम्बर का क्वेश्चन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We have done it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था निवेदन कर दूं। प्रिविलेज मोशन एड्मिट हो जाय तब सदन में बात की जा सकती है। वह चेअर की डिस्क्रिशन पर रहता है। आपने प्रिविलेज मोशन दिया है, उसी पर आ रहा हूं। शुरू में जो प्रश्न खड़ाहुआ, उस पर व्यवस्था दी गई कि यह वक्तव्य सदन के सामने नहीं आ जाय, तब तक उसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये दोनों सम्बन्धित विषय हैं, इसलिये में तब तक मैं यह निर्णय देने की हैसियत में नहीं हूं कि उस प्रिविलेज मोशन को एडमिट किया जाय या नहीं। जब वह वक्तव्य दे दिया जायगा तब निर्णय दे दिया जायगा कि इसे एडमिट किया जाय या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जब भी सदन में प्रिविलेज मोशन मूव किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि यह सर्टिफाइ किया जाय कि यह प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : The speaker has to be satisfied that it is a privilege motion.

इसके अलावा कोई बात हो तो आप कहें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे कह लेने देते, उसके बाद आप रूलिंग फरमाते तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष : यह रूलिंग नहीं, मैंने संकेत दिया है।

श्री भैरोंसिंह : सब्जेक्ट मैटर तो डिसाइड किया जाने का प्रिविलेज कमेटी पर है, यह काम प्रिविलेज कमेटी का है। रूल्स हैं कि किस किस तरह प्रिविलेज मोशन मूव किया जाय, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इन ऑर्डर है या नहीं, उस ऑर्डर के ऊपर एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन चेअर द्वारा तय किया जाता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है या नहीं, यह तो प्रिविलेज कमेटी तय करेगी। प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है, वह रूल्स के अन्दर है या नहीं, इसका निर्णय चेअर से किया जाता है। तो आप निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष : रूल १५७ है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं पहले कह दूं। मेरा निवेदन है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन पर रूल १५७ में स्पीकर की कन्सेन्ट ली जाती है, १५७ में स्पीकर इजाजत देते हैं, वह १५६ के तहत मोशन अगर एडमिसिबल है तो इजाजत दे दें। १५६ में तीन तथ्यों को देखना होता है, वह यह है :

"(i) not more than one question shall be raised at the same sitting;

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(iii) the matter requires the intervention of the House."

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रिविलेज मोशन में जिसकी सूचना मैंने आपके समक्ष दी है, यह एक किसी घटना से ताल्लुक रखता है....

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं : on a point of order...

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is no point of order, I have to continue.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : Under which rule you are speaking?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Under rule 159.

(व्यवधान)

श्री केसरीसिंह (पाली) : Let him have his say.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am in possession of the floor.

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am in possession of the floor.

श्री उपाध्यक्ष : बाद में कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : इस आसन से कई दफा व्यवस्था हो चुकी है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): What do you want ?

श्री मथुरादास माथुर : I have my point of order.

इस सदन में एक दफा नहीं, कई दफा व्यवस्था हो चुकी है कि कोई मोशन अगर स्पीकर से कन्सल्ट करने के लिये पेंडिंग है तो वह स्पीकर के चेम्बर में जाकर साफ कर लें। वहां साफ होने पर यहां सदन में कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अगर इनकी बात सुन लेते तो क्लीयर हो जाता।

स्पीकर साहब से चेम्बर में बात कर ली गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मन्त्री महोदय की सूचना के लिये बता दूं कि इस मोशन की सूचना मैंने पहले उपाध्यक्ष को दी है और...

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ व्यवस्थाएं दी जाकर ओर सदन की कार्यवाही को आगे न बढ़ने दिया जाय और अगर हम नियमों का कोई पालन नहीं करेंगे...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पालन तो आप नहीं कर रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि चेम्बर में बात कर ली है और आपकी व्यवस्था हो जाय कि इजाजत दी जाय तो जरूर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डिस्कस की जाय, लेकिन आपने अगर बात कर ली और कोई फोर्मेलिटी नहीं हुई तो फिर नियमों के विरुद्ध है। अगर इस तरह से आदी हो जायेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो आदी हैं नियमों को तोड़ने के।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिये; बाकी जबर्दस्ती खड़े होकर चाहे जिस बात को, जिस वक्त भी कहने लग जायं, तो यह सदन की प्रतिष्ठा के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कौनसे नियम के तहत कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप नियमों को नही मान रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ! श्री रामानन्द ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि यह एन्टरटेन किया जा सकता है या नहीं। इसके डिस्पोज़ल का सवाल है। मैं ठहरा हुआ था कि ये अपनी बात कह लें, फिर अपने विचार जो उस पर उचित होंगे वे पेश करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि रूल १५७ को रूल १५६ के साथ रीड किया जाय या नहीं। अब इस विषय में मुझे सोचना है।

(श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, खड़े हुए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Under what provision you are speaking ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि यह मोशन स्पेसिफिक अकरेंस से सम्बन्धित है कि अखबारों में....

श्री उपाध्यक्ष : केवल व्यवस्था का प्रश्न रखें। आपका प्रश्न यह है कि १५७ में आपने प्रिविलेज मोशन उठाया है और इसमें रेफरेंस दे रहे हैं कि १५६, १५७ से कनेक्टेड है, लेकिन subject to such and such; यह सब नहीं है और जब तक यह बात नहीं हो, तब तक कोई रूल दूसरे को कवर करता हो, ऐसी बात नहीं बनती। इसलिए केवल हमें जो ध्यान देना है वह इस पर है कि

"The member may with the consent of the Speaker" इस बारे में कुछ करें and the consent of the Speaker has to be qualified...

स्पीकर उस विषय में पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ या नहीं, प्राइमाफेसी यह चीज बनती है या नहीं और इस विषय में पहले भी यहां पर विशेषाधिकारों के प्रश्नों पर ये रूलिंग्ज़ हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि :

There is no rule which binds the Speaker that it will be taken immediately.

(श्री उपाध्यक्ष)

अब आपका व्यवस्था का प्रश्न है वह ठीक है, लेकिन उसके अन्दर आपको इंगित करना चाहता हूं कि "The consent of the speaker has to be taken.

इसलिए इस समय मैं अपने आपको तैयार नहीं समझता कि प्रिविलेज मोशन को रखने की इजाजत है। इसलिए सदन की परम्परा के अनुसार और शब्दों के अर्थ के अनुसार प्रिविलेज मोशन इस समय रखने की अनुमति नहीं देता। जब वक्तव्य आ जायेगा उसके बाद मोशन लेने न लेने की बात आएगी; इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई बात रह गई है और अब हम आगे की कार्यवाही की तरफ बढ़ें और उसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, आपने जो रूलिंग दी है और आगे उस पर डिसीज़न डिफर किया है वह मुझे शिरोधार्य है। परन्तु आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है व जिस रूलिंग का हवाला दिया है वह केवल यह कहती है कि "there is nothing which can bind the Speaker to take a privilege motion immediately; तो इसलिए मैं इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि वह मोशन इसी समय लिया जाय, लेकिन स्पीकर की पर्मीशन देने के अधिकार रूल १५७ में आर्बीट्रेरी नहीं हैं, इस बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं कि स्पीकर की पॉवर्स १५६ में आर्बीट्रेरी नहीं है, बल्कि रूल १६६ में...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं; that is **wrong.**

श्री रामानन्द अग्रवाल : और अगर एडमिसिबिलिटी किसी भी मोशन की...

श्री उपाध्यक्ष : उस बारे में तो मैं स्पष्टीकरण कर चुका हूं और स्पष्टीकरण करते हुए व्यवस्था दी है। इसलिए अब इस सवाल को रेज़ न किया जाय और we may proceed further.

(१२.३८. म. प.)

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (सह-सदस्यों के मत-दान अधिकार) नियम, १९६५ (सदन की मेज पर रखना)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९, की धारा ७९ (२) के अन्तर्गत, राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद् (सह-सदस्यों के मतदान अधिकार) नियम, १९६५ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विनियोग (सख्या २) विधेयक, १९६५ (विचार-विमर्श)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो एप्रियेशन बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हमारे पास दो दिन का समय है, उसके अनुसार हम समय को अपनी बात के लिए उतना सीमित रखें, ताकि जो सदस्य अधिकांश बोलना चाहें वे अपने अधिकार से महरूम न रह जायं और उनको भी अवसर मिले, इसलिए जहां तक हो सके १५-२० मिनट में अपनी बात को रखें ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो १,६१ कुछ लाखों का एप्रोप्रेशन का खर्चे का सारा प्रावधान इसके अन्दर रखा गया है, इस सिलसिले में जब मैं इसकी गहराई में जाता हूं और सोचता हूं कि हम एक राज्य में एक साल में इतना बड़ा खर्चा राजस्थान की जनता के लिए करते है और वह अपने मूल उद्देश्यों, जो वेलफेयर स्टेट के हैं, जो हम समाजवाद की प्राप्ति के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत बड़ी रकम हमने आम जनता के कल्याण के लिए रखी है और जब उसकी तुलना करता हूं और उसकी ओर देखता हूं, कुछ अंदाजा लगाया कि राजस्थान की आबादी करीब २ करोड़ है और २०० करोड़ रुपया अगर सारे राज्य में खर्चा होता हो और प्रति व्यक्ति अगर हम बांटते हैं तो एक व्यक्ति के पीछे राज्य १०० रु० खर्च करता है, चाहे योजना के अन्तर्गत हो, चाहे दूसरे खर्चे मिलाकर । केन्द्र का खर्चा अलग है । जिस राज्य के अन्दर, जैसे पालियामेंट में भी कहा गया कि एक आदमी प्रति दिन ३ आने पर जीता है, ऐसे करोड़ों लोग हैं । हम कम से कम १००) रु० प्रति व्यक्ति खर्च करते हं, जबकि एक व्यक्ति को तीन आने खर्च करने को मिलते हैं ।

अब आप कल्पना करिये कि आपके हिसाब से राज्य के अन्दर एक व्यक्ति पर सौ रुपया खर्च होता है । यदि सीधा ही सौ रुपया किसी के पास पहुंच जाय और यदि तीन आने के हिसाब से देखें तो ३६) रु० साल का होता है । ३६) रुपया और सौ रुपया इसकी जरा कल्पना कीजिये । इतना खर्च करते है और तीन आने....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सौ रुपया कहां से खर्च करते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप समझते तो हैं नहीं । मैंने कहा कि एप्रोप्रियेशन बिल की सारी रकम को जनता के अन्दर बांट दें तो एक व्यक्ति के पास सौ रुपया के करीब हो जाता है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजस्थान में कितने लोग हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : दो करोड़ । जरा हिसाब तो लगाओ, दो अरब और कितने करोड़ । केन्द्र का कर्जा और अलग है । आप कल्पना करेंगे तो देखेंगे, आप तो बिना देखे ही खड़े हो गये । मास्टर की तरह से मैं आपको जवाब देता रहा हूं, यह मेरा काम नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मास्टरी तो किये हुए हो।

श्री मुरलीधर व्यास : मास्टरी तो की है, लेकिन ऐसे लड़के समझते नहीं हैं तो मैं क्या करूं ? ऐसे लड़कों को तो क्लास से हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत बड़ी राशि सौ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया जाय और प्रति व्यक्ति राज्य में आज ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी तीन आना प्रति दिन है। यदि इसका हिसाब लगायें तो अधिक से अधिक पचास रुपये में पूरे साल भर अपनी जिन्दगी बिताते हैं। अब आप देखिये कि आपका खर्चा और उसके सिवाय केन्द्र का अलग। इतनी बड़ी

(१२. ४२. म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

रकम खर्च करने के साथ,साथ यह भी देखना चाहिये कि यह रुपया किन किन के पास जाता है और जिन लोगों से इतना रुपया प्राप्त करते हैं उनके पास भी कुछ पहुंचता है या नहीं ? राजस्थान में आज भी अनेक गाव हैं, जहां न सड़कें है, न अस्पताल हैं, न स्कूल हैं और न पानी का इन्तजाम है। किसी प्रकार से आपके इस फाइनेन्स में से एक पैसा भी उस आदमी के पास नहीं पहुंचा है। ऐसे हजारों गांव आज हमारे राज्य में विद्यमान हैं। जब कि आपके पास जो पैसा आता है वह सब के पास से आता है, आप किसी भी परिवार को नहीं छोड़ते हैं, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप छोड़ते हों। इसलिए यह जो हमारी आमदनी के श्रोत हैं, जिनकी वेलफेयर के लिये हम वापिस कुछ लगाते हैं या नहीं, समान रूप से उनके पास पहुंचता है या नहीं, यह भी देखने की बात है। आज भी मैं अनेकों गांव बता सकता हू जहां एक पैसा भी वहां नहीं पहुंचता है जब कि आप उनसे बराबर लेते हैं। वेलफेअर स्टेट के माने तो यह है कि आप उन पर पैसा लगायें; यदि कदाचित वे टैक्स से अछूते हों तब भी आप उन पर कुछ तो कीजिये। जबकि वे टैक्स से अछूते नहीं हैं, आपको देते हैं, लेकिन आप उसकी भलाई के लिए एक पैसा भी नहीं पहुंचाते हैं तो यह समाजवाद नहीं है। पार्लियामेंट में माणिकलालजी वर्मा ने स्पीच दी और हवाला दिया कि क्या यह समाजवाद है ? जिस समाजवादी सरकार का आधा रुपया २५ पूंजीपतियों की तिजोरी में चला जाय और दूसरा पचास करोड़ लोगों में चला जाय, क्या इसको समाजवाद कहते हैं ? आज हमारे राज्य में १७ साल के बाद भी यह स्थिति है कि हजारों गांव ऐसे हैं, राज्य के कई ऐसे इलाके पड़े हैं, जहां आप वहां के लाभ के लिए एक पैसा भी नहीं देते हैं, जनता की भलाई के लिये एक पैसा भी नहीं देते हैं। वे इलाके आज भी अछूते पड़े हैं।

दूसरा दृष्टिकोण यह कहना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल के लिये आप जो पैसा मांगते हो, उसका एक एक पैसा योजना के लिए, वेलफेअर के लिये, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, चाहे किसी भी वेलफेअर

(श्री मुरलीधर व्यास)

का काम हो, खर्च होना चाहिये, उस पर आपकी पूरी निगरानी होनी चाहिए कि वह पैसा सब जगह, हर व्यक्ति की भलाई के लिये पहुंचता है या नहीं। यदि वित्त मन्त्री महोदय कह देंगे कि हर जगह पहुंचता है तो आपकी बात सही है। वर्ना मैं तो कहता हूं कि सब जगह पहुंचता नहीं है।

पैसे का क्या हो रहा है? कैसे लगता है? कुछ तो लोगों की जेब में जाता है, कुछ अधिकारियों के पास जाता है। कल्याण-कारी राज्य के लिए महात्मा गांधी के आदर्श पर सोचने का तरीका यह होना चाहिये कि पैसे इस प्रकार लगें कि जो फल हो उसका फायदा सब लोग उठा सकें। उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। बल्कि यह हो रहा है कि उसका आज फायदा दूसरों को मिल रहा है। जैसे एक नदी है। नदी खुद पानी नहीं पीती है। पेड़ खुद फल नहीं खाते हैं। खुद लेकर दूसरों को देते हैं, जमीन से लेते हैं, दूसरे साधनों से लेते हैं सामुदाय और समाज के लिये देते हैं। इसी तरह का उनका तरीका होना चाहिये। यह तरीका यह होना चाहिये कि आज हमारा जो धन है, वह क्या हो रहा है? इस तरीके से कुछ लोगों के पास जाता है। वह उसको खा जाते हैं और आम जनता के पास नहीं पहुंचता है। इसमें परिवर्तन आना चाहिये। योजनाओं में और दूसरे मामलों में सुधार किया जा सकता है। हुकूमत पर बैठने वालों का क्या मकसद होना चाहिये? यह मकसद होना चाहिये कि हम नदी की तरह हैं, हम फलों के पेड़ हैं। दूसरे कुछ हम से लेते हैं। हम तो क्या हैं? दूसरों को देने के लिये हैं। यही खर्च का मकसद किसी एक वेलफेअर स्टेट का होना चाहिये। मुल्क के दृष्टिकोण से मैं नहीं कहना चाहता कि आज क्या हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार माणिकलालजी वर्मा ने कहा, और अभी विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा, हमको इस ओर विचार करना चाहिये।

राज्य में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को देखिये। या इसके अन्तर्गत विकास के महकमे आदि को देखिये। कर्मचारियों को देखिये। यही तो आपका आखिर समाज है। एग्रीकल्चर में चले जाइये। ७५ प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर पर डिपेन्डेन्ट हैं। ऐसे कितने लोग हैं, जिनकी आमदनी को आप देखिये, जिनके साधनों को देखिये, तो आपको मालूम होगा कि लाखों परिवार आज हमारे राज्य में ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं हैं। सीलिंग का कानून बनाया आपने। घोषणा कर दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह सीलिंग का कानून भी इतने वर्षों के बाद आया। उसके आने के बाद भी जो परिवर्तन हुए हैं, जो व्यवस्थायें और साधन उसमें रखे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह कानून आज मरी हुई स्थिति में है और आम जनता को परिवर्तन नहीं दे सकता। उसमें बार बार संशोधन करके उसको बिल्कुल निर्जीव बना दिया गया है। आपने बार बार घोषणा की, उसके उपरान्त भी बार बार परिवर्तन किये। यदि आपने इसकी बारीकी से छान-बीन की तो आपको पता लगेगा कि आपने जिस दृष्टिकोण से इस कानून को बनाया

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि ७५ प्रतिशत जनता इसका फायदा उठायेगी, वह उसको फायदा नहीं मिल सका है।

इसी प्रकार इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी कहूंगा। सरकार बताये या न बताये। जमीन के मसले में भी चले जाइये। किन लोगों के पास जमीन रही है, इसकी गहराई में जायेंगे तो पता चल जावेगा कि बांध बने हैं उनका फायदा किस प्रकार बनने पर लोगों ने लिया और उसके बाद जमीन के हिस्सों की तरफ चले जाओ, तो किस तरह गए, यह पता चल जावेगा। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमने बहुत बड़ा खर्चा किया राज्य के विकास के लिए। कोटा आदि राज्य के विकास के लिये सामान आया। सदन में एक प्रश्न रखा गया। वित्त मन्त्रीजी को ध्यान रखना चाहिये। सदन में प्रश्न आते हैं, वे दबा दिये जाते हैं। पांच-सात आदमियों के नाम आये। मुरलीधर झुंझुनू वाले के कोटे के लिये पूछा गया। सरकार ने इतना ही कह दिया कच्चा माल यहां आने से लोगों को काम मिलता है, फायदा मिलता है; लेकिन हुआ क्या ? यह सारा कोटा बम्बई में बेच दिया गया। हमारे राज्य में गया नहीं और उसको ब्लेक में बेच कर पैसा कमाया।

मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां आप यह कहते हैं कि ब्लेक का पैसा नहीं कमाना चाहिये, लेकिन इस तरह से काला धन किसने कमाया और किसके पास गया ? यह पैसा, मुरलीधर झुंझुनू-वाला ही नहीं रहा, यह मुख्य मन्त्री सुखाडिया तक पहुंचा है। काला धन की कमाई के अन्दर सरकार के अन्दर बैठे हुए लोगों का भी हिस्सा रहता है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, साफ कहा जाय; इतना वेग न कहा जाय। माननीय सदस्य रेस्पोन्सिबल हैं, अतः कोई बात कहें तो सोच समझ कर कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : स्पेसिफिक तौर पर कह रहा हूं। मुख्य मन्त्री जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये तैयार हों तो यह सिद्ध कर सकता हूं कि ब्लेक से जो माल बेचा गया उसका रुपया किन किन के पास तक गया है ? उसमें मुख्य मन्त्री सुखाड़िया तक भी पहुंचा है, यह सिद्ध करने के लिये तैयार हूं।

श्री फूलचन्द जैन : मैं एक बात जानना चाहता हूं, ब्लेक में कोटा बेच दिया गया, इससे यह बात सिद्ध नहीं होती। केवल यह आपके द्वारा कह देने से कि उसका पैसा सुखाड़ियाजी के पास भी आया ; आप तथ्य पूर्ण बात रखिये कि किसने बेचा, कहां बेचा और किस प्रकार वह पैसा मुख्य मन्त्री के पास पहुंचा ? आप जिम्मेवार सदस्य हैं, जो कुछ भी कहें जिम्मेदारी के साथ कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं; सदन में भी भैरोंसिंहजी और ज्वालाप्रसादजी ने सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट रखी है, उसका हवाला दिया है। रिपोर्ट के अन्दर

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसने लिखा है पचास लाख का कोटा दिया गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, युटिलाइज़ नहीं किया; फिर उसका ब्लेक नहीं हुआ तो क्या हुआ ?

श्री फूलचन्द जैन : उन्होंने जो कुछ कहा वह उन पर छोड़ दीजिये। आप क्या कहना चाहते हैं वह कहिये ना।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं ही कह रहा हूं। आप भंडाफोड़ करवाना ही चाहते हैं तो आप जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये तैयार हो जाइये...

श्री फूलचन्द जैन : यह बीमारी क्या है? किस बात की जुडिशियल इन्क्वायरी ?

श्री मुरलीधर व्यास : इस बात की इन्क्वायरी की जाय, जो कोटा दिया गया है इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से वह कहां गया ? सदन में जिस रोज़ यह प्रश्न किया गया था उस समय आप तो भाग गये थे···

श्री सभापति : जो एलीगेशन्स जिस भाषा में रखे गये वे वेग थे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस बात को यहीं छोड़ कर अपना भाषण आगे जारी रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जो कह रहा हूं वह इसलिये कि जो धन सरकारी कोष में आता है वह आम जनता के काम में लगना चाहिये। वह धन राजस्थान की जनता के लिये काम में न आकर चन्द लोगों के पास चला जाता है, उससे राज्य की जनता को लाभ नहीं मिलता।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं; इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं, जो पैसा हमारे यहां से ग्रान्ट इन एड की तरह से दिया जाता है वह पैसा भी लग चुपचाप खा जाते हैं, झूठे बिल बना लेते हैं। शिक्षा के मद में जो ग्रान्ट दी जाती है..

श्री बालकृष्ण कौल (वि मंत्री) : आम तौर पर, सभापति महोदय यह होता है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर जब बहस होती है, उसमें उन डिमान्ड्स पर बहस नहीं होती जिन पर बहस हो चुकी होती है। एज्युकेशन, भू-राजस्व, इन्डस्ट्रीज इन मांगों पर बहस हो चुकी है; उसको फिर से लाया जाय तो इसमें समय जाया होगा और जो हमने परम्परा बना रखी है उसकी अवहेलना होगी।

श्री सभापति : बेशक यह बात सही है। लेकिन माननीय सदस्य जो कहना चाहें कहें, उत्तर में आप जो उचित समझें करें। माननीय सदस्य अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, किशनगढ़ में के० डी० जैन हायर सैकन्डरी स्कूल है। उसके मैनेजमेंट में सरकारी अधिकारी भी हैं, दो एस० डी० एम० हैं, तीसरे एक ऑफिसर हैं पी० माथुर, राधेकान्त व्यास और गुलाब मेहता, ये तीनों अधिकारी हैं जो कि मैनेजमेंट कमेटी में हैं। इस स्कूल के बारे में रिपोर्ट आयी है कि डेढ़ लाख रुपये झूठे शिक्षकों के नाम लिख कर और उसके साथ साथ

(श्री मुरलीधर व्यास)

झूठी फर्म से माल मंगा कर, जिस नाम की फर्म ही नहीं है, डेढ़ लाख रुपया लिया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कत्ल है।

श्री ब्रजकृष्ण कौल : मैं यह जानना चाहता हूँ क्या यह एडेड स्कूल है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां। जांच के बाद लिखते हैं ३०-८-६१ को स्कूल के मैनेजमेन्ट डेढ़ लाख रुपये के करीब राज्य सरकार व धोखा देकर, फर्जी बिल बनाकर फर्जी अध्यापक दिखा कर, फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्राप्त की है। यह ऑडिट रिपोर्ट है।

पुलिस ने जांच की है, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है वह भी आपके सामने है। उसमें एस० डी० एम० है, मेम्बर श्री गुलाबसिंह मेहता जो चीफ सेक्रेटरी के भतीजे है। राधेश व्यास जो भूतपूर्व गृह मन्त्री के लड़के। तीसरे माथुर हैं वे माथुर साहब के ... हैं। ये तीनों अफसर उस कमेटी में है यह कमेटी लाखों रुपयों की गडबड़ करे, जिसके लिये पुलिस की रिपोर्ट हो, मामले के अन्दर ऑडिट रिपोर्ट हो, ... होने के बावजूद होना तो यह चाहिये जिसने इस प्रकार की बात सरकार को बताई उसको धन्यवाद देना चाहिये। ... हुआ क्या, उस शिक्षक को को हटा दिया, दूसरा शिक्षक जो गवाही दे उसको ह... और एस० डी० एम० और मेम्बर जो किसी के जवाई, किसी के लड़के और किसी के भतीजे हों, इतने आदमी जिसके अन्दर इनवोल्व्ड हों, सिर्फ उनको बचाने के लिये इस पर कोई कार्यवाही नहीं करे और श्री मेहता को यह कह दिया जाय कि तुम ही इसकी जांच कर लो, यह कहां तक उचित है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो फ्रॉड है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार के फ्रॉड राजस्थान के अन्दर सैकड़ों हैं। इस प्रकार की सैकड़ों इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनमें इस प्रकार ने रुपया दिया जाता है, उदयपुर की और दूसरे स्थानों की, उनमें मैं जाना नहीं चाहता, केवल इतना ही बतलाना चाहता हूं। शिक्षा जो हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग है, इस देश के सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहां पर एक पैसा नहीं देते हैं। दूसरी तरफ लाखों रुपयों का इस तरह से गड़बड़ हो, उस पर जांच नहीं हो, इससे बढ़कर हमारी सरकार पर करारा तमाचा और क्या हो सकता है ?

सरकार को ऐसे मामलों की जांच करानी चाहिये, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिये। किसी भी चीज की जांच के लिये कहने पर सरकार सतर्क बहुत जल्दी हो जाती है। लास्ट टाइम मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों को जमीन देने के मामले में जब सदन के अन्दर जानकारी दी गई उस पर मुख्य मंत्री ने कहा रेवेन्यू बोर्ड के किसी मेम्बर से वे

(श्री मुरलीधर व्यास)

जांच करवाना चाहते हैं, हाउस के इधर वाले माननीय सदस्यों ने हाईकोर्ट के जज को यह काम सौंपने के लिये कहा था, लेकिन अभी तक इस बारे में फैसला नहीं हुआ। इस बीच में रेवेन्यू के उप मंत्री महोदय ने क्या किया ? सारे लोगों को, एस० डी०एम० को, तहसीलदार को, अलादीन खिलजी को, पटवारी को, सब को फाइल लेकर यहां बुला लिया है। आज एक एक कागज़ को देखा जा रहा है। लड्ढा साहब उन सारी फाइलों को घर पर ले जाते हैं। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, जब चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, वे रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य से जांच करवायेंगे, तो यह एक प्रकार का जुडिशियल मामला हो गया है। जब किसी भी जुडिशियल मामले के बारे में बातचीत नहीं हो सकती तो कागजों को लेकर तहसीलदार को बुलाना, वह अभी तक चार दिनों से यहां पर बैठा हुआ है, यह किसलिये, उसमें भी फ्रॉड करने की सोची जा रही है।

श्री फूलचन्द जैन : आपने जो बातें कही हैं, उसको गलत साबित करने की तैयारी की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब तो यह जवाब का सवाल ही नहीं रहा, यह तो जांच का सवाल बन गया है।

(१. म. प.)

अब जवाब का उत्तर देने का प्रश्न नहीं रहा। अब तो प्रश्न यह रहा है कि रेवेन्यू बोर्ड के जज को या हाई कोर्ट के जज को इसकी जांच के लिये अपोइन्ट किया जाय। इसके सिवाय दूसरा प्रश्न रहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपकी नैतिकता यह थी कि अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो उन कागजों को हाथ नहीं लगाते और उनको सील करके जांच करने वालों के लिये सुरक्षित रख देते।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (डग) : आप जो कहते हैं उसकी जानकारी लें। जानकारी लेना गुनाह है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब लेना बिल्कुल गुनाह है। अब वह आपकी प्रोपर्टी नहीं रह गई।

और अगर इस बीच में आप मुख्य-मन्त्रीजी ने और उप-मन्त्रीजी ने उस रिकॉर्ड को मंगाया है, तो यह स्पष्ट भ्रष्टाचार किया है।

श्री फूलचन्द जैन : असलियत सामने आवेगी। आपकी बातें झूठी साबित होंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : They want to fabrricate those papers. They have no right to touch those papers now.

श्री सभापति : बहुत कहा, अब इस बात को छोड़ दें।

श्री मुरलीधर व्यास : न्याय की बात कह रहा हूं। मामला सबजुडिस हो जाता है। अब इस पर.......

Page No 53

श्री फूलचन्द जैन : यह सब-जुडिस नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब तो प्रश्न यह रह गया है कि किसको अपोइन्ट करना।

श्री सभापति : आप समय खो रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, यह तो उनसे कहें कि वे बोलें नहीं बीच में।

श्री फूलचन्द जैन : कन्सल्ट तो करेंगे न।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये माननीय मुख्य मन्त्रीजी को प्रोवोक कर रहे हैं कि वे हाई कोर्ट के जज को अपोइन्ट कर दें।

श्री सभापति : This point has been amply made. Now proceed further.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उनको सर्टीफिकेट दिलवाने का बन्दोबस्त किया जावे, सभापति महोदय।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस सिलसिले में जिसको आप कहते हैं सोचने का तरीका है, उसके बारे में, जयनारायण व्यास का एक रिमार्क है, जो उसमें दिया गया है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : दूसरे पोइन्ट कहने के लिये कम रहेगा समय।

श्री मुरलीधर व्यास : वह यह है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें उन्होंने कहा इस लैंड के सिलसिले में :

"I do not like the Collector's remark about the agitators pressure for giving the land to peasants as an anti-congress propaganda."

श्री जयनारायण व्यास के रिमार्क्स हैं इस जमीन के सिलसिले में और ऐसा सोचना कि एन्टी कांग्रेस है। इसलिये नहीं करना चाहिये, पीजन्ट को जमीन मिले, यह कांग्रेस का काम है।

श्री मोतीलाल चौधरी : ये क्या बोल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आप जो कह रहे हैं, औथेन्टिकेटेड है। अगर सदन में आप इसे रख दें तब जाकर ठीक रहेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसकी कॉपी टेबल पर रखूंगा।

यह स्वर्गीय जयनारायण व्यास का नोट है सरकार की फाइलों में।

श्री बरकतुल्ला खां (चिकित्सा मंत्री) : जयनारायणजी तो कहो । बड़े आदमी थे वे ।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने इस जमीन के बारे में कहा है। वह नोट सुन लीजिये। वे आपके भूतपूर्व मुख्य मन्त्री रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह वे कहां से ले आते हैं ? क्या सोर्स है इसका ?

श्री सभापति : Whatever sources they may have........

सुनिये मोतीलालजी, (श्री मुरलीधर व्यास से) You keep them on thet able

श्री मानिकचन्द सुराणा : सोर्स ये ही लोग हैं, सभापति महोदय, ये ही देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : चीफ सेक्रेट्री के नोट के बाद चीफ मिनिस्टर लिखते हैं :

I had a discussion with the Commissioner, Kota. Application was received here may be by you or me. Application was sent by Revenue Secretary to Shri Jhala, Commissioner for disposal. The so called enquiries were initiated neither from my officer or from C. S. Nobody knew about these enquiries. This disposes of my discussion with C.S. at A.

Now we should go into the merits of the case, whether the Commissioner should or should not have gone into the matter, it is a matter of opinion. It seems applica-ions were received by the Collector through Shri Chhitarmal and Ramchandra. He ought to heve disposed of them according to law. I don't like the Collector's remarks about the agitators pressure for giving land to peasants as an anti-Congress. He should allow the congress to take care of itself and act in accordance with the set rules and proce dure and decide the case on merits."

यह जो केस है वह मैरिट पर डिसाइड नहीं हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : I agree cent per cent with these remarks, but what is the point at issue?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : But you do'nt adhere to the Government rules.

श्री बालकृष्ण कौल : A devil is quoting the scriptures.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा था कि यह जो सुखाड़ियाजी की जमीन, जो उनके साले के नाम से इस तरह से अलॉट की गई है यह सारा केस...

श्री मथुरादास माथुर : यह भी चेलेन्जेबल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि आप यह कह सकते हैं कि जमीन फलां फलां को दी

Page No 55

(श्री मथुरादास माथुर)

गई। माननीय सुखाड़ियाजी की जमीन उनके सालों के साले को दी गई, इसलिए सुखाड़िया जी आ गये, इसमें यह कहना उचित नहीं है। लैंड दी गई है एक्स को वह कुछ भी आप कहिये। कानून के अन्दर आपको कहने का अधिकार है। पर कोई भी जमीन किसी को मिले उदयपुर में, जहां से वे आये हैं अगर वहां कोई कुत्ता मर गया तो उसके लिए भी सुखाड़ियाजी के लिए कहा जाय कि वे जिम्मेदार हैं, तो यह बात समझ में नहीं आती।

श्री मुरलीधर व्यास : आप पूछ रहे हैं, अब उसके लिए हवाला दें तो आप उसे सुनने को तैयार नहीं हैं It is a revenue Job. I would restrict.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : कल्पना में तो होता नहीं। कोई न कोई जरिया जरूर होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला है, जिसको जमीन दी उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जमीन दें, ऐसे साले कब पैदा होंगे कि नहीं दें। पर मैं कहना यह चाहता हूं कि यह जमीन देते हैं वह कानून के अन्तर्गत दी जावे, कोई एतराज नहीं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि इस जमीन का मसला चीफ मिनिस्टर साहब के पास में पहुंचा और यह सारी गैर कानूनी कार्यवाही भी पहुंची। उसके बाद जो उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर मोहनलालजी सुखाड़िया थे उनका काम था कि वे इसका फैसला करते और उसके नीचे भी जयनारायणजी व्यास ने क्या रिमार्क दिया वह मैंने बताया। श्री जयनारायण व्यास चले गये। पर रेवेन्यू मिनिस्टर कौन ? सुखाड़ियाजी....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, हाउस के अन्दर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मामला रख दें। पर क्या यह परम्परा रहे उसी बात को लगातार कहते रहें ? जो साबित न हो, जिसके बारे में रिलेवेन्ट पेपर नहीं, जिसको पढ रहे हैं उससे कोई सम्बन्ध नहीं बोलने का। जो मैटर पढ़ा गया है उससे सम्बन्ध स्थापित होता नहीं, तो इस तरह बार बार रिपीट हो सकता है क्या ?

श्री सभापति : इस विषय में मेरा निवेदन है, आपसे कोई माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहें वह अप्रिय भी हो तो यदि आप बार बार बीच में नहीं टोकेंगे तो पांच चार मिनट में कह कर खत्म हो जावेगी बात। उत्तर फिर देते वक्त आप देख लें।

श्री मथुरादास माथुर : घंटे भर बोलते जावें तब ?

श्री सभापति : घंटे भर तो बोलने नहीं दूंगा। उत्तर देते वक्त आप उसका निराकरण कर दें। बीच में टोकेंगे तो अप्रिय घटनाएं घटेंगी, बार-बार बोलेंगे, समय व्यर्थ जावेगा और वातावरण बिगड़ेगा। श्री मुरलीधरजी को मैं बोलने की छूट देना चाहता हूं, परन्तु अब वे पांच मिनट में अपनी स्पीच समाप्त कर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : ये रिमार्क्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर व्यास ने उस वक्त दिये बाई नेम माननीय वर्तमान चीफ मिनिस्टर को देते हैं, वे देखें। इसको देख लें और मैरिट्स के अनुसार फैसला करें। दुख इस बात का है, यह जो है इसके बाद में २३.४. ५४ को बाई नेम दिया है । आपके रिकार्ड में है, देख लीजिये। फाइल के अन्दर है । यह चाहिए था कि अपने सालों को जमीन गैर कानूनी तरीके से है तो वे स्वयं देखते उस समय ।

आज इस मुद्दे की जांच हो तो इस मुद्दे की जांच भी हो कि मुख्य मन्त्रीजी ने इतनी बात सामने आने के बाद में, इसको देने के सम्बन्ध में कैन्सल क्यों नहीं किया ? तो मैं खास करके मुख्य मन्त्रीजी से चाहूंगा कि आपको इस केस का पता ही नहीं था, तो यह सही नहीं है। इस मामले में जांच हो तो जगतनारायण इस बात की भी जांच करें कि मुख्य मन्त्रीजी के पास इस मुद्दे के आ जाने के बावजूद गलत रूप से अपने परिवार को भाई-भतीजे को, सालों को कैसे दिलवाई ? यह होना चाहिये। और मुख्य मन्त्री जी के बारे में मेरा निश्चित रूप से यह कहना है कि यह फैक्ट मौजूद है कि उन पर काले धब्बे हैं । अगर वे अपनी काली चादर को धोली करना चाहते हैं और आपको उसका गर्व है तो जगतनारायण से, जिसकी विरोधी दल ने मांग की है, चारों सदस्यों ने विरोधी दलों के दस्तखत करके मुख्य मन्त्रीजी से कहा है कि अगर आप में थोडी बहुत भी नैतिकता है तो हाई कोर्ट के जज को अपोइन्ट करें और उससे फैसला करा लें तो मालूम पड़ जावे कि मुख्य मन्त्री ने इरादतन यह जमीन देने में हिस्सा लिया या नहीं ।

दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो दूसरी बात कही गई उस जमीन के सिलसिले में कि उनका हित है या नहीं, वे फायदा उसका उठाते हैं या नहीं ; मैं यह भी प्रमाणित करने को तैयार हूं कि इसमें उनका भी हिस्सा है, वे उसका फायदा उठाते रहे हैं ।

अब दूसरी बातों के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में कहें ।

श्री मुरलीधर व्यास : चाहें लैंड का सवाल हो, चाहे इन्डस्ट्री का सवाल हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जिसमें सरकार खर्च करती है उसका लाभ हमारे प्रान्त के हर आदमी के पास पहुंचे । नहीं पहुंचता है तो यह सोचने की बात है । आज अधिकांश हिस्सा मोटे मोटे लोगों को जाता है और उसका फायदा आम समुदाय के आम समाज के दृष्टिकोण से नहीं पहुंचता । इसलिए इस एप्रोप्रियेशन बिल पर मैं यह नम्रता से कहना चाहता हूं कि वे इस बात की छानबीन करें कि जितने गांव हैं, जितने गरीब लोग हैं, उन तक हमारे इस बजट का एक पैसा भी नहीं मिलता और अगर वह नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता ? हम जो राज्य में खर्च करते हैं उसके लिये

(श्री मुरलीधर व्यास)

लगान, टैक्स लगाते हैं उससे जो हमारी आय बढ़ती है,

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह राज्य के उस आदमी के पास पहुंचता है या नहीं, इसकी भी जांच करें।

दूसरी बात । इसकी भी जांच करें कि भ्रष्टाचार के मामले; जैसे भैरोंसिहजी ने कहा स्पिनिंग और वीविंग मिल्स के बारे में तो उसका सवाल हो, चाहे कोटे का सवाल हो, लैंड के वितरण का सवाल हो, उन सबकी लिस्ट दे सकता हूं...

(समय-समाप्ति–सूचक घन्टी)

ये बड़े बड़े जहां आपके डेम बने, योजनाएं बनीं इनका लाभ, कहीं चले जाइए सभी कांग्रेस के प्रमुख लोगों को मिलेगा। उदयपुर में राजस्थान कैनाल में चम्बल एरिया में उनको जमीनें मिलेंगी।

(अनवरत घन्टी)

सारी योजनाओं का लाभ उनको मिला है। यह मैं.......

श्री सभापति : श्री मुरलीधर जी ! ऑर्डर प्लीज़ ! बैल की आवाज नहीं सुनेंगे आप ! This bell has a meaning. It tells you, your time is over.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय...

श्री सभापति : No more please ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय.......

श्री सभापति : इसके आगे श्री मुरलीधर जी जो भी कहें, लिखने की जरूरत नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : (आसन की आज्ञानुसार नहीं लिखा गया)

श्री सभापति : You give it in writing.

श्री मुरलीधर व्यास : (आसान की आज्ञानुसार नहीं लिखा गया)

श्री सभापति : जिस समय आपको समय दिया गया था उस समय को आपने व्यर्थ की बातें कहने में जाने दिया। उस समय आपके मन में आया वह कहते रहे। फिर घन्टी बजा कर आपको कहा गया कि ५ मिनट बाकी हैं, उसके बाद में ३ बार घन्टी बजाई, उसका आपने ध्यान नहीं रखा तो यह करना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : (आसन की आज्ञानुसार नहीं लिखा गया)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज...

श्री मथुरादास माथुर : जो आप कागज़ हाउस की टेबल पर रखना चाहते थे वह रख दो, ऑथेन्टिक करके।

Page No 58

(श्री मुरलीधर व्यास द्वारा कागज पर हस्ताक्षर करके सदन की मेज पर रख दिया गया)

श्री सभापति : श्री दुर्गालाल बाढ़–दार ।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का विषय है कि हाउस की डिग्निटी को देखते हुए और जुडीशियरी का भी ध्यान रखते हुए........

श्री सभापति : सुना नहीं, फिर से कहें ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा यह निवेदन है कि मेरी ओर से एक व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस का एक स्टेटस है और हाईकोर्ट के जजेज़ का भी स्टेटस है । माननीय सदस्य किसी चीज की इन्क्वायरी के लिए हाईकोर्ट के जज का नाम रेफर कर रहे थे और वह कन्ट्रोवर्शियल बात हो सकती है । इसलिए माननीय सदस्य ने जिस नाम को यहां रेफर किया वह उनको रेफर नहीं करना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : कौनसे कानून में लिखा है कि नाम नहीं देना चाहिए ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा निवेदन है चेयर से और इस बारे में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है । तो मेरा निवेदन है कि हमने जुडीशियरी का एक बहुत ही बड़ा स्टेटस माना है और उसको बहुत ही इम्पार्शियल माना है और जहां तक मेरा ज्ञान है, हाउस की परम्परा रहनी चाहिए...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर.......

श्री सभापति : There is a point of order. Let me dispose it of first.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस रूल के तहत पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री सभापति : It is for me to decide. Leave it to me.

श्री मोतीलाल चौधरी : यह व्यवस्था का विषय है कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी भी हाईकोर्ट के जज का नाम ले सकता है कि अमुक को अपाइमेन्ट करना चाहिए, अमुक को नहीं । कोई भी व्यक्ति होगा, उसके नाम को लेकर कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है । हाईकोर्ट का एक अलग से स्टेटस है और उसकी प्योरिटी को रखा गया है, इसलिए व्यक्तिगत नाम नहीं लेकर उसके लिए इतना ही कह सकते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से एक जुडिशियल इन्क्वायरी हो सकती है ।

श्री सभापति : यह कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । आपने जो व्यूज रखे हैं वे ठीक ही है । परन्तु, it should be left to the good sense of the Members कि वे क्या कहें और क्या न कहें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक आज हमारे सामने

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विचाराधीन है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार अपनी मांगों को सदन के सामने रखती है और उन्हें पास कराती है; तो मांगों को किसी प्रकार से भी राज्य सरकार ने रखा-सदन ने वह पास की, यह माना जायेगा। लेकिन वह पास कराई गई, यह मैं कहना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति जी आपके द्वारा कि विनियोग विधेयक के द्वारा अब राज्य सरकार यह भी मुहर और शक्ति चाहती है कि जितने करोड़ों का व्यय राज्य सरकार करना चाहती है, उसके अधिकार भी राज्य सरकार को दे दें। यह भी अवसर है कि ये केवल दो दिन इस प्रकार के सभी माननीय सदस्यों को मिलते हैं कि जिनमें वह मंत्रियों के सामने हमें स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहिए कि राज्य सरकार ने वे रुपये जो आपने जनता से लिए हैं, वह वास्तव में जनहित के लिए खर्च होना चाहिए और जनता के हित के लिए भी जो अधिकांश लोगों के हित की बात है, उसमें खर्च होने चाहिए। यही एक ऐसा अवसर है जहां प्रत्येक माननीय सदस्यों को अधिकार है कि आपने क्षेत्र के जितने भी अभाव हैं, उन सारे अभावों के विषय में राज्य सरकार के सामने यह पुरजोर मांग करें और यह बतायें कि देखिये १५ वर्षों के इतने लम्बे अर्से में करोड़ों रुपये की धनराशि जो आपके हाथ में दी, आपमें विश्वास किया, आपको कस्टोडियन मुकर्रर किया और महज इसलिए किया कि यह अमानत का रुपया आपके हाथों में दिया जाता है, इसके आप एक सही माने में कस्टोडियन के रूप में यह समझते हुए कि उपयुक्त पात्र कौन हैं और उपयुक्त स्थान कौन सा है, वहां व्यय किया जाना चाहिए और इसी दृष्टिकोण से यदि राज्य सरकार विचार न करके कुछ कतिपय लोगों में व्यय करती है तो यह उपयुक्त नहीं है।

आंकड़ों में यह बताया जा सकता है, यह हो सकता है, आप अपनी स्कीमों की दुहाई भी दे सकते हैं, जिसके द्वारा आप यह स्पष्ट करना चाहें कि योजनाओं में हमने इतना रुपया खर्च कर दिया। योजनाओं का फल क्या निकला, उन योजनाओं में कितने व्यक्तियों को लाभ मिला, इसकी चिन्ता न करते हुए केवल यही कह देना अपना धर्म समझते हैं कि अमुक योजना में इतने लाख रुपये खर्च कर दिये, तो वास्तव में जो अधिकार यह सदन आपको देता रहा है उसके दुरुपयोग करने की बात समझी जायेगी, सदुपयोग नहीं होगा। इस पर स्पष्ट रूप से निवेदन करते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि आज हमारे सामने इकानोमिक्स और अर्थशास्त्र के यह मूल तत्व हैं, ये प्रधान बातें हैं, जिसमें सारे व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करना चाहते हैं, तो वे सोचेंगे कि उसकी नेसेसिटीज फोर लाइफ क्या है? नेसेसिटीज फोर लाइफ के लिए जो मुख्य चीजें हैं उनका यदि उपयुक्त रूप से इन्तज़ाम कर लेते हैं तो हमारे सामने फिर कम्फर्ट्स का दूसरा सवाल आता है और कम्फर्ट्स के बाद में फिर लग्ज़री का सवाल आता है। राज्य सरकार के सामने भी यही आवश्यक मसला आना चाहिए। राष्ट्र की प्रधान समस्या कौनसी है, देश की प्रधान समस्यायें

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

क्या हैं–मनुष्यों को खाने के लिए अन्न, पहिनने के लिए वस्त्र और मशीनरी को चलाने वाले सारे कर्मचारियों को ठीक तरह से तनख्वाह मिले, उनको मेडीकल फेसिलिटीज मिलें-ये सारी बातें है देश की नेसेसिटीज की। अगर देश की नेसेसिटीज पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद में राज्य सरकार यह विचार करने लगती है कि नेसेसिटीज को एक तरफ रख दिया जाये और अब कम्फर्ट्स का ख्याल रखा जाये और मैं यहां के लिए कहूंगा कि हमारे आदमी, हमारे कर्मचारी हमारे काम करने वाले भूखों मरते रहें और अगर एक लाख रुपया किसी और काम में लगा दें, तो यह उपयुक्त बात नहीं है। अगर हम स्वागत कार्यो पर व्यय कर देते हैं, तो वह लग्जरी की तारीफ में आता है। मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकार को यह व्यय नहीं करना चाहिए। यह भी आवश्यक होता है, यह भी जरूरी समझा जाता है कि राज्य सरकार अपने सम्मान को मेन्टेन करने के लिए खर्च करे, लेकिन किस परिस्थिति में? यदि मंत्री महोदय इसका विचार किये बिना कि हमने अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा तो कर दिया, कम्फर्ट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश की तो थर्ड स्टेज उनकी लग्ज़री की आती है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन कम्फर्ट्स का हम ख्याल नहीं करते और अपने देश का रुपया हम लग्ज़री के ऊपर खर्च करने के लिए जब चल देते हैं, तो आपकी योजनाओं का प्रश्न पैदा होता है। तब कहीं यह प्रश्न आता है कि हम आपके सामने ये सारी बातें रख सकें।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि आपके सामने दो तीन बहुत अहम मसले रखूं। मनुष्य के जीवन के लिए और देश के उत्थान के लिए दो बातें परमावश्यक होती हैं; एक तो शिक्षा का क्षेत्र और इस शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ में सारी सहूलियतें जो एक इन्सान को मिलनी चाहिए वे भी आप देते रहें।

मैं शिक्षा के क्षेत्र में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने बजट के आंकड़े रखे और उन आंकड़ों के आधार पर व्यय करने की व्यवस्था आप चाहते हैं, तो उन आंकड़ों के द्वारा आपने एक साथ एक सर्वे रिपोर्ट के द्वारा यह पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है कि अमुक डिस्ट्रिक्ट में, अमुक जिले में उसकी पॉपुलेशन का लिहाज रखते हुए, उसकी जनसंख्या को देखते हुए इतनी शिक्षा का अभाव है और अमुक स्थान पर जिन स्कूलों या जिन कॉलेजों या जिन इन्स्टीट्यूशन्स की हमें व्यवस्था करनी है वह की जा रही है या नही?

(१.२२. म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

एक बार नहीं अनेक बार तीन वर्षों से मैं माननीय मन्त्री जी और राज्य सरकार के नोटिस में यह बात लाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जयपुर जिले के लिए थोड़ा

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

ध्यान देने की कोशिश करें। यह बात मैं जयपुर जिले के लिए निवेदन करना चाहता हूं और अन्य जिलों के लिए भी कहूंगा; बल्कि मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपने जिलों के लिए चाहे एक मिनिट के लिए ही इस सरकार के सामने वहां के अभाव की बात हो वह रखें। यही एक अवसर इस विधेयक के डिकक्शन का है कि हम ये बातें उनके नोटिस में ला दें, वर्ना उनके ध्यान में वे बातें नहीं आयेंगी। मैं नहीं कहता कि वे डेलिबेरटली एवाइड करते हैं। यह बात भी हो सकती है और ये लोग भी यह जाहिर कर सकते हैं कि काम ज्यादा है और हमारे नोटिस में ये बातें नहीं आई हैं। तो एक बार इनके नोटिस में ला दें कि इतने अभाव हमारे सामने है, इन अभावों के निराकरण की, इन अभावों को दूर करने की चेष्टा करें। इसके बाद भी नहीं करते हैं, तो सबसे बड़े पातकी ये लोग होते हैं, सबसे बड़ा यदि देश के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है वह इल्जाम भी उनके ऊपर लगाया जा सकता हैं।

मैं जयपुर जिले के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से जयपुर जिले की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। जयपुर जिले में राजस्थान की केपिटल ग्राप लोगों की यहां है, लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी आपके बयान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस शहर की पॉपुलेशन को देखते हुए, इन पांच सालों में जो इसकी पॉपुलेशन का विस्तार हुआ है, उस विस्तार को देखते हुए एज्युकेशन इन्स्टीट्यूशन्स इन पांच सालों में आगे उसी प्रोपोर्शन में आपने बढ़ाने की कोशिश की है। यदि आपने उस प्रोपोर्शन में बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और महज यह कह देना कि अमुक वर्षीय योजना के अन्दर दो स्कूल बढ़ा दिये या एक कॉलेज बढ़ा दिया, क्या यह सही माने में आपका जवाब देना होगा? आपको एज्युकेशनल फेसिलिटी प्रोवाइड करना है, इन्स्टीट्यूशन्स बढ़ाने है तो आपको आबादी का प्रोपोर्शन देखना चाहिए। उस आबादी के प्रोपोर्शन को देख कर आप यह जवाब दे दें कि इतने स्कूल बढा दिये। तो मेरे साथ आप चलिये, जब कभी भी एकेडेमिक इयर बिगिन होता है, जबकि एडमिशन का टाइम आता है, तो आप अपनी गोपनीयता को रखते हुए चलें। संभवत: आप जायेंगे तो यह हो सकता है कि लोग आपको पहचान लें और अनायास या मजबूरी से और परिस्थिति से सामना करेंगे। असलियत आप बतायेंगे नहीं और चलेंगे और चुपचाप एक साधारण नागरिक की तरह चलकर देखें तो कितने धक्के खाने पड़ेंगे। संभवत: आपके अच्छे कपड़े फट जायेंगे और रास्ते में ही रह जायें और आप पूरे नहीं लेकर आ सकेंगे, यह स्थिति आ सकती है।

दूसरी समस्या यह है कि विद्यार्थियों को एम्प्लॉयमेंट देने के दृष्टिकोण से कहां ऐसे कारखाने खोल दिये, कितने दफ्तर खोल दिये? आप अपने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज के आंकड़ों को लें एक साल के, तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बोर्ड ऑफ हायर सेकन्डरी एज्युकेशन और दूसरे बोर्ड के जो इम्तिहान हैं, उनके आकड़ें ले लें

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कि कितने मेट्रीक्यूलेट विद्यार्थी तैयार हुए है, कितने इन्टरमीजियेट, कितने ग्रेजुएट, कितने लॉ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट आप तैयार करते हैं, उसी हिसाब से आंकड़े सारे आपके पास मौजूद हैं कि कितने आदमियों को आप एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। वह इस प्रोपोर्शन में आप देखें कि शिक्षा के अभाव के होने के साथ साथ जिस प्रोपोर्शन में विद्यार्थियों को आप निकालते हैं, इस बात के लिए तैयार करने के पश्चात् कि वे जीवन में पदार्पण कर सकें, अपनी आजीविका कमा सकेंगे और आगे चल सकेंगे, और दोनों आंकड़ों को अपने सामने रखते हुए, स्टडी करते हुए ईमानदारी के साथ यह सोचें कि ऐसी कोशिश की जाय कि जितने विद्यार्थियों को निकाल देते हैं, उन सारे विद्यार्थियों को एम्प्लॉयमेंट दे देते है ? तो इसका जवाब साफ पलट कर आप दूसरे रूप में देंगे। वह जवाब यह होगा कि हम नहीं चाहते कि मौजूदा शिक्षा के अन्दर इस प्रकार से लड़के क्लार्क्स बनने की कोशिश करें, बल्कि हमको टेक्निकल हैण्ड्स की जरूरत है, हमको तो ऐसे आदमियों की जरूरत है जो कि कारखानों में काम करें, मशीनरी का काम करें और दूसरा व्यवसाय करने की चेष्टा करें। तो, श्रीमान्, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, कोरम नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कोरम तो पूरा करें।

(गणपूरक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा निवेदन करना एकमात्र यही है कि उसी दृष्टिकोण से आपको यह भी विचार करना चाहिए कि आपने कितने ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स खोले हैं कि जिन इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा लोगों को इस प्रकार से शिक्षा देने के बाद तैयार किया है, वे बिना किसी साधन के और बिना किसी और प्रकार की सहायता के सेल्फ सफिशियेन्ट जीवन में हो सकते हैं और अपने कामों को करने लगें। इसका उदाहरण तो एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज के आंकड़े बता देंगे कि बेरोजगारी के कारण यहां से वहां जाते हैं; जिस देश के अन्दर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और इन्जीनियर्स विष खाकर आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है।

क्या आप यह समझते हैं कि १५ वर्षों में यह राज्य सरकार सही माने में उत्तरदायित्व निभाने में सफल हुई है ? मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले में ऐसी कोई इन्डस्ट्री नहीं खोली है जहां कम से कम ५०० या ७०० आदमियों को एम्प्लोयमेंट दे सकें। कोई ऐसा इन्स्टीट्यूशन आपकी सरकार के द्वारा इस जिले में नहीं खोला गया है जिसमें से सेल्फ सफिशियेन्ट विद्यार्थियों को निकाल सकें।

आपके होस्पिटल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि २० साल पहले इसमें कोई शक नहीं कि एमिनिटीज और फेसिलिटीज मोडर्न टाइप की प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन २० साल बाद जो पोपुलेशन और जनसंख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए क्या आप पूरे रूप में होस्पिटल को

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

वेल इक्विप्ड कर पाये हैं ? आप देख लीजिये किसी आदमी को कमरा लेने की आवश्यकता होती है और अगर कोई एमर्जेन्सी में भी चला जाता है तो कोई बैडिंग उसको तुरन्त प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं गत वर्ष बीमार हुआ था और बीमार होने के बाद स्वयं आपके द्वारा वहां भेजा गया था, मगर शाम तक मुझे कोई बैड प्रोवाइड नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : फिर भी आप बच कर आ गए।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के लिये सम्भवतः आपकी भी यह चेष्टा थी कि अच्छा इलाज हो सके, उस पर भी यह हाल रहा तो जन-साधारण या मामूली इन्सान की क्या हालत होती होगी ? सौभाग्य से चिकित्सा मंत्रीजी भी अभी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कभी चलिये और देखिये इमर्जेन्सी रूम है, उसमें आप कभी भी चले जाइये, तो आपको पता चलेगा कि कितने केसेज़ सीरियस नेचर के वहां पर आते हैं और अन अटेन्डेड पड़े रहते हैं। कई बार रिपोर्ट आती हैं, कई आदमी सीरियस इन्जरी या वूंड लेकर या दूसरी बीमारी लेकर आते हैं और इत्तिफाक से मौके पर डाक्टर नहीं मिलते, उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं, यदि कोई ब्लीडिंग का केस है तो इतना ब्लीडिंग हो जाता है, अचानक इतना ब्लड चला जाता है, जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस अकाल मृत्यु का दोष वहां के जो कर्मचारी हैं उन पर नहीं दिया जा सकता, यह अकाल मृत्यु नहीं है, बल्कि हत्या है और इस हत्या का दोष कर्मचारियों पर न होकर मंत्रिमंडल पर है जिसका कि उत्तरदायित्व है। वे अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकते तो ये जितने केसेज़ हत्या या आत्म हत्या के होते हैं उनको ईन्टेन्शनली या डेलिबरेटली हत्या करने का उत्तदायित्व उन पर होना चाहिये जिनके कंधों पर निराकरण करने के मामले हैं।

मैं ये दो-तीन मिसालें रखने के बाद अब तीसरी समस्या को लेता हूं जो लोकल है। आप देखिये कि सारे देश में यह माना जाता है कि जयपुर वेल बिल्ट सिटी है। एक अच्छे ढंग से अच्छे आर्चिटेक्ट द्वारा अपनी कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करने की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर ढंग से इसको बसाया गया था। चौड़ी सड़कों और गटर की फेसिलिटी इसके जैसी कहीं नहीं है। यहां पर इतनी चौड़ी सड़कें होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि एक्सीडेन्ट्स अमूमन जयपुर की सड़कों पर हो जाते हैं। क्या इसका कारण यह है कि यहां की सड़कें छोटी है इस कारण से होते हैं ? यह बात सही नहीं है। एक्सीडेन्ट्स इस कारण से होते हैं कि ट्रेफिक कंट्रोल का इन्तजाम ठीक नहीं है। यहां की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि तीन-चार ट्रक्स एक साथ गुजर सकती हैं। एक साथ जहां पर तीन-चार ट्रक्स चल सकते हैं, वहां पर इतने एक्सीडेन्ट्स हो जायं और ट्रक ड्राइवर अनट्रस्ड चले जायं, उनका पता लगाने में तीन-चार दिन लग जायं, इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं अकेला थोड़े ही

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सभी बातों के लिये जिम्मेदार हूं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिये और आपके जो दूसरे साथी हैं, जिनका दोष हैं, उनको भी समझाना चाहिये और आप लोगों को एक टीम की तरह चलाना चाहिये । एकता का पाठ आप हमको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको स्वयं को सीख लेनी चाहिये और उसके अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रुपया आप खर्च करने वाले हैं। वराये मेहरबानी के तीन-चार बातें हैं, उनकी ओर आप ध्यान दीजिये । इस नगर की पोपुलेशन बढ़ने के साथ साथ गंदगी का वातावरण जितना इस नगर में फैल गया हैं उतना शायद दूसरी जगह नहीं फैला होगा। एक छोटासा मसला आपके सामने आया स्केयरसिटी ऑफ ग्रेन का । पब्लिक कितनी चिल्लाई, हमने कितनी याचना की कि अनाज की व्यवस्था कीजिये, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाये । आप इसमें सफल हुए या असफल, इसका निर्णय मैं आप ही पर छोड़ना चाहता हूं । आप कहेंगे कि हमने सारी व्यवस्था की और हम यह कहेंगे कि हमने सहयोग किया, जिसके कारण अनाज बाजार में आया । यदि हम अपनी कोशिश नहीं करते और अपने पास से हजारों रुपयों का खर्चा नुकसान उठाकर नहीं करते और आपको सहयोग नहीं देते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक बोरी अनाज की भी बाजार में नहीं ला सकते थे । तीन चार दिनों से आप देखिये भाव फिर बढ़ते जा रहे हैं । क्या आपने कभी ध्यान दिया है इस ओर ?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां सबसे बड़ी समस्या है गटर लाइन की, सीवेज लाइन की । आप इसका अभी तक पूरा इन्तजाम नहीं कर सके । पुराने समय में जयपुर की सड़कों पर बरसात में काफी पानी पड़ते रहने के बाद भी १० मिनिट के बाद एक बूंद पानी भी सड़कों पर बहता हुआ नजर नहीं आता था । आपने जिन बस्तियों को बसाया है उनको देखिये । आपने कहीं भी गटर लाइन नहीं डाली है और उसके कारण आपको उन सड़कों पर जाने में भी तकलीफ होगी । आपके पास अब भी जो रुपये हैं और जिनको खर्च करने का अधिकार आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनको इन बस्तियों को सुधारने में खर्च करने का कोई आश्वासन क्या आप दे सकते हैं ? यह मैं जानता हूं कि आप इस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, मैं यह भी जानता हूं कि आप सुनने को भी तैयार नहीं हैं । मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप मेरी मांग को सुनने की चेष्टा करिये । कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बाद में कह दें कि मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी गई जिसके कारण मैं कुछ करने की चेष्टा करता । यह सदन आपको सशक्त बनाने जा रहा है, खर्चा करने का अधिकार आपके हाथ में दे रहा है, करोड़ों रुपये आप खर्च कर सकेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जमाने में बनी हुई बस्तियों यानी जब से शासन व्यवस्था आपके हाथ में आई है, उस जमाने में बनी हुई बस्तियों के लिये गटर या सीवर लाइन का इन्तजाम आपको करना चाहिये । एक छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ५००) या

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

१०००) खर्च करने की बात थी नाहरगढ़ की सड़क के लिये; नाहरगढ़ की सड़क जयपुर की सबसे पुरानी सड़क है। जब से जयपुर बसा है तब से बनी हुई है; बावजूद इसके यदि आपको इसे देखने का मौका आ जाय, मनोविनोद की दृष्टि से यदि आपके मन में आ जाय किला देखने की, तो आपको उसी सड़क से जाना पड़ेगा। दूर देशों से आने वाले टूरिस्ट्स किला देखने जाते हैं, तो उनको इसी सड़क पर से जाना पड़ता है, पता नहीं, आप कभी उधर गये या नहीं; यदि जाते तो पता चलता कि इस सड़क पर एक-एक, डेढ़-डेढ़ फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। आज मैं २० साल से इधर से रोज आता जाता हूं। मैंने देखा है कि वहां पर राज्य सरकार या नगरपालिका ने एक पैसा भी खर्च किया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : नगरपालिका तो बोलने वाले महोदय के हाथ में ही है; वे उनसे कह दें, जल्दी से जल्दी मरम्मत करवा दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं उसी का उत्तर देना चाहता हूं, उसी बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हम यह जानना चाहते हैं सरकार से कि यह बताइये कि इस सड़क का इन्तजाम करने वाला कौन है? तो यह ताज्जुब की बात है, अभी तो सरकार के आंकड़ों से यह ही मालूम नहीं होता कि यह सड़क पी. डब्ल्यू. डी. के अन्डर में आती हैं या इन सड़कों की मालिक स्वायत्त संस्था है और इनकी जिम्मेदारी स्वायत्त संस्था की है ...

श्री बालकृष्ण कौल : नगरपालिका पर उसकी जिम्मेदारी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बिल्कुल नहीं है। आप सारे रेकॉर्ड को देख कर माननीय वित्त मंत्रीजी इसका निराकरण कर लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आप शायद संकेत कर रहे हैं, जब महाराजा का जमाना था उस वक्त जिम्मेदारी सरकार की थी। जब नगरपालिका हो गई इलेक्टेड कमेटी की, तब से इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन नगरपालिका देखती नहीं इनकी ओर। उसने आंख मूंद ली हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जयपुर की रोड्स हैं, उनका उत्तरदायित्व पी. डब्ल्यू. डी. पर है।

श्री बालकृष्ण कौल : नेशनल हाई-वे का उत्तरदायित्व सरकार पर है।

श्री जयनारायण मालोदिया (निवाई) नगरपालिका का सरकार में बकाया है सड़क का; और का वह देने के लिए तैयार हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (चिकित्सा मंत्री) : नगरपालिका पर सरकार का बकाया है। सरकार मांगती है नगरपालिका से।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप नगरपालिका की तरफ से बोल रहे हैं। नगरपालिका को जो सरकार को पैसा चुकाने का सवाल है उस पर दबाव क्यों नहीं डालते?

श्री बालकृष्ण कौल : नगरपालिका को लाखों रुपया सरकार को देना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : करोड़ों।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इस प्रश्न को विवादास्पद नहीं बनाना चाहता....

श्री सभापति : प्रश्न को विवादास्पद न बनायें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय मैं इस प्रश्न को विवादास्पद नहीं बनाना चाहता हूं। इन सड़कों का उत्तरदायित्व नगरपालिका का हो या सरकार का हो; प्रश्न इस बात का है-

जनता के हित पर मौन कौन ?
जनता निष्क्रिय सरकार मौन !
दोनों में दोषी बता कौन ?

श्री बालकृष्ण कौल : दोषी यह आपका हाउस है; क्योंकि नगरपालिका बनी है और जितनी कमेटीज़ बनी है, वे इस हाउस ने जो एक्ट बनाया है और उसके अन्डर में कमेटीज बनी हैं। इसलिए हम सारे दोषी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष देने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। मैं यह कहता हूं कि वह उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर पड़ता है। आखिर में विशेष दोष के भागी आप बनते हैं, लेकिन आप उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को वहन करने की चेष्टा नहीं करना चाहते। मैं यह समझता हूं कि इन सब बातों के बावजूद, यदि आपके नोटिस में यह बात आ जाती है, तो गुड सेंस आप में प्रिवेल हो जाने के बाद में यह आवश्यक हो जाता है कि आप इन अभावों को दूर करने की चेष्टा करें। इस दृष्टिकोण से मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं। यह बीच का मसला है, इसको निकाल दीजिये कि किसकी जिम्मेदारी है। फिर आप जो करना चाहें करें और न करना चाहें तो वह न करें। वैसे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है........

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : चेयरमैन महोदय, कोरम नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आज दूसरी प्रोब्लम आती है वह प्रोब्लम सिटी के डेवलपमेंट के सिलसिले में आती है

(गणपूरक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितनी ही बात कोई करे....

श्री जयनारायण सालोदिया : कोरम नहीं है हाउस में।

(कुछ माननीय सदस्यों के आने से गण-पूर्ति)

श्री बालकृष्ण कौल : एप्रोप्रियेशन बिल मान लिया जाय, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, आपसे हम दुगुने बैठे है।

श्री बालकृष्ण कौल : किस बात का ?

श्री जयनारायण सालोदिया : हम हमारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जितनी जिम्मेदारी आपको महसूस करनी चाहिए उतनी ही जिम्मेदारी हम महसूस करते हैं। लेकिन आप बहुमत में हैं और हम अल्पमत में हैं, लेकिन आपके बहुमत में हमारी आवाज घुट जाती है। कोरम की घंटी में हमारी आवाज घुट जाती है वैसे। मैं आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहता हूं....

श्री बालकृष्ण कौल : इधर बैठने वालों के लिए एप्रोप्रियेशन बिल पास्ड है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह कल्पना करके हम चलते हैं...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : हम समझते हैं कि आप इस तरह कह कर डेमोक्रेसी का सत्यानाश करते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य दस दफा कह चुके हैं कि वे ऐसा मान कर चलते हैं कि यह पास होगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : मजबूरी में यह धारणा बना लेनी पड़ती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ? मैं अपने तीन वर्ष के अनुभव में देखता आया हूं, यह पास हुआ करता है और आज भी पास होगा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : होगा । इसमें क्या है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । मौजूदा सूरत में कुछ रुपया डेवलपमेंट के लिए रख रहे हैं। इस डेवलपमेंट के सिलसिले में कितनी बार आश्वासन दे चुके हैं और हमेशा हमें कहते हैं कि सिटी का मास्टर प्लान तयार करवा चुके है और इस मास्टर प्लान में यह योजना ली जायेगी। यह राजस्थान सरकार हर बार वायदा करती है, लेकिन आपका वायदा पूरा होता नजर नहीं आता...

श्री बरकतुल्ला खां : मास्टर प्लान बन गया है । स्क्रुटिनी कमेटी के लिए नोटिस निकाल रहे हैं। कमेटी बैठी है। इस पर जो पब्लिक ओपीनियन लेनी है वह ले लें। वैसे सब तैयार है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सभापति महोदय, यह उत्तर आज ही नहीं सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : पांच-छः साल हो गये ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह वायदा हम बराबर सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन उसको कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से, उस पर एकमत लेने के दृष्टिकोण से,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उसको एग्जीक्यूट करके कम्प्लीट करने के दृष्टिकोण से कितने स्टेप्स ले लिये हैं, इसको बताने की चेष्टा कीजिये । आप जो रुपया खर्च करते हैं उसमें एक अजीब तरीका है । आपको गटर लाइन बनानी होती है, लेकिन उसके पहले ही सड़क बना दी जाती है और बाद में जब गटर लाइन डालने का सवाल आता है तो उस सड़क को तोड़ने की कार्यवाही करते हैं । बजाय इसके एक बार खर्च हो ओर डबल खर्च नहीं हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए । लेकिन आपकी इस प्रकार की पॉलिसी चलती है । एक तरफ आप प्लानिंग पर जोर देते हैं और दूसरी ओर आप अनप्लान्ड वे में बढ़ना चाहते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है । मैं कहता हूं कि करोड़ों रुपये खर्च करने का अधिकार आप लेते हैं उसको सही मायने में खर्च करने की चेष्टा कीजिये ।

प्लानिंग के बारे में मैं एक-दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं । आपकी जो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, सबसे पहले, हमारा देश जब आजाद हुआ था, तब सुनहरी बातें और सुनहरे सपने आपने बताये थे । इसके आधार पर आपने बताने की चेष्टा की थी कि देश आजाद हो जाने के बाद में आप पांच-दस साल में इतनी उन्नति, इतना डेवलपमेंट कर देंगे ओर उससे इतना आउट पुट मिलेगा कि उसके परिणाम-स्वरूप देश के अन्दर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इन्कम फोरिन और दूसरी जगह के बराबर लाकर हम छोड़ देंगे, हमारे कर्मचारियों की स्थिति सुधार दी जायगी और देश के किसानों की स्थिति सुधर जायगी, मजदूर वर्गों की स्थिति को सुधारा जायगा । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ये पंचवर्षीय योजनायें विफल होती जा रही हैं, ये आपकी पंचवर्षीय योजनायें फेल होती जा रही है । इनको आप बदल दीजिये और पंचवर्षीय योजनाओं के सारे मसले और योजनाओं में आप एक परिवर्तन लाने की चेष्टा कीजिये । यदि योजनाओं के आधार पर ही चलना है और इस बात को इम्प्रेस करना चाहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उन्नति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो योजनायें आप सात वर्ष की बना दीजिये, नौ वर्ष की बना दीजिये । लेकिन आप जिस काम को हाथ में लेकर चलाना चाहते हैं उसको पूर्ण करने की चेष्टा कीजिये ।

मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं, पंचवर्षीय योजना में आप एक बांध के निर्माण के सिलसिले में कोई योजना बनाते हैं या किसी दूसरी चीज के लिए योजना बनाते हैं, तो उसके लिए किसी अमुक धन-राशि को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं । लेकिन कई इस प्रकार के कारण उत्पन्न हो सकते है, उन कारणों से चूंकि योजना आपकी सीमित है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के आधार पर आप सारे आइटम्स को लेकर चलना चाहते हैं । आप स्वयं जानते हैं कि इस योजना को कार्यान्वित करने में, पूर्ण करने में इतने समय की आवश्यकता होती है । या कोई फाइनेंशियल डिफीकल्टी आती हैं, जिनके सबब से योजना में दिक्कत आती

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

हैं, जिसके कारण सही मायने में आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते और आपके मार्ग में रोड़े अटकते हैं । तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा प्लान हो सकता है, जो काम एक साल में पूरा करने का, होगा वह एक साल में पूरा हो । इसके अलावा कोई तीन साल का, कोई चार साल, कोई पांच साल और कोई सात साल का जिस प्रकार का काम हो, उसी प्रकार की, आपकी योजना है । जिस काम पर जितने व्यय की आवश्यकता होती है, उसका सही मायने में अनुमान लगाने के पश्चात्, पूर्ण रूप से निश्चय करने के पश्चात् ही उस काम को हाथ में अगर लेते हैं, तो उसमें दिक्कत पैदा नहीं हो सकती है । लेकिन आप ऐसा न करके कहते हैं, यह पंचवर्षीय योजना हमने बना दी इसमें इतने आइटम्स शामिल कर लिये हैं और इतने आइटम्स दूसरे में शामिल करने पड़ेंगे । उसका परिणाम यह होता है, आप एक काम को पूरा नहीं कर सकते और आप जिस काम को लेना चाहते हैं उस काम की चिन्ता आपके दिमाग में सवार रहती है, "धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का ।" इस स्थिति में आप योजना को बनाना चाहते हैं । आप किसी योजना को ले लीजिये और उस योजना को पूर्ण करके आगे चलिये और आउटपुट को ध्यान में रखिये ।

दूसरी जो इम्पोर्टेन्ट बात इस योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि नई योजनाओं में खर्च करने के लिए बढ़ रहे हैं । बहुत अच्छी बात है । मैं नहीं कहता, उन्नति के लिए रुपया खर्च कीजिये; उसकी मैं आलोचना नहीं करता हूं । अलोचना तब होगी जब रुपये का दुरुपयोग होगा । आप 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' वाले सिद्धान्त को न मानकर अपने तबके के लोगों का पेट भरना चाहेंगे, अपने तबके के लोगों को आश्रय देना चाहेंगे, तो जनता को उससे दुःख होगा; जनता क्या, दुनिया आपको गालियां निकलेगी, समाज आपको गालियां निकालेगा, इसमें किसी के हाथ की बात नहीं है । यह आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि पुराने जमाने में डेवलपमेंट का काम भी होता था जब से शासन चला आ रहा है, स्टेटों के जमाने को ले लीजिये या ऐसे ही जो उससे पहले से चले आ रहे हैं, क्या कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है ? पुराने जमाने में भी डेवलपमेंट के काम होते थे । आप योजना के नशे में इतने अन्धे हो गये हैं कि पुराने साधनों में, इरिगेशन, इलेक्ट्रिक और पानी की सप्लाई करने के इन सारे साधनों में क्या डेवलपमेंट होना चाहिये, क्या खर्चा करने के बाद उसको सही माने में मेन्टेन करके आगे चलना चाहिये, आप उसको भूल गये । उसका परिणाम क्या हुआ ? उसका परिणाम यह हुआ कि आप रुपया फिजूल खर्च करते जा रहे हैं और जो रेवेन्यू उन साधनों से आपको मिलती रही वह बन्द हो गई । मान लीजिये एक छोटी सी नहर है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट और ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस छोटी सी नहर को मेन्टेन करते हुए अगर आप चलते रहते और मान लो कि उससे २००) या ५००) रु० सालाना आमदनी बराबर आती रहे और उस पर आपने पांच-सात साल तक कुछ लगाया नहीं। अब आप उसके लिये २० हजार रुपया चाहते हैं। आपको करोड़ों रुपया योजना के लिये चाहिये इसलिये जब कभी इस प्रकार की नहरों के लिये कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, तो उनको आपकी तरफ से जवाब मिलता है कि अर्थाभाव के कारण सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती। मैं यह कहूंगा कि यह दिवालिया सरकार कैसे बनी और किसकी गलती से यह सरकार दिवालिया बनी, क्या इसको जानने की कभी कोशिश किसी ने की? मगर मैं यह कहूंगा कि इसको जानने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। क्योंकि चोर के पांव हमेशा कच्चे होते हैं। वह हर वक्त इधर-उधर देखता रहता है और अगर खुद की परछाई उसको नजर आती है तो वह उससे भी भयभीत हो जाता है। इसका जवाब किसको दिया जावे? तो यह एक मामला है। मैंने आपके सामने चार पांच मांगें रखी हैं; उनको मैं फिर आपको दोहरा देना चाहता हूं क्योंकि आप कहीं उनको भूल न जावें :

(१) आप हमारे यहां पर स्कूलों का इन्तजाम कर दीजिये।

(२) शफाखाना और खोला जाए। एक और खोला जाए क्योंकि यहां पर पोपुलेशन बढ़ गई है, उसको देखते हुए लोगों को दवाइयें आदि नहीं मिलती है, इसलिये इसका भी प्रबन्ध किया जावे। इतना सा इन्तजाम आप कर दीजिये।

(३) शहरों की सारी सड़कें टूट गई है। आपने उन पर एक पैसा खर्च नहीं किया है, आप उन पर थोड़ा खर्च कर दीजिये और सड़कों को ठीक करवा दीजिये।

(४) पीने के लिये पानी की व्यवस्था करें। आप खाने के लिये अन्न की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम पीने के लिये पानी की व्यवस्था तो आप करें। कई पूजा-पाठ करने वाले ब्राह्मण को सुबह पानी नहीं मिलता। मेरे जैसे को तो नहीं मिलता तो भी चल सकता है।

ये सब आपके जमाने में होता है। आप सब रुपया दबा कर बैठे हैं। हम पर भी आप कुछ कृपा करिये। हमने कोई अन्याय नहीं किया है। पोलिटिकल आन्दोलन तो हमेशा होते आये हैं। आप दबाते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि आप इस प्रकार की गांठ बांध कर क्यों बैठे हैं? अगर कोई आन्दोलन करने के लिये खड़ा हो जावे तो आप उसको इतना कुचलने की ताकत रखते हैं कि उनको पीने के लिये पानी नहीं देते, खाने को अन्न नहीं देते, उसको किसी प्रकार की कोई फेसिलिटी नहीं देते, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आपकी यह प्रजातन्त्रात्मक सही प्रणाली नहीं है और सही माने में यह समाजवाद नहीं है।

अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न रखता हूं जो अनुसूचित जातियों के बारे में आता है। उसमें जयपुर नगर का प्रश्न है, मुझे

(श्री दुर्गालाल बागदार)

सूचना है; मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उनके छात्रों के लिये कौन से छात्रावास की जयपुर मे व्यवस्था की है ? ऐसी आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। यह एक छोटी सी मांग है, आप अरबों रुपया खर्च करते हैं। हम गरीबों पर भी लाख-दो लाख रुपया खर्च कर दीजिये और जिस तरह से आप राज्य करना चाहते हैं, यह वक्त है, घर में आपसे कहते हैं कौल साहब, आपको सुनना चाहिये। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं ;

"दे जो कुछ दे मोहताज को अब भी वक्त है।"

वक्त निकल जावेगा, आप क्या तलाश करेंगे ? किसको देंगे, कौन आपसे आकर कहेगा। यही मौका है जब तक आप कुर्सी पर बैठ हैं आपसे कहते हैं। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी आपको करना है कर लीजिये। कल वक्त निकल जावेगा और वक्त निकलने के बाद कौन आपसे आकर कहेगा। वक्त न भूलिये। अगर आपको कुछ करना है हमारे लिये तो आप करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, इस बिल पर मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाये हैं और टैक्स लगा कर जो गरीब जनता है सारे हिन्दुस्तान में, उससे हमारे यहां राजस्थान की जनता पहले से ही काफी पिछड़ी हुई है और माननीय मन्त्री, फाइनेन्स मिनिस्टर इस प्रकार से जनता पर टैक्स लगा कर उसको और भी पिछड़ा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं, राजस्थान सरकार यह चाहती है कि यहां से लोग निकल कर दूसरी दूसरी जगह, दूसरे-दूसरे प्रान्तों में चले जावें और राजस्थान के लोग भी जो पहले पिछड़े हुए तो हैं ही, अब और पिछड़ जावेंगे। परन्तु सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अब अलग अलग प्रान्तों में प्रान्तवाद फैल गया है और वहां पर जो राजस्थान प्रान्त के लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी चल रही है। इसलिए राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात करके, जैसे कि सेन्टर के अन्दर आज दूसरे प्रान्त में जितनी इन्डस्ट्रीज लगी हैं, जितनी सड़कें बढ़ी हुई हैं, जितना बिजली का विकास हुआ है, जितने बांधों का विकास हुआ है, उतना अभी तक राजस्थान में नहीं हुआ है। यह बात जरूर है कि विकास हुआ है, परन्तु जिस तरह से दूसरे प्रान्तों में, आज विकास होकर जो पिछड़े हुए लोग थे वे आगे बढ़े हैं उसी तरह से राजस्थान में भी आगे बढ़ने चाहिएं, वे आगे नहीं बढ़े हैं। आज राजस्थान के अन्दर जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इतना लोन सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार दोनों ने सेंक्शन किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया है, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है और जैसा कि मुझे मालूम है आज उतना पैसा खर्च नहीं हुआ है, मुमकिन है फाइनेन्स मिनिस्टर को पैसों के फीगर्स मालूम हों, कागजों में हों, लेकिन प्रेक्टिकल चीज को

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

देखा जावे तो मैं यह मान कर चलता हूं कि इस डिपार्टमेंट से लोगों को लोन मिलता है, वह उन्हीं लोगों को मिलता है जो अमीर आदमी हैं और लोन लेने के अधिकारी नहीं हैं और लोन लेने का कोई अधिकार नहीं रखते। वे खुद ऐसे हैं जो दूसरों को लोन देते हैं। परन्तु जिन लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिलना चाहिए उनको कोऑपरेटिव विभाग की ओर से रुपया नहीं मिलता है, जिससे गांवों में फायदा होना चाहिए नहीं हुआ है। इसी तरह से आज किसी में पांच वर्षों से, किसी में ६ वर्षों से और किसी में १० वर्षों के लोन अभी बाकी पड़े हुए हैं। आज राजस्थान में लोन के लिए यह कानून है कि पिछले साल का लोन दूसरे साल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को वसूल कर लेना चाहिए। परन्तु मैं राजस्थान सरकार की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का लाखों रुपया जिन लोगों को दिया गया है वह वापिस आने की स्थिति में नहीं है।

(२. म. प.)

वैसे ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बैंकों का जो लोगों ने लाखों रुपया लेकर रखा है, वह भी वापिस आने की स्थिति में नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह लाखों रुपया वापिस वसूल करने की उसने क्या व्यवस्था की है? जिन लोगों के पास बड़े बड़े सोर्सेज थे, उन लोगों को राजस्थान सरकार ने रुपया दिया, वह रुपया आज वापिस आने की स्थिति में नहीं है, तो राजस्थान सरकार उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

राजस्थान के अन्दर क्रय विक्रय संघ बनाया, उसमें राजस्थान सरकार ने बिजनेस का तरीका अपनाया। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो बिजनेस का तरीका अपनाया, पर क्रय विक्रय संघ द्वारा जो बिजनेस हुआ वह राजस्थान सरकार और राजस्थान के सभी लोगों को मालूम है कि क्रय विक्रय संघ से जनता को फायदा हुआ या आज फायदा हो रहा है। राजस्थान सरकार का क्रय विक्रय संघ के द्वारा जितना बिजनेस हुआ, कन्ट्रोल के पैमाने पर जितना काम हुआ उससे जनता में जितनी दिक्कतें बढ़ी, जितनी परेशानियां हुई उतना आराम नहीं मिला है। मैं राजस्थान सरकार की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि गुड़ का राजस्थान क्रय विक्रय संघ ने काम किया, उस वक्त के हालात और आज जो हालात हैं, उनका मुकाबला किया जाय, राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता दोनों हालात को अच्छी तरह से जानती हैं। गुड़ का, शक्कर का, चीनी का जिस समय क्रय विक्रय संघ ने बिजनेस किया उस समय क्या भाव था और आज गुड़ का क्या भाव है, चीनी का कन्ट्रोल किस तरह से है और क्रय विक्रय संघ किस तरह से काम कर रहा है; यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है।

आज खाद का काम क्रय विक्रय संघ के हाथ में है, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पहले जो खाद के वितरण का काम था वह पंचायतों और

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पंचायत समितियों के आधार पर था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस काम को करता था। क्रय विक्रय संघ के हाथ में खाद का काम जाने के बाद खाद के मामले में किसानों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है।

मेरी कोटपुतली की बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जब खाद की आवश्यकता किसानों को पड़ी तो क्रय विक्रय संघ और पंचायत समिति में, इन दोनों में, मेल नहीं हो सका और इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को खाद नहीं मिला, किसानों के खाद लेने का समय चला गया और खाद लेने का समय बीत जाने के काफी समय बाद, काफी कोशिशें करने पर उस बात का फैसला हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रय विक्रय संघ के हाथ में खाद का काम आने से किसानों को बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कतें हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने आज किसानों पर और दूसरे लोगों पर कई तरह के टैक्स लगाये हैं, सेल्स का अलग टैक्स, पंचायतों वाले और अलग टैक्स लगाते हैं, मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक तरह का टैक्स लगाना चाहिये जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। माननीय मंत्रीजी देखेंगे कि फोरिन कन्ट्रीज में किस तरह से टैक्स लगाते हैं; मैं यह नहीं कहता कि वहां टैक्स नहीं लगाते, टैक्स वहां भी लगाते हैं; पर इस तरह से टैक्स नहीं लगाते। यहां तो आज यह टैक्स लगा दिया कल दूसरा टैक्स लगा दिया, जहां म्युनिसिपल एरिया है वहां हाउस टैक्स लगा दिया, ऑक्ट्रोय लगा दिया, तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक ही टैक्स राजस्थान में हो और उसे राजस्थान सरकार वसूल करे तो ज्यादा अच्छा हो। यहां जयपुर में म्युनिसिपैलिटी के टैक्स अलग हैं, सेल्स टैक्स अलग हैं, दूसरे टैक्स अलग हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ५ मिनट तो और दो, साहब।

मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान सरकार एक ही टैक्स लगावे। म्युनिसिपैलिटीज़ को जब सब्सिडी देती है, लोन राजस्थान सरकार देती है तो फिर म्युनिसिपैलिटी द्वारा और टैक्स क्यों लगाये जाते हैं? म्युनिसिपैलिटी द्वारा टैक्स लगाने के कारण जनता परेशान है। म्युनिसिपैलिटी से बाहर रहने वाले किसान, काश्तकार लोग लकड़ी बेचने बाजार में आते हैं, पत्थर बेचने वाले आते हैं, और चीजें बेचने वाले आते हैं, वे लोग परेशान हैं, कोई चीज यहां से जावे तो परेशान और कोई चीज यहां पर आवे तो परेशान। तो मन्त्रीजी इस पर सोचें-समझें और विचार करें कि इस तरह से अलग अलग टैक्स लगाना उचित नहीं है, म्युनिसिपैलिटी अलग टैक्स लगावे, पंचायतें अलग

Page No 74

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

टैक्स लगावे, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अलग टैक्स लगावें, मोटरों का डिपार्टमेंट अलग टैक्स लगावें, इस तरह जो अलग अलग टैक्स कर रखे हैं, उनसे लोगों को परेशानी होती है, इनके बजाय एक ही डिपार्टमेंट टैक्स लगावे तो ज्यादा फायदा होगा।

राजस्थान सरकार ने मोटर वालों को परेशान कर रखा है, टोकन कोई देता है, तो टैक्स कोई और ही वसूल करता है, यह बहुत गलत बात है। हमारे जयपुर स्टेट के जमाने में जो टोकन देते थे वे ही टैक्स वसूल करते थे। टोकन देने वाले और टैक्स वसूल करने वाले दोनों एक थे। तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स को एक करे। दोनों डिपार्टमेंट्स को एक डिपार्टमेंट नहीं किया जायगा, तब तक राजस्थान सरकार का टैक्स वसूल नहीं होगा। जब तक सीटों पर टैक्स नहीं लगायेंगे तब तक जनता परेशान रहेगी। कहीं तो नेशनलाइज कर देते हैं और कहीं नेशनलाइज नहीं करते, इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि एक रूट जिसको नेशनलाइज करना है, उस पूरे रूट को नेशनलाइज करना चाहिये। उस रूट के बीच के आसपास के गांव पड़ते हैं उनमें तो नेशनलाइज करें नहीं, थोड़ी दूर तक नेशनलाइज कर दें, इससे जनता को परेशानी होती है। जहां नेशनलाइज नहीं होता, वहां भी परमिट इश्यू नहीं करते, उसके लिये भी सरकार सोचे। या तो नेशनलाइज करें या परमिट इश्यू करें, ताकि जनता की तकलीफे दूर हों। आज किसान और दूसरे वर्ग सोचते हैं कि ज्यादा समय खर्च नहीं हो, पहले पैदल या ऊंटों पर चले जाते थे, पर आज गाड़ी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, ताकि घर वापिस जल्दी ही पहुंच जायें। तो राजस्थान सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये और तय करना चाहिये कि अभी राजस्थान में नेशनलाइजेशन नहीं होगा तो फिर कब होगा? जब राजस्थान सरकार सोचे कि इसको अब नेशनलाइज करना है, इस रूट को दो साल बाद नेशनलाइज करना है, इस रूट को ३ साल बाद नेशनलाइज करना है, यह सब सोच कर तय करे और जहां लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो उन दिक्कतों और जनता की परेशानियों को दूर करना चाहिये और जनता को फायदा पहुंचाना चाहिये।

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और।

श्री सभापति : काफी समय हो चुका है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): कोई सुनता नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये दीवारें तो सुनती हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान केनाल बनाई गई और उसको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दे रहे हैं, अच्छा है, खुशी की बात है; पर अगले साल दो लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी उसका वितरण अभी हुआ नही

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

है, उसको राजस्थान सरकार नीलाम करना चाहती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस भूमि को जल्दी से किसानों में वितरण करके, जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे तो अच्छा रहेगा। पंचायती राज्य के अंदर घोटाले की बात कही जाती है और पंचायती राज्य के अन्दर जिस तरह से रुपया खर्च हो रहा है वह ठीक है, परन्तु छोटी छोटी पंचायतें बनाई और उन पंचायतों के अन्दर जो परेशानी और दिक्कत है या पंचायत एक्ट बनाया, आज पंच, सरपंच और प्रधान उसके लिए भी राज्य सरकार को विचार करना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं या जो प्लानिंग राज्य सरकार ने बनाई है, इसके पास रिपोर्ट नहीं है कि कितने कुएं चाहिए, किस जगह स्कूल चाहिए, किस जगह स्कूलों के लिए मकानों की कमी है, सरकार के पास पूरे फीगर्स नहीं हैं कि किस इलाके में सड़कें होनी चाहिएं, किसमें नहीं होनी चाहिए, इस इलाके के अन्दर बांध बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से और विभाग हैं, जिनका पूरी तरह से सर्वे नहीं हुआ है। आज राजस्थान सरकार के पास सारे राजस्थान की हर चीज की पूरी सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए और वह जब तक नहीं होगी तब तक सरकार को पूरा पता नहीं लग सकेगा और जो उन्नति हो रही है, वह एकदम जल्दी होनी चाहिए, जिससे कि राजस्थान, जो इतना पिछड़ा हुआ है और पिछड़े हुए लोग हैं, वे आगे बढ़ें।

शिक्षा पर भी वित्त मन्त्री इतना रुपया खर्च करते है। यूनिवर्सिटी के अन्दर जो एक्ट बना है, उसमें काफी परेशानी है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के लड़कों के तीस नम्बर ज्यादा बढ़ाए और जयपुर यूनिवर्सिटी ने नहीं बढ़ाए, उदयपुर यूनिवर्सिटी ने नहीं बढ़ाए। एक यूनिवर्सिटी और खुलने जा रही है, तो मेरी समझ में नहीं आता की यूनीवर्सिटी तो खुल रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं है और प्राइमरी स्कूल जो नींव हैं, सरकार ने बिल्कुल उसको खड्डे में डाल रखा है, सरकार को चाहिए कि जो छोटे बच्चों की शिक्षा है, वह तो उच्च स्तर पर लेनी चाहिए और ये जो स्कूल पंचायतों को दे रखे हैं वे बिल्कुल नहीं देने चाहिए। पंचायतों को शिक्षा का काम देकर राज्य की जो उन्नति हो रही है उसमें अवनति का मार्ग सरकार ने सोच रखा है। शिक्षा का काम तो सरकार के पास ही रहना चाहिए।

इसके अलावा शिक्षा विभाग के अन्दर सीनियोरिटी और दूसरे कामों की परेशानी है। आज राजस्थान के अंदर हजारों और लाखों डेप्यूटेशन पर खर्च करती है। हर विभाग के अंदर मिनिस्टर या एम० एल० ए० ने कहा तो किसी का ट्रांस्फर कर दिया और डेप्यूटेशन पर भेज दिया, यह काम बंद होना चाहिए। यह वित्त मंत्री का काम है कि एक सर्क्यूलर निकाल दें कि तीन साल तक ट्रांस्फर नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि दो-दो महीने, तीन-तीन महीने और एक साल में ५–१० ट्रांस्फर होते हैं, तो वह पैसा फिजूल जाता है। जब तक वित्त मंत्री कड़ाई से ध्यान नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। वेटनिरी विभाग के अन्दर जो सीनियोरिटी....

श्री सभापति : आप काफी समय बोल चुके हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : प्रमोशन का काम वहां नहीं किया, तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान सरकार द्वारा एक अरब और ६१ करोड़ का जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि इस सारी धन-राशि का असर राजस्थान के उस वर्ग पर भी पड़ने वाला है, जिस वर्ग को हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से पुकारते हैं, जिनकी राजस्थान में कुल आबादी ६६ लाख की है, जो हमारे सारे खर्चे की योजना का एक मुख्य आधार बनता है और राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में १।४ संख्या इस प्रकार के वर्गों की है, जिसको हम पिछड़ा हुआ वर्ग मानते है । हमें इस विनियोग विधेयक पर विचार करने से पूर्व इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने इन पिछड़े वर्गों की स्थिति की जानकारी के लिए किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया । १९६१ के अन्दर इन पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए स्टेटिस्टिकल विभाग ने सर्वे किया था, लेकिन वह सर्वे भी प्रकाशित नहीं कराया गया और शायद इसलिए नहीं कराया गया कि उस सर्वे की जानकारी में कुछ इस प्रकार के तथ्य थे जिन तथ्यों को सरकार खुले रूप से स्वीकार करे, तो इस बात को मजबूरन मानना पड़ता कि १९४७ से लेकर १९६१ तक इन पिछड़े वर्गों की हालत सुधारने का जो संकल्प लिया था उस संकल्प में नाम मात्र की भी सफलता नहीं मिली ।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग, जो इन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए ही गठित हुआ, उस विभाग के द्वारा भी इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया । इस सबका मतलब यह हुआ कि हमारी राज्य सरकार खर्च भी कर रही है, योजना भी बनाते हैं, स्कीम्स को भी क्रियान्वित करने की कोशिश करती है, लेकिन उन सबका इम्पेक्ट उन जातियों पर क्या पड़ा, इस बात की प्रमाणों सहित कोई जानकारी नहीं मिली, सरकार उसको छिपाने की कोशिश करती है । अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने दो सर्वे कराए, दोनों ही डूंगरपुर जिले में करवाए । एक तो इस बात का सर्वे कराया गया कि इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर कितना कर्जा है, किस प्रकार कर्जा है और कर्जा किन कामों के लिए लिया गया है और दूसरा सर्वे राजस्थान में सागड़ी प्रथा को समाप्त करने के बारे में । इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून अवश्य बनाया, लेकिन इसका असर कितना हुआ है ? ये दोनों सर्वे हुए । मैं उन दो सर्वेज़ के आधार पर इस सदन में सूचना देना चाहूंगा कि वह सर्वे १७ गांवों में किया गया, २२२ परिवार कवर किए गए, उनमें १८६ शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ३३ शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे, इनकी कुल फेमिली मेम्बर्स की

(श्री भैरोंसिंह)

संख्या १४८६ और एक ऐवरेज हाउसहोल्ड का साइज़ ६-७, एग्रीकल्चरल प्रोफेशन और बाकी के प्रोफेशन्स में ६६ परसेंट लगे हुए हैं।

इन लोगों के पास २,७६५ बीघा भूमि काश्त की और परिवार की संख्या के आधार पर प्रति हाउसहोल्ड १२.५६ बीघा जमीन एक परिवार के हिस्से में आती है। अब १२.५६ बीघा जमीन एक परिवार के हिस्से में आती है, तो उससे स्वाभाविक रूप में हमारे सामने एक समस्या बनी रहती है कि इतनी कम मात्रा में भूमि यदि उनके पास है, तो इस भूमि से वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं या नहीं ? उसमें भी उस सर्वे में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख यह किया गया है कि २२२ हाउस होल्ड हैं, उनकी पूरी इन्कम १.४३ हजार और खर्चा १.३६ हजार। इस इन्कम के अन्दर ८६ हजार कर्ज का है। अब एक आदमी की आमदनी पर केपिटा ६६ और पर केपिटा एक्स्पेन्डीचर ६३ होता है और आमदनी जो परकेपिटा है, ६०.०७ यह एक आदमी पर कर्ज का है। ये आंकड़े हैं। अब यदि यह कर्जा किन कामों के लिए लिया गया है इसका भी इसमें उल्लेख आया है। किनने दिया है इसका भी इसमें उल्लेख आया है। कुल कर्जा है ८७,४४६) । २२२ फेमिलीज़ ने लिया। मनी लैन्डर्स से ७७,० ७०), गवर्नमेंट से लिया ४६६६) कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लिया ७७६८) रु० । इसके अन्दर जो सबसे बड़ी बात देखने की है वह यह है कि यह कर्जा लिया किस काम के लिए ? कर्ज दिया गया है प्रोडक्टिव पर्पज़ेज़ के लिए और नोन प्रोडक्टिव पर्पज़ेज़ के लिए। प्रोडक्टिव पर्पज़ेज़ के लिए २१,४८१ और नोन प्रोडक्टिव कामों के लिए ६७,६६५।

अब मैं यहां यह बताना आवश्यक समझूंगा कि आज हमारी राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि पिछड़े वर्ग को जो कर्जा देते हैं वहां इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पिछड़ा वर्ग प्रोडक्टिव कामों के लिए कर्जा अधिक ले और नोन प्रोडक्टिव कामों के लिए कम ले। सन् १६५६ में इनके डिपार्टमेंट ने इस विषय का सर्वे कराया, उसके आधार पर यह बताया कि ७६ परसेन्ट कर्जा नोन प्रोडक्टिव मेथड्स के लिए लिया जाता है लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब यह पर्सेन्टेज़ बढ़ गया और यह पर्सेन्टेज़ बढ़ कर इतना बढ़ गया कि जो हम सबके लिए एक चिन्ता का कारण बन गया है। ८२ परसेन्ट तक यह सारी की सारी उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। उस हालत में हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि आखिर ये कर्ज ले रहे हैं, वह किन कामों के लिए ले रहे हैं ? कर्जा लेने में जो जो आइटम्स उसमें शामिल किये हैं, उनका उल्लेख बाद में करना चाहूंगा। ४८ एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिये, १.०४ रीपेमेन्ट .. ऑफ एन्सेस्ट्रल डेट और ५० परसेन्ट डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिये। जब ७६ परसेन्ट कर्जा नोन प्रोडक्टिव पर्पज़ेज़ के लिये लेते थे उस वक्त हालत यह थी कि राजस्थान के अन्दर किसानों के सामने खाने की समस्या थी,

(श्री भैरोंसिंह)

कपड़े की समस्या थी और अन्य घरेलू काम, उनको पूरा करने की समस्या थी। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ी है और बढ़ने का कारण यह हुआ है कि लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये कर्जा कम लिया और नोन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये कर्जा ज्यादा लिया। इसी प्रकार पहले एक हाउस होल्ड पर कर्जा २१०) था और अब कर्जा आज एक हाउसहोल्ड पर ३६०) रु०। कर्जा भी प्रति परिवार के हिसाब से बढ़ा, प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ा, नोन एग्रीकल्चर और नोन प्रोडक्टिव कामों के लिये कर्जा लेने की तादाद बढ़ी। इसका परिणाम आगे चल कर क्या होता है? लोग कर्जे से दब कर, जिस चीज के लिये कानून बनाया कि राजस्थान में सागड़ी प्रथा नहीं रहनी चाहिये वह बराबर कायम रह रही है और अधिक तादाद में यह स्थिति बन रही है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस विभाग का कोई मन्त्री यहां हाउस में मौजूद नहीं है। एप्रोप्रियेशन बिल का यह मतलब नहीं है कि सम्बन्धित विभाग के मन्त्री सदन में मौजूद न रहें और केवल वित्त मन्त्री ही यहां बैठे रहें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : ये जो आंकड़े दिये हैं आपने, आपका सवाल मैं उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पोस्ट ऑफिस का काम आपसे नहीं करवाना चाहता। मिनिस्टर जिनकी डिमान्ड पर यहां सदन में चर्चा करने का मौका नहीं मिला है, उन्हें यहां सदन के अन्दर उपस्थित रहना चाहिये था। कोई भी अन्य मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं है और सम्बन्धित मन्त्री भी नहीं है, इसलिये इस प्रोटेस्ट में मैं बैठता हूं और आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको बुलायें।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : किस मिनिस्टर को बुलायें?

श्री भैरोंसिंह : जिस मिनिस्टर को चाहें। यहां सब ही मिनिस्टरों को उपस्थित रहना चाहिये। यह कोई तमाशा नहीं है कि सब मिनिस्टर गायब रहें हाउस में, जब कि सदन की कार्यवाही चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : समाज-कल्याण मन्त्री?

श्री भैरोंसिंह : समाज कल्याण मन्त्री या जो भी हों।

श्री परसराम मदेरणा : समाज कल्याण विभाग के मिनिस्टर आज नहीं आये हैं, उनसे सम्बन्धित विषय समाज कल्याण, लेबर और अलाइड मैटर्स के बारे में मैं ध्यान से सुन रहा हूं और उनका उत्तर मैं दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप उनके डिप्टी मिनिस्टर हैं?

श्री परसराम मदेरणा : उनका तो नहीं हूं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रियों का हाउस में, जब डिस्कशन चल रहा है तो रहना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : जब मन्त्री लोग बोलेंगे हम भी हाउस में नहीं बैठेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने से क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सम्बन्ध में आसन से कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है कि मंत्री महोदय यदि बैठे हुए हों तो वे उस सम्बन्ध में जबाब दे देंगे और वह काफी है। उस हालत में माननीय सदस्य का प्रोटेस्ट में बैठना कहां तक उचित है ? जब जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है और एक मिनिस्टर बैठे हैं और व्यवस्था आसन से दी हुई है, तो फिर उस स्थिति में यह उचित नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इस चेयर से यह व्यवस्था है। इस सदन को मान्यता देने के लिये यहां मिनिस्टर बैठें। सदन की जो मान्यता है और जो व्यवस्था है उसकी ओर तो गौर नहीं करते और कानूनी ढांचे को, बेजान ढांचे को चलना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम दो तो बैठे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम तनख्वाह १८ को देते हैं, केवल तीन को ही नहीं देते हैं। हम १८ को तनख्वाह देते हैं और उनको तनख्वाह मिलना भी इसी एप्रोप्रियेशन बिल में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेने वाले बैठे हैं। आपका प्रोटेस्ट विद्ड्रॉ कराइये।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि जो कर्जा लिया है वह कर्जा किस ब्याज से मिलता है ? ८६, ४४६ कर्जे का बताया। इसमें से सदन को यह सुन कर बड़ा दुख होगा कि २२,५१७) पर ७५ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट दिया गया, २०४० पर १५० परसेन्ट इन्ट्रेस्ट दिया गया। बाकी का कर्जा कोई ३७परसेन्ट पर है, १८ परसेन्ट पर है। और इतने भारी ब्याज पर रकम दी जा रही है, बावजूद इसके कि हमारी सरकार ने मनी लैन्डर्स बिल पास किया है। यह दुर्भाग्य है इस सरकार का और राजस्थान की जनता का कि हमारी इस निकम्मी सरकार ने एक साल पहले कानून पास करने के बावजूद भी रूल्स नहीं बनाये और इस कारण भी उस कानून का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। जब वह कानून सदन में प्रस्तुत किया गया था तो सब ही सदन के सम्माननीय सदस्यों ने इसकी बड़ी आवश्यकता महसूस की थी और सरकार को इस बात के लिए उलाहना भी दिया था कि उसने यह कानून देर से क्यों प्रस्तुत किया है ? उस कानून को सदन ने पास किया और इस राजस्थान की निकम्मी सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह)

सदन को यह विश्वास दिलाया था कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जावेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि डेढ़ वर्ष हो गया, कानून बन जाने पर भी डेढ़ वर्ष निकल गया, यह सरकार उस कानून को रूल्स बना कर इम्प्लीमेन्ट नहीं कर पाई, इससे बढ़ कर इस सरकार के लिए और क्या शर्म की बात हो सकती है ?

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कर्जदार परिवार हैं, अगर किसी प्रकार सरकार उनकी हालत थोड़ी देखे तो ताज्जुब होगा, इस राजस्थान की हुकूमत जिसमें १८ मंत्री काम करते हैं, हम जिनको तनख्वाह देते हैं, आज जिसने राजस्थान में एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी का ढांचा खड़ा कर दिया है, उस राजस्थान में लोगों की हालत किस प्रकार है। उस हालत को जांचने

(२. २९ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के लिए कर्जदार व्यक्ति किस प्रकार काम चलाता होगा, १७ गांवों में इस बात की जांच की गई है कि कितने सागड़ी हैं और कितने सागड़ी नहीं हैं। जब जांच की तो पता लगा कि १७ में से ७ में सागड़ी नहीं मिले, १० में मिले, ५६ व्यक्तियों की जांच की। एक एक व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ५३ व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्ज के कारण सागड़ी हैं और सारा अपना जीवन एक गुलाम के रूप में व्यतीत करते हैं। उसका ब्यौरा भी मैं बता दूं कि ५३ व्यक्तियों ने कितना कितना कर्जा लिया जिसके कारण गुलामी किये हुए हैं।

१५ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने १०० रुपये से कम कर्ज लिया है। ८ आदमी ऐसे जिन्होंने १०० से १५० तक का कर्जा लिया है। २४ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने १५० से ३०० तक का कर्जा लिया। ६ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने ३०० से ऊपर कर्जा लिया है।

आप इससे अन्दाजा लगाइये राजस्थान में १५ व्यक्ति ऐसे हैं जो १०० रुपये का कर्जा लेकर अब तक उसको नहीं चुका सके है, नहीं चुकाने के कारण दूसरा रोजगार नहीं कर सके है और इस कारण उनको गुलामी करनी पड़ रही है। जिस गुलामी को रोकने के लिए विधान सभा द्वारा कानून बनाया गया है। राजस्थान से सागड़ी प्रथा बन्द करने के लिए आज से तीन साल पहले कानून बनाया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस सागड़ी प्रथा के संबंध में जो कानून बनाया है, उसके अन्तर्गत कितने आदमियों का चालान किया गया। एक का भी चालान नहीं किया गया। इसका परिणाम यह है कि आज भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो गुलामी धारण किये हुए हैं। वह भी किन बातों के लिए कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हो तो बात दूसरी। लेकिन इन ५३ आदमियों में से २६ आदमियों ने शादी के लिए कर्जा लिया है। शादी के लिए कर्जा लेने का कारण उल्लेख किया गया, उसमें बताया गया है कि आजकल भीलों के अन्दर विशेष रूप से शादियां मंहगी हो गई हैं, लड़कियां मंहगी मिलती हैं, शादि का खर्चा बढ़ रहा है,

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिए २६ आदमियों ने कर्जा लिया है पुराने कर्जे को चुकाने के लिए ६ आदमियों ने कर्जा लिया है। अनाज खरीदने के लिए १० आदमियों ने कर्जा लिया। नोन प्रोडक्टिव काम के लिये तीन आदमियों ने कर्जा लिया। बुलेट्स के लिये तीन आदमियों ने कर्जा लिया, अदर प्रोडिक्टिव पर्पज के लिए एक आदमी ने कर्जा लिया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं, जो सर्वे किया गया उस सर्वे के अनुसार २६ आदमी सूद-खोरों के गुलाम बने हुए हैं। दस आदमी इस बात के लिये गुलाम बने हुए हैं, खाने-पीने के साधन उनके पास नहीं थे, इसलिये कर्जा लिया गया। खाने के लिए कर्जा लें और उस कर्ज के कारण गुलाम बन कर बैठे हों, राज्य सरकार के लिये, इस सुखाड़िया सरकार के लिए जिसकी प्रशस्ति में रात दिन गीत गाये जाते हैं शताब्दियां मनाई जाती हैं; सुखाड़िया सरकार के शासन-काल में इतना विकास हुआ, इतना इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा दिया; हर क्षेत्र में विकास कर दिया उस सरकार को कम से कम यह महसूस करना चाहिये कि इन सत्रह गांवों के अन्दर जिसका सेम्पल सर्वे किया गया है उनमें दस गांवों में आज भी सागड़ी प्रथा चालू है। ५३ लोगों में १० व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पेट भरने के लिए कर्जा लेना पड़ा है। आज इस कारण उनको गुलाम बन कर रहना पड़ रहा है, इससे बढ़कर हमारी सरकार के लिये शर्म की चीज नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य : शर्म आएगी, ऐसी बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री गृह) : यह कहां से लाये हैं?

श्री भैरोंसिंह : यह प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है जनहित में बताना नहीं चाहता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तब तो आपका कहना कोई आधार ही नहीं रखेगा।

श्री भैरोंसिंह : ये प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जनहित में बताना नही चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अखबार में आ गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि सदन का साधारण सदस्य प्रिविलेज का क्लेम नहीं कर सकता। यहां तो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ही प्रिविलेज का क्लेम कर सकते हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं मेरा निवेदन है कि प्रिविलेज क्लेम करने का उनको अधिकार नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सहमति प्रकट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हक है, जनहित की दृष्टि से नहीं रख रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम चाहते भी यही हैं ताकि जवाब देने का प्रश्न ही पैदा न हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी तो गुप्त रिपोर्ट को छपवाने की योजना है।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहले आपकी व्यवस्था हो जाय कि साधारण सदस्य भी क्या प्रिविलेज डोक्यूमेंट को पेश किया जाय या नहीं, इस बारे में प्रिविलेज क्लेम कर सकता है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो प्रिविलेज हो चुका। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप इस दिशा में विचार करेंगे कि एक शादी के लिये ३० आदमी गुलामी का जीवन व्यतीत करें। तीन वर्ष से ऊपर लगातार जो गुलामी में रहेंगे वे २३ आदमी हैं। इनको धन्धा क्या है क्या काम करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से नम्र निवेदन करूंगा, यह जो आप आंकड़े दे रहे हैं उस रिपोर्ट की बेसिस बता दें। यह मैं इसलिये कहता हूं कि जो कुछ सर्वे हुआ है वह सेम्पल सर्वे हुआ है या एट रेन्डम सर्वे है, इसका क्या बेसिस है ? सर्वे कराते वक्त क्या क्या कन्सीडरेशन्स किये गये; आदि बातें देखने की हैं। आप यदि बता दें तो जवाब देने में सहूलियत होगी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय जो जवाब देंगे उनको तसल्ली करा दूंगा कि ये सही आंकड़े हैं और गवर्नमेंट के आंकड़े हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं ही तसल्ली चाहता हूं। मैं ही जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : बाहर तसल्ली करा दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : बाहर तसल्ली कराने में दूसरा पक्ष एतराज करता है, उससे नुकसान भी होता है; तसल्ली करानी हो तो यहीं करवाइये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस डॉक्यूमेंट का आप हवाला देते हैं उसकी मांग होने पर भी आप सदन की टेबल पर नहीं रखते हैं तब हमारे से आप किस हैसियत से मांग कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं रखने का नहीं कह रहा हूं। आप इतना ही बता दें कि वह कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन से साल का है, किसके द्वारा वह सर्वे की गई है ? आप किसका उद्धरण कोट कर रहे हैं, यही बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं, यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का १९६४ का सर्वे है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो आप पहले बता देते।

श्री भैरोंसिंह : पहले बता देता, आप तो पान खाने में रहते हैं, सुनते नहीं हैं। आप यहां बैठे भी रहते हो तो मैं यह मानकर नहीं चलता कि आप बैठे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही मेरी आदत है आपके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : परस्पर माननीय मन्त्री और माननीय सदस्य एक दूसरे की उपस्थिति मानते नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो बहुत पहले ही तय कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति तो मानते है ?

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस की तरफ बैठने वाले कितने असत्य बोलते हैं यह तो इससे ही मालूम पड़ता है। हम दोनों बैठे हैं, फिर भी माननीय मन्त्री नहीं मानते हैं कि बैठे हैं जो गान्धीजी की सत्यता की बातें करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : By hypothesis he does not exist. By hypothesis I cannot be here.

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में माननीय सदस्यों को आइन्स्टीन की थ्योरी का प्रश्रय लेना पड़ेगा जिसके अनुसार एक पर्टीक्यूलर रेन्ज पर एक चीज दिखती है, दूसरी रेन्ज पर वह नहीं दिखती।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है, लेकिन वह थ्योरी पुरानी पड़ चुकी है। मैं नार्लिकर की थ्योरी को सजेस्ट करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप साइन्स की बातें कब से समझने लग गये ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कितने समय के लिये इस प्रकार सागड़ी सिस्टम में गुलाम बनकर रह रहे हैं उनको क्या क्या वेजेज मिलती है :

७ को साल में
१३ को १।५
४ को १।६
३ को १।७
११ को १।८
३ को १।९
७ को १।१०

२ को १।१८ क्रोप शियरिंग का हिस्सा मिलता है।

आपने टीनेन्सी लॉ लागू कर रखा है, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये वह लागू नहीं है। कितने आदमी कितने अर्से से काम करते हैं वह इस प्रकार है :

१ आदमी ६ माह
१४ आदमी ८ माह के लिये
२ आदमी १० माह के लिये

३६ आदमी १२ माह यानी पूरा साल भर काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान ने कानूनी रूप से सागड़ी प्रथा बंद करने का कानून पास किया है, लेकिन वह कानून केवल किताबों में ही लिखा हुआ है। लेकिन उसका अमल बिल्कुल नहीं हुआ है। अमल होने के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सागड़ी प्रथा बन्द करवाने के लिये जो कानून बना हुआ है, उसकी जानकारी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को १२ पर्सेन्टकी जानकारी है। ८० प्रतिशत लोगों को

(श्री भैरों सिंह)

इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। आज राजस्थान में यह स्थिति है कि राजस्थान की हुकूमत चाहे यह कहती रहे कि राजस्थान में हमने बहुत विकास किया है लेकिन पचास लाख आदमियों को, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया है।

मैं इन दो बातों के साथ साथ इस सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इसे ही इग्नोर नह किया सर्विसेज में रिज़र्वेशन की व्यवस्था की है कि १२॥ पर्सेन्ट जगह दी जावेगी।

मैं इसके भी आंकड़े देना चाहूंगा जो भारत सरकार के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्ज कमीशन के कमिश्नर ने भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की है; उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि शिड्यूल कास्ट के लिये ६२०, और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये ३५७३ वेकेन्सीज़ के एडवर्टाइजमेंट हुए भारत सरकार की ओर से और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से १३,७६२ के लिये हुआ और दूसरे विभाग और अदर एजेन्सीज़ के द्वारा ७,२५३ का एडवर्टाइजमेंट हुआ। इनमें उनका सिलेक्शन १२॥ पर्सेन्ट के हिसाब से होना चाहिये था। पर हुआ बहुत कम का। कुल ३१८ और १३६ व्यक्तियों को जगह मिली जब कि १२॥ पर्सेन्ट से लगभग दो हजार होती है। इनके स्थान पर नोटिफिकेशन ५२ का किया। उनमें भी केवल १७ आदमियों को जगह दी है।

(विराम)

इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान में हरिजनों को सरकारी नौकरियों में कितनी जगह मिलीं।

साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि वे यह कह सकते हैं कि हरिजन जातियों के लोग बैकवर्ड लोग, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिये जिन जगहों के लिये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उनमें पर्याप्त संख्या में हरिजन बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं मिले। पर यह भी कुसूर किनका है? इस पर भी सोचा है आपने कभी?

यह सही है कि इनमें सोशल ड्रा बैक्स हैं। इल्लिटरेसी भयंकर रूप से है, स्वीकार करना पड़ेगा। पर सरकार को साथ में यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर सरकार किसी योजना के अन्तर्गत इनकी यह इल्लिटरेसी दूर करने की कोशिश नहीं करेगी तो उनको समाज के जो धनी और सम्पन्न वर्ग के साधनों वाले वर्ग के लोग ऊंचे उठते जावेंगे, वे नीचे पड़े रह जावेंगे और वह ऊपर वाला वर्ग उस निम्न वर्ग का एक्सप्लोइट करेगा और इसके आधार पर उनका विकास नहीं हो सकेगा।

इसलिये कहना चाहूंगा कि माननीय आचार्य, जो डिप्टी एज्युकेशन मिनिस्टर हैं, ध्यान से सुन लें। हरिजन, शिड्यूल ट्राइब्ज और शिड्यूल्ड कास्ट के लिये सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा है, तो मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों को आपने इनमें से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिलवाई।

(श्री भैरोंसिंह)

सन् ६२ में पंजाब में ३६६८ व्यक्तियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली। मध्यप्रदेश में १०७३ को और उड़ीसा में ४६० को मिली। आप मद्रास केरल को छोड़ दीजिये, वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिये बाकी डेवलप्ड प्रोविन्सेज़ से कम्पेअर मत करिये। पर पंजाब और मध्यप्रदेश से जो आपके पड़ौसी हैं, यू पी. पड़ौसी है उनके मुकाबले में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम केवल ४६६ आदमियों को दिला पाये।

इसका कारण क्या है? आप समय पर स्कॉलरशिप नहीं दे पाते होस्टलों की व्यवस्था नहीं कर पाते, स्कॉलरशिप जो नीचे की क्लासों में भी मिलनी चाहिये पूरी मात्रा में नहीं दे पाते और इस सबका रिजल्ट यह होता है कि मजबूर होकर धनाभाव में उन पिछड़ी जाति के लोगों को चौथी पांचवी पढ़कर छोड़ देना पड़ता है। इससे न तो उनका भला होने वाला है और न जो राजस्थान के एक्सपेन्डीचर पर भार आने वाला है, वह इस प्रकार से कम होगा, उसी प्रकार से बना रहेगा। इसलिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इन सारी बातों को लेकर राजस्थान ने किसी प्रकार का विकास नहीं किया है।

मैं राजस्थान स्टेट की बात कहना चाहता हूं। आपने २८ लाख ६६ हजार रुपया मंजूर किया था हाउसिंग कोलोनीज़ बनाने के लिए इनके लिये हाउस कन्स्ट्रक्ट किये जाने को थे ५३४६, उनमें कम्पलीट हुए २८८८, इनकम्पलीट रहे ६०२, अन्डर वर्क हैं ४७५ और जो फण्ड्स अनयूटीलाइज्ड रहे वे हैं २२ लाख के। हाउसेज़ जो बनाये हैं उनमें कब्जा दिया है २३१६ का, २४८ हाउसेज अभी भी यों ही पड़े हैं जिन पर कब्जा नहीं दिया गया किसी को। जिनमें आदमी ठहरते नहीं। उनमें मवेशी ठहरते होंगे या आस-पास के लोगों ने शौचालय बना रक्खे होंगे।

आखिरकार २८ लाख की धनराशि की आपने व्यवस्था की। उस की निगरानी आपने क्यों कहीं रक्खी कि हाउसिंग कोलोनीज़ पर वह खर्च होनी चाहिये थी। जिनके लिये भारत सरकार पैसा दे, जिन गरीबों के लिये राजस्थान की हुकूमत पैसा दे, भारत का टैक्स पेयर टैक्स देकर धन एकत्रित करके और राजस्थान का टैक्स पेयर टैक्स देकर धन एकत्रित करके राजस्थान सरकार के हाथ में पैसा दे गरीबों के विकास में खर्च करने के लिये दे। वहां यह सरकार इतनी इनकम्पीटेन्ट बन जावे कि पैसा होने के बाद भी खर्चा नहीं कर सके, तो इस पर से या तो यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार डेलीबरेटली नहीं चाहती कि इस पिछड़ी जाति का विकास हो, या यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान की हुकूमत इतनी इन्कम्पीटेन्ट है कि इस इनकम्पीटेन्ट हुकूमत से किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। बजट में प्लान में कितनी ही धनराशि निर्धारित की जावे अपनी इन्कम्पीटेन्सी के कारण यह इन्कम्पीटेण्ट सरकार उसको खर्च नहीं कर पावेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह हालत इस सरकार की है, यह मैं ही नहीं कहता। मैं ही कहता

(श्री भैरोंसिंह)

तो भ्रम में पड़ सकते थे, कन्विंस होने में सदन के कुछ मेम्बरों को कठिनाई आती, पर सादिकअली कमेटी ने जो उल्लेख किया है मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पेज १३२ पर लिखा है इसने :

"हमारे राज्य में कुल मिलाकर पंचायती राज्य संस्थाएं अशक्त वर्गों को कोई उल्लेखनीय सहायता या किसी प्रकार का विशेष ध्यान देने में असमर्थ रही है।"

'वे बहुत सी योजनाएं जो उन्हें हस्तान्तरित की गई है, उनमें शर्तों और नियमों के कारण रुकावटें आई हैं। ये योजनाएं इस प्रकार की हैं कि मुख्यतः समाज के खाते-पीते वर्ग ही इनसे लाभ ले सके हैं। उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसा विशेष रूप से हुआ है।''

यह तो कहा सादिकअली कमेटी ने और फोर्थ फाइव ईयर प्लान के ड्राफ्ट जो आपने सर्क्यूलेट किये उसमें एडमिट किया कि

" The probolem of indebtedness in tribal areas is enormous and it is one of the worst forms of exploitation to which the tribal people are exposed."

यह आपने जो इस वर्ष बजट का ड्राफ्ट पेश किया है उसमें स्वीकार किया है कि मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि १७ वर्षों की हुकूमत के बाद तीन पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने के बाद यह स्वीकार करके चलते हैं कि हम कर्जे का वर्स्ट फार्म इन्डेटेडनेस से मुक्त नहीं कर पाये। तो आप वहां किसलिए बैठे हैं?' केवल तनख्वाह लेने के लिये बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिये। कम्युनिटी की सर्विस किस प्रकार की है? यह देखेंगे तो ताज्जुब होगा। राजस्थान में यह विभाग है, जिसमें सबसे कम दूसरी योजना और तीसरी योजना में खर्च हुआ है। दूसरी में २२८ लाख का निर्धारण किया है। इसमें १६७ लाख खर्चा हुआ। ६१ लाख की बचत हुई। तीसरी में ३२५ लाख की योजना बनाई थी, इसमें से १७५ लाख खर्च किया। १४६ लाख बचाया और दोनों योजनाओं में मिला कर २११ लाख रुपया गरीबों के विकास के लिये दिया है; बेकार पड़ा रहा। उसका उपयोग राजस्थान के दो करोड़ लोगों में जिनका चौथाई हिस्सा है, इस राजस्थान में उनके लिये नहीं किया। जिनके विकास के लिये भारत सरकार से लेकर छोटे से छोटे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता भाषण देते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र में रचनात्मक कार्य है तो उनमें काम करना है। आप भाषण बहुत देते है, पर उसके अनुसार काम नहीं किया। दुनिया भर की एजेन्सी बना रखी है उनके अकाउन्ट्स ऑडिट नहीं होते।

भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जिन रचनात्मक संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड और लोन आदि दिया जावे, उनके ऊपर कन्डीशन एप्लाई की जावे और उनके आधार पर उनके अकाउट्न्स का ऑडिट कराया जावे।

Page No 87

(श्री भैरोंसिंह)

पर चूंकि वह समाज की सेवा के नाम पर काम करने वाले नेता हैं। जनता का धन अपने उपयोग में लेते हुए थोड़ा बहुत बच जावे तो समाज की भी सेवा कर लें उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते।

इसका अर्थ यह है कि १७ वर्षों में कांग्रेस की हुकूमत ने हरिजनों की जिनमें शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और शिड्यूल्ड कास्ट विशेष रूप से आते हैं, हालत सुधारी नहीं है बल्कि बिगाड़ी है। इसलिये कहना चाहता हूं कि समाजवाद का नारा लगाने वाली यह हुकूमत आज कम से कम इस चीज़ का तो विचार करती कि ५० लाख व्यक्ति जो इस तरह इन्डेटेड हैं भूखे हैं, कर्ज़ा लेकर सागड़ी जैसी गुलामी प्रथा को स्वीकार करते हैं, वे भी जीवित हैं और इस राजस्थान में पोद्दार भी जीवित हैं, डी. सी. एम, के मालिक भी जीवित हैं, उनके कारखाने भी बनेंगे, फैक्टरियां भी बनेंगी और बड़े बड़े लोगों के बैंक बैलेन्स बढ़ेंगे, उनके बड़े बड़े बंगले, आलीशान कोठियां चमचमाती नजर आवेंगी, उनके कमाये हुए पैसे से नित नये सिनेमागृह बनते नजर आवेंगे, एन्टर्टेनमेन्ट में रियायतें लेते नजर आवेंगे तो बस ऐसा लगता है कि कोई समाजवाद नहीं है यहां, गरीबों का किसी प्रकार भी पोषण नहीं है यहां। बल्कि हमारी सरकार की इन सारी योजनाओं का लक्ष्य केवल इन बड़े लोगों का पोषण करना है और इन पचास लाख गरीबों के रक्त शोषण का है और आगे भी शोषण करते जा रहे हैं।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने यह सब कुछ किया। किस के लिए किया और क्या करना चाहिए था? हमारी सरकार कहती है कि हम योजनायें बना रहे हैं और हमें योजनाओं के अन्दर सफलता मिल रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में हम दुगुना धन इसके लिए रखेंगे, लेकिन आपकी खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, ज़ील नहीं है, एग्ज़ाइटी नहीं है और मैं निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से इस सदन में बैठे हुए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बरों से यह कहना चाहूंगा कि वे कांग्रेस के धोखे में नहीं आयें। यह कांग्रेस उनका भला करने के लिए नहीं है। यह हुकूमत केवल उनके वोट खरीदने के लिए है। यदि हम एम० एल० ए० बनकर यहां आ गये और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है और हमारी सरकार हमारी सेवा नहीं कर रही है, बल्कि यह समझ कर चलना चाहिए कि हमें वेतन देकर हम उनका रिप्रेज़न्टेशन करें या नहीं करें, पर हमें इस भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है कि बाकी के समाज का पोषण होता रहे और वे कांग्रेस को वोट देकर उसको जिन्दा रखें। मैं कहता हूं कि यहां के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के मेम्बरों ने इस बात का प्रेशर नहीं डाला कि आज तक २११ करोड़ रुपयों की दो योजनाओं में हुकूमत ने बचत की है, उसके लिए दोषी कौन है और जो दोषी है, उसको क्यों दण्ड दिया गया? इसकी वजह से जो इनका आर्थिक विकास होना चाहिए, वह क्यों नहीं हुआ? इस सम्बन्ध में हमारी सरकार को चिंता रखनी पड़ेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : The cat is out of the bag.

सारी बात उसके लिए कहते हैं जैसे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, you wanted to appeal to scheduled castes.

श्री भैरोंसिंह : वह मैं ऐसा समझता हूं कि जिसके लिए यह धन का प्रावधान किया गया था, खर्चा नहीं हुआ उसमें से कोई बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता। आप तो उसी जमात में से हैं कि जो कि इनका एक्सप्लोइटेशन करना चाहते हैं। इसलिए जो भी आप उपदेश देंगे उसका असर होने वाला नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He sounds like Devil quoting scriptures.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो आपको शक्ल दिखाई है। आप तो इनकी जमात में भर्ती हो ही गये। आपने तो नाम लिखा ही दिया—मैंने तो इसीलिए पोइन्ट औउट किया कि आपका बहुत असर पड़ रहा था लेकिन आपका असर सब खत्म हो गया।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय कोहनी पर लगती है उस समय यहां याद आती है। मैंने कहा कि इसका एक्सप्लोइटेशन का कारण एक है कि विधान सभा में बैठने वाले सदस्यों ने एसर्ट नहीं किया। अगर एसर्ट करते तो इन्डस्ट्री में एक पैसा खर्च कम नहीं होता, इसी तरह की बात इसमें भी आती। जो रकम इन्डस्ट्रीज़ में निर्धारित की गई है, वह बच नहीं जाये, वे इसके लिए एसर्ट करते हैं और इन्फ्लुएन्स करते हैं तो सारा पैसा खर्च करवा लेते हैं। आप जो उनके हिमायती बने हुए हैं, वह भी एसर्ट नहीं करते। वह एसर्ट नहीं करें, यह समझ कर मैं उनका निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी एसर्ट किया ? कभी नहीं किया...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बराबर कहता हूं और आपसे ज्यादा जोरदार ढंग से कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह और बदकिस्मती की बात है कि आप कांग्रेस के प्रभावशाली सदस्य हैं और आपकी कोई सुनना नहीं चाहता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे आपकी स्थिति पर दया आती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा वक्त आने दीजिए, मैं अभी दया करने वाला हूं। मैं आपकी गरीबी पर भी रहम करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं गरीब नहीं हूं, इसलिए आपके रहम करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जो राजकीय उद्योग के मंत्री हैं उनकी अनुमति से एक बात कहना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि परसों जब मैंने उनका भाषण सुना तो ऐसा लगा कि उन्होंने राजस्थान में जो राजकीय उद्योग हैं, उन राजकीय उद्योगों में कोई मैजिक कर दिया। उनके भाषण से अवश्य ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई जबरदस्त मैजिक कर दिया और राजकीय उद्योगों में घाटा नहीं है। घाटा केवल इस स्थिति में है कि शुगरकेन का क्रशिंग

(श्री भैरोंसिंह)

कम हुआ है, उस घाटे को छोड़कर बाकी में घाटा नहीं हो सकता। वह तो नेचुरल कैले-मिटी है, जिसको वह कन्ट्रोल नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन बाकी की चीजों में घाटा नहीं होगा, ऐसा उनका भाषण में था। लेकिन कल मैंने जानकारी की कि आखिर राजस्थान में राजकीय उद्योग किस प्रकार से चल रहे हैं, तो हमारी राज्य सरकार का जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कन्ट्रोल है, जिसके लिए दो-दो मंत्री हैं एक तो राजकीय उद्योग मंत्री और एक आबकारी मंत्री। ये दोनों मंत्री जिसकी निगरानी करते है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स है, जिसके लिए हमने अलग से डाइरेक्टर की नियुक्ति कर रखी है-शुगर मिल का मैं नक्शा पेश करना चाहूंगा। उससे आपको अन्दाजा हो जायेगा कि राजस्थान में राजकीय उद्योग की हालत क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी से मैं ही बोलने वाला हूं।

अब मैं आपको बताऊं कि १९६४ के अन्दर जो साल खत्म हुआ जून के अन्दर उस साल में गंगानगर की शुगर फैक्टरी के अन्दर ६ लाख ३९ हजार ५५० रुपये का नुकसान हुआ। अब इस नुकसान में से यदि हम जो एक्साइज़ के कारण लाभ मिलता है, उसको निकाल दें तो नेट लास होता है ३ लाख २६ हजार का। अब इस ३ लाख २६ हजार में गई साल का कैरी-ओवर किया था, लास उसको जोड दें तो यह होता है ५ लाख २८ हजार-यह है ६४ के अन्दर की साल खत्म हुई उसका। अब वह क्यों घाटा हुआ इसका कारण आपको, मैं समझता हूं कि इस सदन में बताऊंगा तो सदन को जानकर यह खुशी होगी कि राजकीय उद्योग की व्यवस्था किस प्रकार की है। अब भारत सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी के ऊपर रिबेट देने की व्यवस्था की कि यदि कोई फैक्टरी नवम्बर महीने में क्शिंग शुरू कर देती है तो एक्साइज़ ड्यूटी के ऊपर उसको रिबेट मिलेगा। हमारी यह फैक्टरी नवम्बर में चालू नहीं हो सकी। हालांकि यू० पी० की फैक्टरियों ने इसका लाभ उठाने के लिए नवम्बर में क्शिंग चालू कर दिया और वह जो रिबेट मिलने वाला था वह उनको मिला।

(३.०० म० प०)

हमारी राजस्थान सरकार राजस्थान शुगर फैक्ट्री को नवम्बर में चालू नहीं करती है और संभवतः उसको ६ दिसम्बर को चालू किया गया। तो भारत सरकार ने जो एक इन्सेन्टिव दिया, उसका लाभ नहीं उठा सके।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो एडीशनल केन प्राइस फिक्सेशन ऑथोरिटी है उस फिक्सेशन ऑथो-रिटी ने ५,२७,०००) रु० का एवार्ड दिया। वह एवार्ड किस बात का दिया है कि १९५९ के अन्दर इस फैक्ट्री को १५ लाख का जो फायदा हुआ है...

श्री मथुरादास माथुर : मैं इतनी सी बात आपसे पूछ लूं कि जो आपने दिसम्बर का कहा है यह ६४ का दिसम्बर है ?

Page No 90

श्री भैरोंसिंह : ६३ का है, ६४ का नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : आप चैक कर लें।

श्री भैरोंसिंह : जी, मैं चैक करके ही बोल रहा हूं।

अब दूसरा सवाल है कि इस केन प्राइस फिक्सशेन ऑथोरिटी ने जो ५,२७,०००) रु० की लायबिलिटी इम्पोज़ की हम पर, उसको मैं लायबिलिटी नहीं समझता हूं क्योंकि वह ५२,७,०००) रु० गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाले है, फैक्ट्री को लास उसमें नहीं होने वाला है, लेकिन केन गोअर्स को यह रकम मिलने वाली है। १५ लाख का जब लाभ होता है उसके ऊपर इस प्रकार से प्राइस फिक्सअप की जाकर एवार्ड किया जाता है, लेकिन यहां की स्थिति क्या है कि १५ लाख का लाभ नहीं है। हमारी सरकार ने उस सारी फैक्ट्री को रिहेबिलिटेट करने के लिए बिहार से मशीनरी मंगाई, वह मशीनरी स्क्रेप मशीनरी है। उसको लाकर यहां इन्स्टाल कर दिया और इन्स्टालेशन के समय और ऑडिट के समय में और एन्क्वायरी के समय भी मैनेजमेंट उन सारे वाउचर्स को, बिलस को, पेश नहीं कर सके और पेश नहीं कर सके तो घाटे में रहने के बावजूद, १५ लाख का मुनाफा नहीं होने के बावजूद भारत सरकार की इस एन्क्वायरी कमेटी ने स्वीकार किया और उन्होंने जो एकाउन्ट्स रखे उन एकाउन्ट्स को मान्यता नहीं दी और यह साबित कर दिया कि १५ लाख का फायदा हुआ था, इसलिए ५,२७,०००) रुपये कारिबेट देना पड़ेगा।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का ताज्जुब होता है सरकार पर कि उन्होंने स्टोर्स, रॉ मेटीरियल, कोल, पेकिंग, मेटीरियल का, इन सब चीजों का और जो कन्ज़म्पशन के फिगर्स हैं उनके क्लोजिंग स्टॉक का; इनका फिजीकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ। परन्तु इतनी बड़ी फैक्ट्री चलती है, लेकिन उसका फिज़ीकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ। मेटीरियल और रेक्टिफाइड स्प्रिट यहां ६,५६,४०६) रु० की कम हुई इसका फिजीकल वेरीफिकेशन नहीं किया। कम क्यों हुई इसका कारण मैं नहीं जानता। रॉ मेटीरियल्स के फिगर्स ऑडिटर्स ने माना है कि इन्फ्लेटेड पेश किये गये हैं। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि स्टोर्स अकाउन्ट्स में १,५१,६९८) रु० की कमी है। यह इसलिए है कि स्टाक एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसका रीकन्सीलियेशन नहीं होता है। उसके कारण मैं कहता हूं कि येह फिगर्स कम हैं और स्टाक इन ट्रेड क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के कन्सोलिडेटेड फिगर्स हमारे पास नहीं हैं और न ही दे पाये हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि और चीजों को छोड़ दें लेकिन इस कम्पनी के पास फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं, इसका रजिस्टर भी कम्पनी मेन्टेन नहीं करती है। कोई भी इतनी बड़ी कम्पनी चलाते हैं, तो कम से कम उसको यह तय करना पड़ेगा कि फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं। हमारी सरकार और सरकार कम मैनेजमेंट आज तक फिक्स्ड एसेट्स तैयार नहीं कर पाई है।

और सबसे ग्लेरिंग चीज़ जो इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा वह है १५,०२२)

(श्री भैरोंसिंह)

रु० के स्टाम्प्स हमारी यह कम्पनी राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन से लोन लेना चाहती थी। लोन लिया भी है। इस लोन के लिए १५,०२२) रु० के स्टाम्प्स खरीदे। लोन लेने के समय इस बात से छिटक गये कि इन स्टाम्प्स की कोई आवश्यकता नहीं, फालतू में खरीद लिये और अब स्टाम्प्स एक्ट के मातहत यह है कि जो स्टाम्प्स खरीदे हुए हैं, वे कुछ दिनों के बाद रिफण्ड नहीं कराये गये या अमुक समय में रिफण्ड नहीं कराये गये तो वे स्टाम्प्स सारे के सारे वेल्यूलेस हो जाते हैं। मैं राज्य के मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये स्टाम्प्स क्यों खरीदे गये और क्यों वैल्यूलेस हुए ? इसके लिए कौन रेस्पोन्सिबल है और गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया है ?

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के इस मैनेजमेंट ने लगभग २० लाख रुपयों का गुड़ खरीदा। उसका कन्जम्पशन नहीं किया और उस २० लाख ६६६६ के गुड़ में छीजत होती जा रही है। एक प्रश्न और बन जायेगा। यदि हम यह मानकर चलें कि गुड़ स्टॉक में है तो उसमें से एक चौथाई तो ऐसा हो जायेगा कि जिसको किसी प्रकार से काम में नहीं ला सकते।

इसके साथ साथ हमारे ऊपर २,२६,०००) रु० की इस बात की लायबिलिटी है कि ट्रान्जिट में लिकर खो गया, लिकर कम हो गया। उस लिकर के बारे में जांच नहीं की गई कि ट्रान्जिट में किस प्रकार से कम हुआ ? लेकिन २,२६,०००) रु० की लिकर कम हो गई और कॉन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी में दिखा कर यह सन्तोष कर लिया कि यह ट्रान्जिट के अन्दर किसी प्रकार का घाटा हो गया।

मैं यह भी कहूंगा कि इस कम्पनी ने अपने डाइरेक्टर से सामान खरीदा, जो मैं समझता हूं कि कम्पनी लॉ में कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है. कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं है कि कम्पनी के डाइरेक्टर्स कम्पनी के लिए सामान सप्लाई करें या कम्पनी सामान खरीदे अपने डाइरेक्टर से। १७०० बोतलें खाली एक्साइज या ठेकेदार इकट्ठी करके वह सारी की सारी वहां सप्लाई करे। वहां पर एक चालाकी चलती है कि खाली बोतलों को ब्रेकेज में दिखाया है कि खाली बोतलें टूट गई, लेकिन टूटी नहीं और उनको टूटी दिखा कर रख लिया जाता है। उसके बाद में जो स्प्रिट या शराब बनती है उनमें भर कर उन्हीं ठेकेदारों के मार्फत बेची जाती है। इसी प्रकार की पिछले दिनों १७०० बोतलें पकड़ी गई उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया ?

गुड़ जो कोटे में सप्लाई किया गया था उसमें १५००) रु० की कमी हो गई। उसकी शिकायत की गई, उस पर आपने किसी प्रकार का ऐक्शन नहीं लिया। गुड खरीदा वह स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं खरीदा गया। उसका सेम्पल नहीं रखा।

ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जिन चीजों को मैं दिखाना चाहता था केवल एक बात के लिए कि माननीय मंत्रीजी, जो कि राजकीय उद्योगों के मंत्री हैं उन पर मैं इतना विश्वास करके चलता हूं कि वे सारी

Page No 92

(श्री भैरोंसिंह)

बुराइयों को दूर करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मुझे आज इस बात पर अवश्य अफसोस हुआ कि उनके एक वर्ष से इस विभाग का इन्चार्ज होने के बावजूद ये चीजें फिर रिपीट हुई। ये चीजें पिछले वर्ष थीं और पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख था, उसके पहले भी इन चीजों का उल्लेख था और उससे भी पहले इन चीजों का उल्लेख था। मैं यह आशा करता था कि नये मंत्रीजी आये हैं और जैसे पुलिस विभाग में आते ही आपने जिस प्रकार की सक्षमता दिखाई और उससे कन्ट्रोल करने की चेष्टा की, लेकिन राजकीय उद्योग विभाग में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं तो मुझे एक झटका सा लगा और मुझे खेद के साथ कहना पड़ा है कि मेरा अनुमान सही नहीं निकला। मैं चाहता था कि यह अनुमान सही निकले। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि हमारी गवर्नमेंट अपने राजकीय उद्योगों को कन्ट्रोल ठीक ढग से नहीं कर पायेगी तो जो पूंजीपति हैं और ब्लेक मार्केट करने में जिन्हें संकोच नहीं होता है, जो कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज को लेकर ब्लेक मार्केट में बेचने में संकोच न करें, जो इन्फलेटेड प्राइस दिखाकर कम्पनी में घाटा दिखायें और लोगों का बोनस खा जायें, जो प्रोवीडेन्ट फण्ड खा जायें और मजदूरों के वेतन में कटौती कर सकते हैं, उन पूंजीपतियों को और ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार भी कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगी। आप कन्ट्रोल उसी हालत में कर सकते हैं, जब कि हमारी इन्डस्ट्रीज, राजकीय उद्योग एक आदर्श उद्योग के रूप में चलें, आदर्श एकाउन्ट्स के मामले में हो, वह आदर्श प्रोडक्शन के मामले में हो, वह आदर्श मजदूरों के वेतन और सुविधाओं के मामले में हो, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज हमारी हालत उन लोगों से अच्छी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इन्हीं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में आज से दो-तीन वर्ष पहले लगातार मैंने सवाल पूछे थे कि राजस्थान के प्रेस विभाग के अन्दर जो चीजें खरीदी जाती हैं उसमें किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। उन घोटालों पर विचार इस सदन में कई बार हुआ है और उस विचार को लेकर माननीय अध्यक्ष ने उस समय हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को सलाह दी कि इन सारे मामलों की एक साथ जांच करा ली जाय। राज्य सरकार ने इसी सदन मे घोषणा की थी कि राजस्व मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मेनन इस बात की जांच करेंगे। जांच हुई लेकिन जांच होने के बाद आज तक उस रिपोर्ट का पता नहीं। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हम केवल घोटाले ही इस सदन में प्रस्तुत करें या घोटालों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करें, इतना ही मतलब नहीं है। हम यह पूछना चाहते हैं कि इन घोटालों का हमारे एक्सचेकर पर जो बर्डन आ रहा है, उसका जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को दण्ड दिया जाय और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैनन की रिपोर्ट के अन्दर जिन जिन ऑफिसरों के खिलाफ लिखा है, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आपके पास रिपोर्ट नहीं हो तो मैं

(श्री भैरोंसिंह)

दे दूंगा। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकार उस रिपोर्ट को दबा कर क्यों बैठी है ?

हो सकता है कि डी० पी० आर० का मामला हो तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। इस विधान सभा के सदस्य नहीं, मैं समझता हूं, अधिकांश सदस्यों ने, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वालों ने और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने और प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो—कि पी० ए० सी० के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उस अधिकारी के लिए खूब आलोचना की है, लेकिन वह अधिकारी विधान सभा से ऊपर है, वह अधिकारी सचिवालय के ऊपर है, वह राजस्थान की दो करोड़ जनता के ऊपर है, वह राजस्थान के १,८७,००० कर्मचारियों के ऊपर है। उसके ऊपर न राजस्थान सर्विस रूल्स लागू होते हैं, न कामन सेन्स के, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए रूल्स और मान्यताएं लागू होती हैं, लेकिन उन पर लागू नहीं होती हैं और मुझे अफसोस इस बात का है कि सुखाड़ियाजी उसका पक्ष लेते होंगे, अन्य मंत्री उसका पक्ष लेते होंगे, लेकिन मैं इन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उसकी एन्क्वायरी का क्या हुआ ? राजस्थान में एक एग्ज़ाम्पल है कि तीन तीन वर्ष से एन्क्वायरी चल रही है। एक गजटेड ऑफिसर के खिलाफ तीन वर्ष से एन्क्वायरी चल रही है और आप कोई ऐक्शन नहीं ले सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि बाकी के ऑफिसरों को जलन होती है। वे ऐसा समझते हैं कि मिसयूज़ ऑफ फण्ड्स, मिसएप्रोप्रियेशन के इन चार्जेज़ पर एक अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं हो और जांच अगर नहीं होती है, क्योंकि वह खुशामद करता है और खुशामद करने वाले अधिकारी की जांच नहीं होती है, तो कई ऑफिसर जो इन्डिपेन्डेन्टली वर्क करते हैं उनका मोरेल डाउन होता है। वे यह समझते हैं कि उनकी खुशामद कर ली जाय, फिर कितनी गड़बड़ क्यों न हो चिन्ता की बात नहीं। मंत्री महोदय खुश रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई एन्क्वायरी नहीं होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस प्रकार का वतीरा बनता जा रहा है। झुन्झुनू के कलेक्टर खिलजी के खिलाफ भूतपूर्व कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने भूख हड़ताल की, उनको वहां से हटा दिया जाय। उनको हटा दिया। क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ ? ट्रान्सफर ही सजा हो तो ऑफिसर का कैरेक्टर मौल्ड नहीं हो सकता। उनके खिलाफ भीषण आरोप हैं। उन आरोपों की स्थिति के अन्दर राज्य सरकार एन्क्वायरी लेकर बैठी है या यह कह दें कि मधोक साहब एन्क्वायरी कर रहे हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

विजीलेन्स कमीशन के पास उनकी रिपोर्ट भेजी है। टण्डन साहब एन्क्वायरी कर रहे हैं। सारी एजेन्सीज़ का बाइफर्केशन करने का कौन सा तरीका है? डिसेन्ट्रलाइज़ेशन करने का तरीका पंचायत राज्य में हो सकता है। डिसेन्ट्रलाइज़ेशन कैसे कर दिया? क्यों नहीं खिलजी के खिलाफ ऐक्शन लिया गया, जिनके ऊपर मोरल टर्पीट्यूड के चार्ज के बराबर चार्जेज़ हैं, अपनी पॉवर का दुरुपयोग करने के चार्जेज़ हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ हुकूमत एक्शन नहीं ले सकती? उस व्यक्ति के खिलाफ हमारी हुकूमत एक्शन नहीं ले सकी। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को हुआ क्या है?

अब मैं कहना चाहता हूं इन्हीं मंत्रीजी से ऐडवर्टाइज़मेन्ट्स के बारे में। हमारी विधान सभा में ऐडवर्टाइजमेन्ट्स को लेकर काफी चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एडवर्टाइज़मेन्ट के बारे में कोई पोलिसी होनी चाहिये। मुझे खुशी है कि जिस समय ये मंत्री बने उस समय आपने एक आदेश निकाला सन् ६२ में कि जो एडवर्टाइज़मेन्ट्स डी. पी. आर. और होम मिनिस्टर की पर्मिशन के बिना दिये गये हैं, उनको पेमेंट नहीं दिया जाय। मैं ऐसा समझता था कि हमारे यहां हुकूमत करने वाले मंत्री ने ऑर्डर निकाला है तो उस पर अमल करेंगे। मैं बाकी अखबारों के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन उदयपुर से निकलने वाला एक अखबार है "नवजीवन" उसको जितने एडवर्टाइजमेन्ट्स दिये गये हैं उसके मुकाबले में राष्ट्रदूत, लोकवाणी वगैरह अखबार जो राजस्थान में सर्क्यूलेट होते हैं और कोने-कोने में पहुंचते हैं, उनको "नवजीवन" के मुकाबले में कितने ऐडवर्टाइज़मेन्ट्स दिये गये हैं। उदयपुर से निकलने वाला यह अखबार अपने सर्कूलेशन के बारे में इन्फिलेटेड फिगर्स देता है, लेकिन वास्तव में इसकी केवल २०० प्रतियां निकलती हैं उसको आपने कितने का ऐडवर्टाइज़मेंट हर साल दिया है, उसके फीगर्स मैं आपके सामने बताना चाहता हूं:

सन् ५८ में ८,५७८ का ऐडवर्टाइज़मेंट इस अखबार को दिया गया, सन् ५९ में ७,३५२ रु. के एडवर्टाइजमेंट्स दिये गये, सन् ६० में ६३५९ रु. के दिये गये, ६०-६१ में ६३८८ रु. के ऐडवर्टाइज़मेंट्स दिये गये और सन् ६१-६२ में १६४२५ रु. के ऐडवर्टाइज़मेंट दिये गये। मैं आज दावे से कह सकता हूं मंत्री महोदय से कि इस अखबार की छपाई २०० से ज्यादा नहीं होगी। २०० कागज छापने वाले व्यक्ति को एक साल में १६ हजार का एडवर्टाइज़मेन्ट मिल जाय और उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्हीं मंत्रीजी के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था २५ सितम्बर, सन् १९६२ में...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): इस अखबार के बारे में ६१-६२ के आगे की बात भी तो कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आगे के फिगर्स आपके पास हैं, आप बता देना।

श्री मथुरादास माथुर : सन् ६२-६३, ६३-६४ और आगे के फिगर्स भी तो आपके पास हैं वे भी बता दीजिये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : पहले जो दिये गये उनका जस्टिफिकेशन भी तो देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जिम्मेदारी के बारे में कहना चाहता हूं। आप सुन लीजिये फिगर्स, मैंने जानबूझ कर कोट नहीं किये हैं। २६ सितम्बर, १९६२ का आपका लेटर है, जो इस प्रकार है :

"I am directed to say that the Government will agree to payment of bills if the order of advertisement was either placed by the Director of Public Relations under the powers vested in him or by the Home Minister. If no such order is passed by any of these authorities no payment will be made."

यह आपका ऑर्डर है। लेकिन इस ऑर्डर की तामील उदयपुर के इस अखबार के लिये नहीं हो सकती। ६१४० रु. के एडवर्टाइजमेंट्स का पेमेंट, जिसके बारे में न तो डी. पी. आर. की अनुमति थी और न आपकी थी, आपके इस ऑर्डर के बाद उसका पेमेंट रोक दिया गया था, लेकिन फिर होम डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको पेमेंट कर दिया जाय। यह आपकी जिम्मेदारी है! मैं मानता हूं कि उदयपुर के बारे में आपकी बात नहीं चल सकती, क्योंकि वहां पर आचार्यजी बैठते हैं, सुखाड़ियाजी वहां से आते हैं, इसलिये आप उस पत्र को इससे डिबार नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि यदि आपने इन पर वार किया तो ये दोनों आप पर वार करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में जनता का सत्यानाश क्यों हो रहा है? उसको बचाने के लिये आपको उदयपुर की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। उदयपुर के इस पेपर को आप इतने रुपयों का पेमेंट एडवर्टाइज़मेंट्स का करते हैं तो बाकी जो और पेपर्स हैं उनको जलन होगी। आखिर सर्क्यूलेशन तो देखा जाता है। जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, कागज में ब्लेक नहीं करते, ब्लेक मेलिंग नहीं करते, जिनका सर्क्यूलेशन ज्यादा है उनको आप एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं देते, लेकिन जो आदमी केवल २०० प्रतियां निकालता है और कभी आचार्यजी की फोटो छाप देता है, कभी सुखाड़ियाजी की फोटो छाप देता है, एक बार बदकिस्मती से मेरी फोटो भी उसमें छाप दी गई।

श्री मथुरादास माथुर : आज के बाद वह अखबार आपकी रोज फोटो छापेगा, इसलिये यह भाषण है।

श्री भैरोंसिंह : अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी प्रोब्लम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपको एक घंटा हो चुका है बोलते हुए।

श्री भैरोंसिंह : अब केवल १० मिनिट और लूंगा।

Page No 96

(श्री भैरोंसिह)

आज से ४ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बताया था कि जयपुर शहर की जन संख्या ४ लाख ६५ हजार के बजाय ५ लाख की हो गई है। पिछली बार भारत सरकार के सामने आंकड़े दिये गये थे और उनसे कहा गया था कि जयपुर को 'बी' क्लास सिटी डिक्लेयर किया जाय। उसको 'बी' क्लास डिक्लेयर इसलिये नहीं किया गया कि वेतत स्तर लागू करना पड़ेगा और बी क्लास की केटेगरी में जो दूसरी फिजां आती है, उसको लागू न करने के लिये इसको 'बी' क्लास डिक्लेयर नहीं किया। अभी स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने कहा कि जयपुर की जन-संख्या ५ लाख की हो गई है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं सदन से कि भारत सरकार को कह कर 'बी' क्लास सिटी डिक्लेयर करवाइये, इसकी फिजां में परिवर्तन आना चाहिये। 'बी' क्लास सिटी डिक्लेयर करने से एमिनिटीज, वेतन क्रम और मजदूरी में जो परिवर्तन आता है वह यहां भी आना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि सन् १९६२ से लेकर आज तक सदन में बार बार यह बात आती है और मुझे अफसोस है कि हुकूमत आश्वासन देती है कि जयपुर में कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, उनको प्लॉट्स दिये जायेंगे. लेकिन मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि सन् ६२ से आज तक ३ वर्ष हो गये आपने किसी भी कच्ची बस्ती में रहने वाले को रिहेबिलिटेट किया है क्या ? उसके विपरीत आपने उन गरीबों को नोटिस दिये हैं, नोटिस इस बात के कि तुमने म्युनिसिपैलिटी की अनुमति के बिना झोंपड़े बनाये, इसलिये उनको क्यों नहीं डिमोलिश कर दिया जाय और उसके बाद उन झोंपड़ों को डिमोलिश किया जा रहा है। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूं कि जयपुर में यह नया झगड़ा मोल न लें।

जिन आदमियों को जीने का हक है, जिनको खाने और पीने का हक है, उनको रहने का भी हक है। यदि आपने उनके फंडामेन्टल राइट्स पर कुठाराघात करना शुरू किया तो उसका परिणाम आपके लिये अच्छा नहीं होगा। यदि सरकार ने फिर भी तानाशाही चलाई तो यह जनता इस हुकूमत को बनाने वाली वही जनता इसको बिगाड़ने वाली भी है। आखिर इस जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले ६५ हजार गरीबों के घर आप क्यों उजाड़ना चाहते हैं, उन गरीबों के घरों पर ट्रेक्टर और बुल्डोजर घुमा कर आपने यदि भवन बनाने की चेष्टा की तो मैं कहना चाहता हूं कि राजधानी में इन भवनों को तोड़ने के लिये ६५ हजार गरीब जनता अपनी शक्ति लगायेगी। आपने लाखों रुपये इसके लिये लोन्स के लिये हैं, स्लम क्लीयरेन्स के लिये रकम ली है, लेकिन एक भी जगह स्लम क्लीयरेन्स की कार्यवाही नहीं की गई। पिछले दिनों जुलाई अगस्त में जिस समय सदन की बैठक हो रही थी, उस समय जयपुर में बाढ़ आई और सदन को स्थगित किया इस बात के लिये कि हम लोग बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिये काम करेंगे। मुझे खुशी है कि कुछ मन्त्रीयों ने विशेष कर निर्माण मन्त्री जी, मुख्य मन्त्री जी, उप शिक्षा मन्त्री जी आदि ने भी परिश्रम किया था। मुझे इस बात की

(श्री भैरोंसिंह)

भी खुशी है कि एक योजना बनी थी कि ६ महीनों में अगली वर्षा से पहले इनको नुकसान न हो, इसकी व्यवस्था कर पायेंगे। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, अगली बरसात आने वाली है जून जुलाई में, नारी के नाके का जो बांध टूटा था उसकी मरम्मत के लिये क्या किया ? मैं फिर कहता हूं कि हुकूमत अगर व्यवस्था नहीं करेगी तो पिछली बार तो रेत साफ करने में १ महीना ही लगा था, लेकिन इस बार वह रेत जयपुर की सारी सड़कों पर बिछ जायगी, सड़कें टूटेंगी और लोग गैर आबाद होंगे। सरकार सो रही है उससे मैं पूछना चाहता हूं कि योजना बनाई, तो उसको क्यों नहीं लागू किया गया और गरीबों को क्यों नहीं रिहेबिलिटेट किया ? हमारी सरकार चौधरी कुंभारामजी के लिये सीट छोड़ने वाले चौधरी रामचन्द्रजी के लिये यह सोच सकती है कि इनको कहां पर रिहेबिलिटेट किया जाय। उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि नारी के नाके में जिस किसी आदमी का घर टूट गया है, उस आदमी को जमीन देकर उसको अच्छी तरह से अकोमोडेट किया जाय। आपको चिन्ता इस बात की है कि चौधरी रामचन्द्र को कहां पर अकोमोडेट किया जाय। आपने उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया। मैं नहीं कहता कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बनने के योग्य नहीं है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह मेम्बरशिप को डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल बार्गेन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर के लिए नहीं होना चाहिए। पोलिटिकल बार्गेन करके पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी व्यक्ति को अकोमोडेट नहीं करना चाहिए। पोलिटिकल बार्गेन इस तरह की हाइएस्ट केडर की पोस्ट के लिए नहीं करना चाहिए। आप पोलिटिकल बार्गेन कलेक्टर की जगह के लिए कर सकते हैं, तहसीलदार की जगह के लिए पोलिटिकल बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर की जगह के लिए पोलिटिकल बार्गेन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में आस्था रखने के लिए बार बार हमसे कहा जाता है, यह सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है, इसलिए इस पर नहीं बोलें, यह एप्रूवल पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ है, यह कन्फर्मेशन पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ है, इसलिए इस पर बोलने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर के पद के लिए पोलिटिकल बार्गेन हो और पोलिटिकल बार्गेन के बेसिस पर अपोइन्टमेंट हो–इसका मैं घोर विरोधी हूं और सदन को यह कहना चाहता हूं कि यह परम्परा गलत है।

इसके साथ ही पंचायत सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया है एक वासवानी को, जिन्होंने अजमेर के भारत सेवक समाज में ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अजमेर के नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर कहां के हैं ?

(श्री भैरोंसिंह)

भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उदयपुर के अन्दर थे, तो उसको काफी रकम हजम कर गये। उसके बाद भारत सेवक समाज में काम किया उससे काफी रुपया खा गये। ऐसे आदमी को पंचायत सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया गया है। जिस आदमी ने भारत सेवक समाज जैसी संस्था से लूट-खसोट मचाई, किन्तु उसे पंचायत सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया। भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उदयपुर का जो पैसा खा गया, उसके खिलाफ कार्यवाही न करें। क्या आपने पंचायत सर्विस कमीशन के लिए योग्यता निर्धारित कर दी है कि जो भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा खा जाय और अकाउन्ट्स सब्मिट न करे, और फोर्ज्ड अकाउन्ट्स को भी खा जाये, उनको भी सब्मिट न करे, वह पंचायत सर्विस कमीशन का मेम्बर बने। अगर आप इसे योग्यता नहीं कह सकते तो यह किस कारण से हुआ है?

अन्त में मैं मेरे मित्र डांगीजी का जिक्र करना चाहता हूं...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सदन में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह इसलिए कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें सदन के माननीय सदस्यों का धैर्य सीमा पर पहुंच गया है। मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि वे इस बात की जांच करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है कि जो तथ्य उन्होंने सदन में रखे थे और जो मुख्य मन्त्रीजी के पास लिख कर दिये थे, पंजाब की पुलिस ने उन तथ्यों को मानने से इन्कार कर दिया है। पंजाब की पुलिस ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि लुधियाना में वे पुलिस को मिले थे। इस तथ्य को भी अस्वीकार कर दिया है कि वे डाक बंगले में ठहरे थे। पंजाब को पुलिस ने इनके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को डिनाई किया है। उसके बाद मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप कानूनी स्थिति को ताक में रखिये, लेकिन राजस्थान को इस कलंक से बचाइये। यह वही राजस्थान है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उस राजस्थान का एक मंत्री डाकुओं से डर कर भाग जाय और एक उप-मन्त्री, चार आदमियों की लाश सड़क के ऊपर पड़ी रहे और वह उनको देख कर भी चुपके से निकल जाय और पुलिस को इत्तला नहीं दे। मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चाहे मुख्य मन्त्री ऐसे उप-मन्त्री को मन्त्रिमण्डल से निकालें या नहीं निकालें, लेकिन यह सदन इस व्यक्ति का बिलकुल बायकॉट कर दे, हम नहीं चाहते कि ऐसा उप-मन्त्री राजस्थान को कलंकित करे। जिस विभाग के अन्दर ऐसा उप-मन्त्री हो और हम जी. ए. डी. की मांग को मंजूर करें, मैं समझता हूं, यह सबसे ज्यादा अफसोस की बात है और इससे ज्यादा गिरावट और मोरल डिग्रेडेशन हमारा नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि डांगीजी से मेरी कोई पर्सनल एनीमिटी नहीं है। डांगी जी मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें पर्सनल एनिमिटी का प्रश्न नहीं है, इसमें मित्रता का प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें मोरेलिटी का क्वेश्चन है, वह मोरेलिटी जिसके लिए हमने बाकी के दूसरे देशों के कन्वेन्शन लिये हैं और उनको अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम उल्टे, जो बाकी के दूसरे देशों ने परम्परायें कायम की हैं, डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स की और हेल्दी ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी की जो परम्परायें हैं उन परम्पराओं को यहां पर समाप्त किया जा रहा है, ऐसे उप-मंत्री के द्वारा समाप्त किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हाई कोर्ट के जजेज़ के बारे में आप कहते हैं कि उनकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए। मैं भी यह कहता हूं कि उनकी चर्चा नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि जो लोग हमें इस हाउस के बाहर कहते हैं और हमसे चर्चा करते हैं, क्या उसे इस हाउस में कहा जाय या नहीं। यह समस्या हमारे सामने आती है. कई बार मैं जोधपुर जाता हूं तो जोधपुर के राजस्थान हाई कोर्ट के बारे मे चर्चा सुनने में आती है। मैं हाई कोर्ट के जजेज़ की इन्टीग्रिटी के बारे में, आनेस्टी के बारे में और एफीशियेन्सी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के अधिकांश जजेज़ के लड़के, अधिकांश जजेज़ के रिश्तेदार कोर्ट में वकील का पेशा करते हैं। अब यह हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के हाथ में नहीं है कि कौनसा मुकदमा किस बेंच में जाय, वह वकील के हाथ में होता है। अब मान लीजिये कि मुझे एक जज के पास में नहीं जाना है. तो मैं किसी जज के लड़के या रिश्तेदार वकील ऐंगेज कर लेता हूं और पेशी पर हम दोनों जाते हैं। तो वह जज जब अपने लड़के को उस पेशी में देखेगा तो उस केस को दूसरे जज के पास ट्रान्सफर कर देगा। अब उसके बाद दूसरे जज के पास भी नहीं जाने देना चाहते केस, तो उस जज के रिश्तेदार का वकील ऐंगेज कर लिया और पेशी की तारीख पर दोनों व्यक्ति जाकर खड़े हो गये। तो वह जज भी जब देखेगा कि मेरा रिश्तेदार इस केस में आ गया है, तो वह उस केस को दूसरे जज के पास ट्रान्सफर कर देगा। इस हालत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जुडिशियरी में ट्रान्सफर करने की पॉवर्स हाई कोर्ट के जजेज़ के लड़कों और रिश्तेदारों के प्रेक्टिस करने के कारण जजेज़ के हाथ में नहीं रख कर बाकी के लोगों के हाथ में चली जाय और इस प्रकार की प्रेक्टिस को रोका जाय। इसका एक ही तरीका है कि राजस्थान के जजेज़ को राजस्थान के बाहर ट्रान्सफर किया जाय। जब राजस्थान के हाई कोर्ट के जजेज़ का ट्रान्सफर बाहर होगा और बाहर के लोग यहां आयेंगे तो जजेज़ की इन्टीग्रिटी बढ़ेगी, आनेस्टी और एफीशियेन्सी बढ़ेगी और काम करने का होसला भी बढ़ेगा। लेकिन उनको यहीं पर रख दिया और यहां पर रखने के बाद ऐसी हालत हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन जजेज़ के लड़कों के लिए मैं यह नहीं कह सकता कि उनके लड़के रोज-

(श्री भैरोंसिंह)

गार नहीं करें, काम करके रोटी नहीं खायें। लेकिन मैं हुकूमत से कह सकता हूं कि जिनके लड़के प्रेक्टिस करें उनको आप कह दें कि राजस्थान के बाहर जाना पड़ेगा आन्ध्र जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, मध्यप्रदेश में कहीं जाना पड़ेगा, किसी भी हाई कोर्ट में बाहर जाना पड़ेगा ।

तो सारे प्रशासनिक प्रश्न मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं । मैं चाहता हूं कि राजस्थान की हुकूमत उन पर गम्भीरता से विचार करे और उसके बाद में मैंने जो बातें कही हैं वे वाजिब हैं, लेकिन जिस अंश तक राजस्थान की हुकूमत इनको वाजिब समझे उस अंश तक उन पर अमल करने की चेष्टा करे । यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर बहस चल रही है इसके द्वारा, इस विधेयक के द्वारा राज्य सरकार जनता पर टैक्स लगाना चाहती है, उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । टैक्स देने के लिए राजस्थान की जनता हमेशा तत्पर रही है । लेकिन हमें दो बातें देखनी चाहिए । एक बात तो यह है कि जनता से टैक्स लेने की कोई हद होनी चाहिए । दूसरी बात है कि उस टैक्स के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए । इन दो बातों को मद्दे नजर रखते हुए अगर हम कोई टैक्स प्रोपोज़ल विधान सभा में लाते हैं, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए । लेकिन हम देखते हैं कि हमारी राज्य सरकार ने इन दोनों बातों की तरफ कतई ध्यान नहीं देकर इस टैक्स के फॉर्मूले को एक रामबाण दवा समझ रखा है । जो बजट आता है उसमें नये टैक्स, जो नया बजट आता है उसमें नया टैक्स-तो आखिर हमें यह भी देखना चाहिए कि जो हम टैक्स लगाते हैं वह देने की जनता की सामर्थ्य है या नहीं । जहां तक सामर्थ्य का प्रश्न है, इस मंहगाई के युग में इन टैक्स के कारण जनता बहुत परेशान है और उस परेशानी को विधान सभा के द्वारा विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा यहां पहुचाया जाता है । लेकिन सरकार उन लोगों की, जो अपोजीशन में बैठने वाले विधान सभाई सदस्य हैं, उस बात को, जो बात उन्होंने उस जनता के प्रतिनिधि होने की दृष्टि से, जनता की आवाज को यहां विधान सभा में आकर रखा है, उसको मद्दे नजर नहीं रखते हुए उसको एक रिवाज मात्र समझती है । वह समझती है कि यह विधान सभा के सदस्य हैं, विरोधी दल के सदस्य हैं इन लोगों का काम सिर्फ यहां पर विरोध करना है । मैं यह नहीं मानता हूं कि जिस सरकार की इस तरह की विचारधारा है । यहां पर वाजिब बातें कहने पर भी, वाजिब सुझाव और तर्क बताने पर भी इस तरह सोचने का और कहने का माइन्ड रखती है, यह विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा बातें कही गई है, फिर उस सरकार को हम कैसे अच्छी सरकार मानें ?

(श्री जयनारायण सार्लोदिया)

जहां तक टैक्स का प्रश्न है, राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में जनता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सैंकड़ों की तादाद में टैक्स लगे हुए हैं। अब आप महसूस करें, एक साधारण स्थिति का आदमी है उसमें आप यह उम्मीद करते हैं कि वह बाजार में कोई चीज खरीदने जाय तो उस पर टैक्स लगे, कहीं पर भी जाय उस पर टैक्स की मार है। मैं जहां तक समझ सका हूं, एक आदमी को दिन भर में दर्जनों टैक्स देने पड़ते हैं। गाड़ी में सफर करते हैं तो टैक्स, मोटर में जाते हैं तो टैक्स, सामान खरीदने जाते हैं तो टैक्स, स्कूलों में देखो तो टैक्स, जिधर देखो उधर टैक्स ही टैक्स। ये टैक्सों की भरमार लगा दी है, जिसके जरिये से आज आम जनता को चाहे आप यह महसूस करते हैं कि यह जनता, जिसकी आवाज आपके बंगलों और आपकी कोठियों तक नहीं पहुंचती है, जिसकी पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है वे सारे टैक्सेज़ खुशी खुशी दे रहे हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि कोई टैक्स खुशी से नहीं दे रहा है, उनके साथ बिलकुल मजबूरी है और उनके साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है और उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिये मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां तक टैक्सों का प्रश्न है सरकार को सब तरह से सोच समझ कर टैक्स लगाना चाहिये। इसके अलावा यह भी सरकार को सोचना चाहिये कि अमुक टैक्स का संबंध किन लोगों से है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नये बजट में जो मौजूदा बजट है, उसमें जो टैक्सेज लगे हैं वे अधिकतर उन लोगों पर लगे हैं और उनका असर उन लोगों पर होने वाला है जो गरीब हैं, राजस्थान का मध्यम वर्ग है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं या अध्यापक हैं या पुलिस के सिपाही हैं। आप यह चाहते हैं कि राजस्थान के इन मध्यम वर्गों के लोगों के साथ चाहे वे कोई धन्धा करते हों या मुलाजमत करते हों और १००) या १३५) रु० माहवार आमदनी पैदा करते हों, उन पर ये नये टैक्स लगाये जाएं। मैं यह कहूंगा कि आप जिस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, इस प्रकार गरीबों पर टैक्स लगा कर नहीं ला सकेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप समाजवाद के नाम की दुहाई देते है, मगर दरअसल समाजवाद से दूर भागना चाहते हैं। और आप यहां पर पूंजीवाद लाना चाहते हैं। यह मेरा आपको चैलेंज है। आप इस सम्बन्ध में बैठ कर मेरे से बात करिये। मैं साबित कर दूंगा कि आप कतई समाजवाद लाना नहीं चाहते, आप हमारे यहां पर पूंजीवाद लाना चाहते हैं।

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात् पुनः)

यह तो सुबह से ही हो रहा है, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी हमारी बदकिस्मती है कि जो लोग, जिन लोगों का यह दावा है कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारा बहुमत है, आज तीसरी दफे हाउस में कोरम के लिए घंटी बज रही है और कोरम नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री वित्त): आप अपनी पार्टी की तरफ तो देखें।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप से पर्सेन्टेज बहुत ज्यादा है और यह हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। कोरम कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है।

श्री चन्दनमल वैद : जिम्मेदारी तो हमारी है और गैर जिम्मेदारी आपकी है। गैर जिम्मेदारी से जनता ने आपको भेज दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : गैर जिम्मेदारी तो आपकी दिखती है, तीन दफा घंटी कोरम के लिये बजी है।

टैक्सों के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं। टैक्स ऐसे लगाने चाहिये, जिनका छोटे लोगों पर असर नहीं हो। जो टैक्स लगे हैं, उन पर बजट के समय जब बहस हुई थी उस समय सारी बातें लोगों ने बताई। मुझे उस समय बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्सेज आपने दवाइयों पर लगाये उससे क्या समाजवाद की परिभाषा है, जरा बताने की कृपा करेंगे। दवाइयों पर टैक्स...

श्री बालकृष्ण कौल (आबकारी एवं कर मंत्री): समाजवाद की क्या परिभाषा है, वह तो मुझे समझा दें; उस तरीके से मैं बोल लूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अगर आपको ज्ञान नहीं हो तो मेरे से समझ लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर समाजवाद की परिभाषा आती तो उधर नहीं बैठते, इधर बैठते। उधर बैठने के माने यह है कि आपको समाजवाद की परिभाषा नहीं आती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप इस तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं। इधर बैठने वाले सब आत्मा से समाजवाद लाना चाहते हैं। आपकी तरफ से...

श्री बालकृष्ण कौल : मजबूरी से वहां बैठे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : बिल्कुल। यह मजबूरी शनैः शनैः खत्म होती जा रही है। इसमें आप आने वाले हैं।

जिस समाजवाद के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको वेतन में समानता लानी चाहिये। जो समानता है उसका नाम समाजवाद है। आपके यहां पर एक आदमी का वेतन दो, ढाई हजार और तीन हजार है। और दूसरी तरफ एक आदमी का वेतन ४५) रु० है। समझ में नहीं आता, आप किस प्रकार का समाजवाद लाना चाहते हैं ?

दवाइयों का टैक्स लगा है उसका वजन उन लोगों पर पड़ा है जो गरीब हैं, जो सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, सरकारी नौकरियों में लोगों को सरकार द्वारा पेमेन्ट होता है। आपको भी मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते मिलता है। आप पर इसका वज़न पड़ने वाला नहीं। वजन पड़ेगा तो गरीब लोगों पर, शिड्यूल्ड कास्ट

(श्री जयनारायण सार्लोदिया)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर, मजदूरों पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन गरीब लोगों का इसी तरह से उत्थान करना चाहते हैं ? क्या आप उनका सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर इसी प्रकार से ऊंचा उठाना चाहते हैं ? मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि एक टैक्स आपने पहले कच्चे चमड़े और पक्के चमड़े पर लगाया था।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : आप आरंभ रखिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : चमड़े पर सरकार ने टैक्स लगाया और वह टैक्स भी एक ही चीज पर यानी कच्चे चमड़े पर दो प्रतिशत, उसके साथ उस चमड़े को पकवाने पर फिर दो प्रतिशत टैक्स. उसके बाद उसका सामान बन गया तो फिर दो प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से एक चीज पर आप ६ प्रतिशत टैक्स लगाते हैं और वह चीज उन लोगों के द्वारा उत्पादित की जाती है, जिनका आप उत्थान करना चाहते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि हरिजनों के लिये और अनुसूचित जन जातियों के लिये बहुत बड़ा बजट खर्च करते हैं इसलिये कि उनका उत्थान हो।

क्या यही उत्थान है ? आपकी उत्थान की क्या परिभाषा है ? एक तरफ तो आप उत्थान की बात कहते हैं, दूसरी तरफ जो उन लोगों का रोजगार है, जिसको आप करना पसंद नहीं करते उस रोजगार को वे लोग करते हैं, उनके उस रोजगार पर आपने ६ प्रतिशत टैक्स लगा कर इन लोगों पर आपने अत्यधिक भार डाल रखा है, इनके इस रोजगार पर ६ प्रतिशत टैक्स लगा कर आप इनके रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। फिर आपका कैसा समाजवाद है, आप आखिर किस तरह का इन लोगों का उत्थान करना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो अन्य काम करते हैं, उनके उन कामों पर भी आपने टैक्स लगा रखा है। एक तरफ टैक्स पर टैक्स लगा कर इनके धन्धों को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इनके नाम पर आप बजट में पैसा रखते हैं, वह खर्च नहीं करते। जैसा कि भैरोंसिंहजी ने बताया आंकड़ों से कि आज तक के आपके जितने बजट हैं, उनमें सबसे अधिक बचत यदि किसी में की है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, हरिजनों के लिये रखे गये बजट में बचत की है, और कोई मद बचत करने के लिये आपको नजर नहीं आया, इन गरीब और पिछड़े हुए लोगों के बजट में आपने बचत की है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस हुकूमत हरिजनों के लिये उत्थान का काम करती है।

मैं अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई काम करते हैं तो अपने फायदे के लिये काम करते हैं, आपने यह समाज कल्याण विभाग बना रखा है, वह भी आपने इस नियत से बना रखा है कि आपके, मामा, फूफा उसमें एम्प्लोय हो सकें, इस दृष्टि से नहीं कि हरिजनों का

(श्री जयनारायण सालोदिया)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स का इससे भला सोचेंगे। अभी १० मिनट पहले ही आपने आंकड़े सुने हैं, वे आंकड़े साफ बताते हैं कि आप कितने हरिजनों का भला चाहते हैं, कितना पिछड़े लोगों का उत्थान करना चाहते हैं। उन आंकड़ों से सभी को मालूम है कि आपके दिल में कितना दर्द है, हम लोगों के लिये समाज कल्याण विभाग अगर सक्रिय रूप से काम करता, हाउस में उसकी रिपोर्ट डिस्कस करने के लिये आती तो हमें मालूम होता कि समाज कल्याण विभाग हरिजनों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये यह कार्य कर रहा है, पर न तो समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड ही आती है और न कोई रिपोर्ट ही हाउस में डिस्कस करने के लिये आती है। तो हमें मालूम नहीं होता कि कितना रुपये हमारे लिये रखा गया और कितना खर्च हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप बचत करना चाहते हैं, तो उन डिमाण्ड्स में से बचत करिये, जिनके बजट में से बचत करने से उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। पर आपका यह विभाग समाज कल्याण विभाग नहीं, समाज बिगाड़ विभाग है, हरिजनों पर कुठाराघात करने वाला विभाग है, आपकी कथनी और करनी में फर्क लाने वाला विभाग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स की तरफ से विधान सभा में पर्सेन्टेज के हिसाब से काफी सदस्य आते हैं, पर मैं मानता हूं कि हमारी प्रगति इतनी नहीं हुई है कि आपकी हर बात पर, हर डिमाण्ड पर, हर बजट पर आपकी बात पकड़ कर हमारे हकों की बात रख सकें। दूसरे मैं यह भी बात मानता हूं कि हममें कोऑपरेशन नहीं है, अगर हममें कोऑपरेशन हो तो कोई मजाल नहीं है कि ४०-५० की संख्या में हम लोगों के यहां बैठते हुए भी जो बात आप चाहें वही चल सके और हमारे हकों को इस तरह से मारा जाय। पर आपने-अपने मतलब के लिये हम लोगों को डिवाइड कर रखा है हम लोगों के दो आदमी सुखाड़ियाजी के साथ लग रहे हैं, तीन आदमी कौल साहब के साथ लग रहे हैं, दो आदमी माथुर साहब के साथ लग रहे हैं तो एक आदमी कुंभारामजी, के साथ लग रहा है। इस तरह अपनी कुर्सियों को बरकरार रखने के लिये हम लोगों को आपके द्वारा डिवाइड करके रखा जाता है, हम हमारे हकों को जान कर उनके लिये मांग न कर सकें, इसलिये हमें आपने डिवाइड कर रखा है, हम लोगों को गाफिल रखा जाता है, नहीं तो कोई वजह नहीं कि हमारे ४० आदमियों के होते हुए भी आप हमारे हकों को इस प्रकार काटें।

मैं यह भी मानता हूं कि एक दिन वह जरूर आयेगा, जब हममें चेतना आयेगी, हम लोग संगठित हो जायेंगे, हम इस बात को भली प्रकार समझने लग जायेंगे कि कौन हमारा भला करने वाला है कौन हमारा बुरा करने वाला है, किस बात से हमें नुकसान होता है और किस बात से हमें नुकसान नहीं होता है, तो उस समय फिर आपकी दाल नहीं गलेगी।

Page No 105

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मैं यह भी मानता हूं कि आज मन्त्री-मण्डल में हमारा सही प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले के मन्त्रिमण्डल में हमारे ढाई आदमी रहते थे और आज हमारे डेढ़ आदमी हैं और वह भी आपने ऐसे आदमियों को ले रखा है जो निष्क्रिय है, जो आपकी चिलम भरते हैं, आपकी हां में हां मिलाते हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व करना स्वीकार नहीं करते, ऐसे आदमियों को लेते हैं। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल में जब तक हमारे अच्छे मंत्री या अच्छे उपमंत्री नहीं होंगे, तब तक हमारी मागें स्वीकार नहीं होने वाली है। इसलिये मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मंत्रि मण्डल में हमारा प्रतिनिधित्व स्ट्रोंग होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : नाम बता दो!

श्री हरिराम घारू (सिवाना) : श्रीमान् उपाध्यक्षजी, अबार इसी टेम हमारे हरिजन सदस्य ने समाज कल्याण विभाग के ऊपर हमारी गवर्नमेंट की आलोचना की है, यह उनको नहीं करना चाहिये उनको मालूम नहीं है, होगा तो भी मान कर कहते हैं। गये साल तो समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में २५ लड़के एक छात्रावास में पढ़ते थे, सरकार ने २५ की जगह ४० लड़के किये, १५ लड़के और बढ़ा दिये......

श्री जयनारायण सालोदिया : और इससे सारे राजस्थान की प्रगति हो गई।

श्री हरिराम घारू : ४० लड़के होने से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की काफी उन्नति हुई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब आपका ही नम्बर आने वाला है।

श्री हरिराम घारू : हम तो सरकार के आभारी हैं और इस तरह से हमारा काम होता रहेगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यह ठीक नहीं है कि करते हुए कार्यों में कोई घोखेबाजी करें या सरकार पर झूठे आरोप लगावें। उससे हमारी प्रगति होने वाली नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार ने छात्रवृत्तियों में भी बढ़ोतरी की है

बस इतना ही मैं अर्ज करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : मैं तो राज्य के मन्त्री महोदय का भाषण सुनने आया था। हमारे तो पक्के मन्त्री आप ही हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल!

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (मकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कौनसा विधेयक है 'कालाबादलजी' ?

Page No 106

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में भी समाज कल्याण विभाग के बारे में एक भी लाइन नहीं लिखी गई और न वित्त मन्त्री द्वारा दिये गये भाषण में कुछ कहा गया कि समाज कल्याश विभाग द्वारा आदिवासी या शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भलाई का यह काम करेंगे, अगले आने वाले वर्ष में। यह मेरे समझ में नहीं आया।

हमारी सरकार ने वैसे विकास तो किया है। १३ साल में राजस्थान सरकार ने साढ़े तीन करोड़ रुपया इस समाज कल्याण विभाग पर खर्च किया है। पर देखना चाहिए था राजस्थान सरकार को कि राजस्थान सरकार समाज कल्याण द्वारा इस पैसे को. जो हमारे लिये खर्च कर रही है उसका सही उपयोग भी हुआ है कि नहीं ? सरकार की योजना बहुत अच्छी थी, जो बेचारे वनों में रहते थे, उनको जमीनें मिलें, रहने को मकान मिलें, खाने को भोजन मिले, पहिनने को कपड़ा मिले, उनके बच्चों को शिक्षा मिले। योजना में तो कमी नहीं पर जिस विभाग को योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी दी, शुरू शुरू में तो उस विभाग ने प्रगति दिखाई, पर फिर न मालूम उस विभाग पर क्यों बहुत ज्यादा वजन पड़ गया, क्या आफत आ पड़ी जिसके कारण अपना काम दूसरे विभागों को दे दिया ? कुछ फंड तो पंचायत समितियों को दे दिया, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, बैलों की तकाबी नहीं दी, छात्रवृत्ति के फार्म पहले सबको भेजते थे, पर अब आदिवासियों के बच्चों को यह भी पता नहीं लगा कि फॉर्म कहां से मगायें।

शिक्षा विभाग ने फॉर्म्स भेजे नहीं और आखिर में शिक्षा विभाग ने कह दिया कि समाज कल्याण विभाग ने हमको फंड्स अलॉट कर दिए हैं और बाकी छात्रवृत्ति के फॉर्म्स समाज कल्याण विभाग ही देगा। तो कई लड़के बिना फॉर्म रह गए, ८-८ आने एक एक लड़के ने फॉर्म को टाइप करने में खर्च किया और छात्रों ने फॉर्म भर कर समाज कल्याण को भेज दिये, मगर वह समाज कल्याण विभाग ने शिक्षा विभाग को नहीं भेजे। तो इस तरह हजारों फॉर्म्स समाज कल्याण विभाग में पड़े रह गये, आज तक उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई।

कई कॉलोनियां बनाई गई। मेरे क्षेत्र में जिस कोलोनी का उद्घाटन भूतपूर्व-समाज कल्याण मंत्री, श्री धारीवाल ने किया। वह कण्व कुंज भील कॉलोनी है। ५०,५००) रु० की स्वीकृति थी। इसकी शिला उसी समय के भूतपूर्व मंत्री ने लगाई थी, उस शिला का पता नहीं। पता नहीं उस कोलोनी का क्या हुआ. हमको खुश करने के लिए कह दिया कि तुम्हारे यहां भील कोलोनी की रकम मन्जूर हो गई, लेकिन आज तक एक भी पत्थर नहीं लगा। उस रकम का क्या हुआ ?

हमारे आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि एक तो इस विभाग का डाइरेक्टर ६-६ महीने में बदलता रहता है और मंत्री भी बदलते रहते हैं और यहां हाउस में जब समाज कल्याण विभाग की डिमान्ड चल रही है तो हमारे मंत्री भी यहां पर मौजूद नहीं है।

छबड़ा में एक कंजर कोलोनी बनाई गई थी। दो हजार रुपये सामान मंगाने में

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

खर्च हो गये; जैसे फावड़ा, गेंती, तगारी, इत्यादि। उनका भी पता नहीं कि कहां गये। और एक दूसरी कालोनी भी उसके पास में बनाई गई, उसको देखा जाय तो कोई भी बस्ती आबाद नहीं हुई। बीच की दीवार है जिस पर टीन खड़े कर दिए थे, उनका भी पता नहीं, यह सही है कि हमारी सरकार हमारी उन्नति के लिए करोड़ों रुपये आदिवासियों पर खर्च करती है, लेकिन फिर भी सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं। रकम मन्जूर करने के बाद सरकार इस बात को नहीं देखती कि वह रकम कैसे खर्च की जाती है? नतीजा यह हुआ कि जगह जगह धन का दुरुपयोग हुआ। इधर हमारे कोटा के पास एक लखावा कोलोनी बनाई गई। उस कोलोनी में छतें नहीं हैं, मकान ढह गये हैं और दीवारें खड़ी है, लोग वहां टट्टी करते हैं। अगर मंत्री महोदय वहां जाते तो आदिवासियों को प्रोत्साहन मिलता और उनको ज्ञान मिलता, लेकिन मंत्री महोदय का कभी उस ओर ध्यान नहीं गया।

जब हमारे यहां चुनाव आते हैं, उन दिनों हम लोग भी उनके पास पहुच जाते हैं और फिर उन आदिवासियों को नई योजना की बात बता कर खुश करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। जब भारत सरकार हम पर खर्च करती है और धन देती है, पर राज्य सरकार उसको भी खर्च नहीं करती है। हम लोगों को ऐसे लोगों के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए जो इस दिये हुए धन का दुरुपयोग करें सरकार को सोचना चाहिए, इस बात के लिए। सहकारी समितियां बना कर उनमें दूसरे लोग ज्यादा घुस गए, जिनके कारण गबन बहुत होते हैं जिसकी कोई जांच नहीं हो पाती।

इधर मैंने छात्रावासों का प्रश्न भी उठाया था कि छात्रों को समय पर कपड़ा नहीं मिलता, समय पर किताबें नहीं मिलतीं, साल साल भर बिना किताबों के गुजर जाता है और जब वे फेल हो जाते है तो इन्होंने कानून बना रखा है कि उनको अगले साल छात्रावास में दाखिल नहीं किया जायगा। तो जिसके पास किताबें नहीं हों वह तो फेल होगा ही तो यह सोचने लायक बात है। विभाग गलती करे, और दंड छात्रों को !

दूसरी बात मुझे सिफारिशों के बारे में कहनी है, ये सिफारिशें अच्छी नही होतीं। मगर यहां तो छुट्टी भी सरकारी कर्मचारी को सिफारिश से मिलती है, नौकरी तो सिफारिश से मिलती ही है। लेकिन छुट्टी के लिए भी सिफारिश चाहिए। मेरे पास दिन में १०० आदमी आते हैं, वे कहते है कि बहिन की शादी है उसके लिए ऑफिसर तीन दिन की भी छुट्टी नही मन्जूर करता। मेरी सिफारिश कर दो तो मुझे छुट्टी मिल जाए।

सरकार को हम पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर यह सरकार हमारी योजनाओं पर खर्च होने वाली धन-राशि को सही तरीके से खर्च करती और दुरुपयोग न होने देती; फिर तो हमें इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। कई योजनाएं

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

समय समय पर बनीं, कभी मेड़बंदी का आंदोलन हुआ, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चला, कहीं से गाडोलिया लोहारों और कहीं से कंजरों को ले आए, वह भी ठप्प हो गई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला और योजना पर लाखों का धन खर्च हो गया इस तरह से आकाशवाणी का प्रोग्राम बनाया, बड़ा धन खर्च हुआ। उन प्रोग्रामों को भी बंद कर दिया। तो पहले से ही सोच-समझ कर योजना बनानी चाहिए थी और योजना पर सोच-समझ कर खर्च किया होता।

सरकारी नौकरी की हालत यह है कि हमारे यहां रात–दिन सरकारी नौकरी के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं; कहते हैं कि फलानी जगह सिफारिश कर दो। उधर मंत्री लोग जनता में भाषण देते हैं जहां एम० एल० ए० भी बैठे रहते हैं कि हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है; मगर क्या सिफारिश करना भ्रष्टाचार नहीं है? इस तरह से वे मंत्री लोग जनता के बीच में आकर कहते हैं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि हमें मजबूर करते हैं कि फलानी नौकरी दे दो। हम तो कहते हैं कि जिसका अधिकार है उसको स्वतः ही नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों हमें मजबूर होना पड़े किसी मंत्री के पास जाने को कि इसको नौकरी दे दो, छुट्टी दे दो। तो इस सिफारिश की व्यवस्था को बदलना चाहिए।

श्री डूंगाराम रारिजोया (जमवा–रामगढ़): हमारी तो चलती भी नहीं है, वे तो मनमानी करते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': जहां तक तनख्वाह का सवाल है, बड़े ऑफिसर्स को बिना मांगे दी गई और छोटे कर्मचारियों ने हड़तालें भी कीं तो भी इनको कम दिया गया। कानून बनाते हैं, छोटे कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में नहीं भेजे, लेकिन एक एक साल में ६–६ दफा ट्रांस्फर होता है; किसी का झालावाड़ तो किसी का चूरू में। नतीजा यह होता है कि उसकी काम में भी तबीयत नहीं लगती। फिर एम० एल० एज़० को भी परेशान करते हैं और उनके घर वालों को भी करते हैं कि हमने एम० एल० ए० को वोट दिये हैं। एम० एल० ए० को मजबूर होकर मंत्रीजी के पास जाना पड़ता है। मंत्रीजी कहते हैं कि ये सिफारिश करने आ जाते हैं। योजना ऐसी होनी चाहिए कि न सिफारिश करनी पड़े और न सरकारी कर्मचारी परेशान हों। वह बेचारा वहां जावेगा। भत्ता भी लगेगा सरकार को।

(४ म. प.)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपका मतलब यह है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला होना ही नहीं चाहिए?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': छोटे कर्मचारियों को दूर क्यों भेजा जाय? शिकायतें हों तो कहीं पर उनको रख कर के उनकी जांच की जाय। शिकायत कोई करे और तबादला कर दिया। एक घर का बिच्छू दूसरे घर में डाल दिया, यह कहां की नीति है? शिकायत आयी तो वहीं उसकी

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जांच की जानी चाहिए। और छोटे २ अधिकारियों को अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रखना चाहिए, ताकि छोटे कर्मचारी परेशान न हों। बेचारों के कई चूल्हे हो जाते हैं। वहां का वहीं रखा जायगा तो, सरकार को भी कम खर्चा होगा। आज हमारे पास सिफारिशें करने का काम रह गया है। केबिनेट के माननीय सदस्यों को चाहिए कि हमारे ऊपर भी महरबानी रखें क्योंकि हमको मजबूर हो कर सिफारिशें करनी पड़ती हैं। इसलिए सिफारिशें नहीं करें, ऐसी स्वतः ही कोई योजना होनी चाहिए।

पिछड़े लोगों की सर्विस के बारे में कहना चाहता हूं। सर्विस के लिए सरकार ने जो अनुपात रख रखा है, उस अनुपात में हमारे लोगों को सर्विस नहीं मिल पायी है। आचार्य साहब ने कह दिया कि पुलिस में इतने रख लिए, उन्होंने वहां क्या कह दिया, यह अखबारों में पड़ कर ही रह गया। आचार्य साहब तो हमेशा उपेक्षा करते रहते हैं हम लोगों की।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आचार्य साहब पुलिस में करते हैं, शिक्षा में नहीं करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): आपके लिए नहीं हैं, उनके लिए है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': आचार्य साहब उदयपुर से आये हैं। देखा जाय तो उनको उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। दूसरे मंत्रियों के बनिस्वत आचार्य साहब को महरबानी रखनी चाहिए। क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में वहां के भील, नानकजी भील, प्रेमचन्दजी, बीराजी आदि····

श्री निरंजननाथ आचार्य: पन्नाजी, लालजी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': ये जो आजादी की लड़ाई में काम करने वाले आदिवासी हैं, उन बेचारों की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। दूसरे ४७ के बाद काम करने वालों के स्मारक बन गये, लेकिन आजादी के उन दीवानों को जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जो आजादी की लड़ाई में मर-खप गये, उनकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन शहीदों की ओर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नानकजी भील वह थे जिनको भरी सभा के अन्दर एस. पी. ने गोली से मार दिया था, उनका राजस्थान में स्मारक होना चाहिये; उस ओर ध्यान देना चाहिये राजस्थान सरकार को। उपाध्यक्ष महोदय, नानकजी भील पढ़ा-लिखा नहीं था, लेकिन बड़ा आजादी का दीवाना था, वह आजादी के लिये मर मिटा। मैं समझता हूं कि ऐसे आजादी के दीवानों के लिए, ऐसे शहीदों के लिए राजस्थान सरकार को कोई न कोई स्मारक जरूर बनाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ कि यदि समाज कल्याण पर होने वाले खर्च को, अपने घर

Page No 110

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

की सम्हाल के तौर पर खर्च करेंगे तो आप कुछ कर सकोगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानधातासिंह।

श्री मानधातासिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि मौजूदा राजस्थान सरकार जो है. वह रूल ऑफ लॉ कायम रखने में समर्थ नहीं रही है। मौजूदा राजस्थान सरकार की नीति रूल ऑफ लॉ कायम रखने की नहीं है, इस कारण मैं इसकी नीति का समर्थन नहीं कर सकता।

जब राजस्थान बना, जितने देशी राज्य थे....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : (गण-पूर्ति के पश्चात्) Yes.

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्रवाद के अन्दर रूल ऑफ लॉ एक आवश्यक चीज है। पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के लिये यह आवश्यक है कि रूल ऑफ लॉ सरकार कायम रखे। जब राजस्थान सरकार बनी, उस समय यहां पर आई. सी. एस. चीफ सेक्रेटरीज थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में कई सर्क्युलर्स जारी किये और जब तक आई. सी. एस. चीफ सेक्रेटरी रहे, राजस्थान में किसी हद तक रूल ऑफ लॉ कायम रहा, लेकिन जब से आई. सी. एस. चीफ सेक्रेटरी यहां से हटे और लोकल चीफ सेक्रेटरीज यहां रहने लगे तब से बजाय रूल ऑफ लॉ के रूल ऑफ फोर्स स्थापित हुआ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Rule of force means ?

श्री मानधातासिंह : पुलिस राज्य।

इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि मजिस्ट्रेट्स हैड ऑफ दी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन हैं। अब जो सरकारी सर्क्युलर्स हैं और रेगुलेशन्स हैं इस सम्बन्ध में 'दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज दी हैड ऑफ दी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट'; परन्तु इस समय केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट रह गया है। असली पॉवर्स पुलिस के हाथ में हैं और मजिस्ट्रेट को कोई नहीं पूछता। एक मिसाल और सामने रखी जाती थी कि जैसे मनुष्य का शरीर है उसके अन्दर जो उसका सिर है, बुद्धि है वह मजिस्ट्रेट है और जो हाथ हैं वे पुलिस फोर्स हैं। जितना थिंकिंग है वह मजिस्ट्रेट ही करते थे। आज्ञायें मजिस्ट्रेट करते थे और एग्जीक्यूशन्स करना वह पुलिस फोर्स ही करती थी, यह उसका फर्ज था। तो इसके विपरीत आज यह देखते हैं कि मजिस्ट्रेट को कोई आज्ञा देने का मौका नहीं मिलता और पुलिस बेजा कार्यवाही करती है और अपनी बेजा कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को मोहर लगानी पड़ती है। इसमें मजिस्ट्रेट का दोष कम है, लेकिन राज्य सरकार का अधिक है, क्योंकि राज्य सरकार

(श्री मानधातासिंह)

पुलिस राज्य को फेवर करती है और उसको बढ़ावा देती है।

जब राजस्थान बना था उस समय जो, दूसरे राज्य थे; जैसे पंजाब, यू. पी. आदि वहां जो एस्टेबिलश्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां की कई बातें अपने यहां एडमिनिस्ट्रेशन में इनकोर्पोरेट करने के लिए सक्युलर्स जारी किये। इन सक्युलर्स के अन्दर एक यह भी था कि एस० पी० जो है वह वक्तन फ-वक्तन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलते रहें। क्राइम सिचुएशन की रिपोर्ट करता रहे। इसी प्रकार डी वाई० एस० पी० और एस० पी० भी मजिस्ट्रेट से मिलता रहे, क्राइम सिच्युएशन के बारे में रिपोर्ट देता रहे। एस० एच० ओ० का फर्ज था कि वह अपने इलाके की क्राइम रिपोर्ट एस० डी० एम० को बाकायदा दिया करता था। आज कल यह देखा जाता है कि एस० पी० डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं मानता। इसी तरह से डी वाई० एस० पी० और एस० पी० यह समझते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट के पास चले जायेंगे तो तोहीन हो जायगी।

पहले के सक्युलर्स के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एस० पी० की सी० आर० लिखा करते थे, टी० ए० बिल्स पास करते थे। एस० डी० एम०, डी वाई० एस० पी० के टी० ए० बिल पास करते थे और सी० आर० लिखते थे, इससे उनका कुछ जोर पुलिस फोर्स पर रहता था। अब यह कानून गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब यह आवश्यक नहीं कि एस० पी० की सी० आर० डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखे। कोई अंकुश उन पर नहीं रहा; मनमानी करते है, मजिस्ट्रेट की पर्वाह नहीं करते।

मैंने तो यहां तक देखा है कि अदालतों के अन्दर आजकल पुलिस अफसर जाते है, बिना युनिफॉर्म के जाते हैं। एक समय था पुलिस ऑफिसर बगैर युनिफॉर्म के मजिस्ट्रेट के सामने जाना कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता था, अब तो यह मामूली चीज हो गई है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : ऑन ड्यूटी तो युनीफॉर्म में ही जाते हैं।

श्री मानधातासिंह : आजकल मजिस्ट्रेट ही ऐसे होते हैं जो यह नहीं जानते कि क्या प्रोसीजर है। आजकल मजिस्ट्रेट जो नये आर० ए० एस० होते हैं, जो विकास अधिकारी की जगह पोस्ट किये हुए होते हैं उनको लगाया जाता है। विकास अधिकारी की तौर पर पोलिटीशियन्स के नीचे रहते हैं, प्रधान के नीचे रहते हैं, वहां उनको हर प्रकार की जा-बेजा कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिये आर० ए० एस० ऑफिसर में जुडिशियल बैक ग्राउन्ड नहीं होता।

श्री हुकमसिंह (जैसलमेर) : जा-बेजा कार्यवाही करना कौन सिखाते हैं ?

श्री मानधातासिंह : आप ही लोग सिखाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप मिलते हैं तो मुंह बन्द करके बैठ जाते हैं क्या ?

श्री हुकमसिंह : आप लोगों के भी तो प्रधान हैं।

श्री मानधातासिंह : नये आर० ए० एस० को मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है, जुडिशियल बेन्ट ऑफ माइंड हो जाता है आगे चल कर वह जुडिशियल माइन्ड से दे सकता था। लेकिन आज-कल विकास अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त करते हैं, ताकि वे जुडिशियल तरीका नहीं सीख सकें।

एस० एच० ओ० का तबादला होता है; नियमानुसार कलेक्टर की स्वीकृति से होना चाहिये लेकिन आजकल कोई एस० पी० उनसे नहीं पूछता, थानेदार का मर्जी के मुताबिक तबादला कर देता है; जितने भी सक्यूंलर्स हैं, इस सम्बन्धी सबकी अवहेलना की जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज ऊपर बैठाया जाता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सलाह नहीं लेता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कौन से थानेदार की बगैर कलेक्टर की आज्ञा के तबादला किया गया, वह बतलाइये और आप कौन से थानेदार को करवाना चाहते थे जो नहीं किया गया?

श्री मानधातासिंह : मैं तो किसी को नहीं चाहता था। मेरा जो एक्सपीरियन्स है वह मैं बताना चाहता हूं। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था तब का मेरा अनुभव है। कभी भी थानेदार के तबादले के लिये एस० पी० कलेक्टर को नहीं पूछता था।

हाल ही के अन्दर मेरे पास रिपोर्ट आयी है सांकड़ा क्षेत्र की, जो जैसलमेर जिले में है। वहां आर्टिलरी रेन्ज गवर्नमेंट कायम कर रही है। सांकड़ा प्रदेश बैकवर्ड कहलाता है, वहां पर अधिकतर राजपूत रहते हैं। वे बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं। वे लोग ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ हैं, इसलिये वहां पर आर्टिलरी रेन्ज कायम करने का सरकार विचार करती है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जैसलमेर से जो प्रतिनिधि जनता की तरफ से भेजा गया है वह कांग्रेस का प्रतिनिधि है, जो आपके सामने बैठे हैं।

श्री हुकमसिंह : आपके पास सुबूत क्या है?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप ही हैं सुबूत।

श्री हुकमसिंह : मैं तो कांग्रेसी हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : हैं आप एन्टी-कांग्रेसी।

श्री मानधातासिंह : जैसलमेर में साल भर रहा हूं, वहां की स्थिति मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सांकड़ा इलाका अच्छी तरह से देखा है। वहां पिछड़े हुए लोग हैं। वहां पर आर्टिलरी रेन्ज कायम करना चाहती है यह सरकार, जब कि हजारों मील का डेजर्ट पड़ा हुआ है जहां आबादी नहीं है, उसको आबाद न करके जो आबाद है उसको उजाड़ा जा रहा है ताकि वे लोग बेघरबार हो जावें। इस तरह की जो पक्षपात पूर्ण नीति सरकार

(श्री मानधातासिंह)

अपनाती है उस प्रदेश के बारे में जहां से एम० एल० ए० कांग्रेस के चुनकर नहीं आते हैं उसके भी एक-दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री हुकमसिंह : सांकड़ा के बारे में माननीय सदस्य ने फर्माया। मैं उस इलाके से चुनकर आया हूं। कांग्रेसी हूं, वहां पक्षपातपूर्ण नीति कहां से रही? सांकड़ा तो व्यासजी का प्रिय इलाका था।

श्री जयनारायण मालोदिया : आप ही वे कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं जिन्होंने बांमियों की जमीन जुतवाई थी अपने ट्रेक्टर से?

श्री मानधातासिंह : किस प्रकार कांग्रेस सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति रहती है, उसके मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जहां से कांग्रेस प्रतिनिधि हार जाता है वहां के विकास कार्य और वहां की जनता को राहत पहुंचाने के कार्य बिल्कुल बन्द कर दिये जाते हैं। मैं इस बारे में मेरा इलाके सवाई माधोपुर का जिक्र करना चाहता हूं। इस इलाके में ८ में से पांच प्रतिनिधि विरोधी पक्ष के हैं; यानी अधिकतर कांग्रेस के विरोधी हैं। इस कारण उस इलाके को अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है। सवाई माधोपुर में हॉस्पीटल की सेक्शन चालू साल में हो गई थी, पचास बेडस का होस्पीटल चालू होने को था, लेकिन वह कायम नहीं हो रहा है। इस तरह से उस इलाके की उपेक्षा बरती जा रही है।

इसी तरह से महुआ के अन्दर जब मेरा इलेक्शन हुआ था उस जमाने में बिजली लगाने का आश्वासन दिया गया था, उसके लिए स्कीम सेंक्शन हुई थी। १५ रोज तक विद्युत् मंत्री वहां पड़े रहे, हर प्रकार के आश्वासन देते रहे, वहां के लोगों को दो महीने में बिजली लगाने का आश्वासन दिया। पर नहीं लगाई आज दिन तक। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से जीत जाता तो लगा देते। बल्कि यह किया है कि जहां बिजली के खम्भे इलेक्शन के वक्त ले आये थे वे भी वापिस उठा कर ले गये केवल इस लिए कि वहां के लोगों को यह सबक देना है कि तुमने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं नहीं दिया। और इसी वजह से कांग्रेस वहां कोई विकास कार्य नहीं कर सकती, जहां से वे न आये हों।

पानी की स्कीम भी इसी तरह खटाई में पड़ी है। यहां तक कि वहां के तहसीलदार के खिलाफ कई शिकायतें वहां की जनता ने की, उसकी जांच विजिलेन्स कमीशन ने करवाई और उसके तबादले के लिए राजस्व मंडल को लिखा, पर आज तक उनका तबादला नहीं हुआ क्योंकि उन गरीब लोगों को रिप्रेजेन्ट करने वाला कोई कांग्रेसी नहीं है। होता तो फोरन उनका तबादला हो हो जाता।

कांग्रेस के विरोध में जितने लोग आये हैं, उनके एरिया में सब जगह यही हालत है। ऐसी पक्षपातपूर्ण नीति कांग्रेस को अपनानी नहीं चाहिए। कांग्रेस का यह ध्येय हो कि विकास कार्य वहीं किये जावें जहां से कांग्रेसी आवें; तो यह सरासर

(श्री मानधातासिंह)

गलत है, जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के विपरीत है। कांग्रेस के ध्येय के अनुसार तो किसी क्षेत्र से भले ही विरोधी भी एम. एल. ए. बन कर आये तो उसके प्रदेश में भी उन्नति के उतने ही कार्य होने चाहिये जितने उस क्षेत्र में जिसमें से कांग्रेसी एम-एल. ए. जीत कर आते हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उदयपुर डिविजन में अधिकतर लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वहां खेती के लिए उनके पास उपयुक्त जमीन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : किस जगह पर ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : उदयपुर में। मैं उदयपुर का हूं। जितनी थोड़ी सी जमीन उनके पास है, उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। वहां पर खेती की जमीन की बिक्री की व्यवस्था की जाय, ताकि उसमें लोग कुए खोदकर और थोड़ी जमीन में अनाज पैदा करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

दूसरी बात यह है कि समाज कल्याण विभाग से कुछ समय पहले अनुदान की रकम कुएं खोदने के लिए दी गई थी, वह रकम किसी को २५०, किसी को ५०० की दी गई। परन्तु बहुत से कुएं अधूरे पड़े हैं, क्योंकि इतने से रुपयों में कुएं नहीं खोदे जा सकते उस एरिया में। वहां एक कुएं में तीन हजार लगते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार अधिक रकम दे ताकि लोग अपने कुओं को पूरा कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि उदयपुर डिविजन में अधिकतर लोगों के पास कम जमीन होने के कारण पुलिस विभाग में और दूसरे विभागों में जाकर नौकरी करते हैं खैरवाड़ा; M. B. C. पुलिस में उनको धोलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, जैसलमेर एरिया में भेजे जाते हैं, लेकिन उनको वेतन कम मिलने से उसके बालबच्चों का, परिवार के लोगों का पालन-पोषण ठीक तौर से नहीं कर सकते हैं और जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए आने-जाने के लिए भी सुविधा नहीं है। जो आदिवासी इन नौकरियों में हैं उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय, ताकि आगे जाकर वे ठीक तौर से अपने बालबच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

कुछ साथियों ने पहले कहा था समाज कल्याण विभाग के बारे में। समाज कल्याण विभाग ने जहां सर्विसेज़ में आदिवासी लड़के जाते है नौकरियों में, उनको नहीं लिया जाता है। यह बात ठीक नहीं है। उनको नौकरियों में नहीं लिया जाता, यह मानी हुई बात है।

पहले तो १२॥ परसेन्ट लेने का सरकार ने निर्णय किया था। पर वे फर्स्ट डिविजन के लड़के मांगते हैं। यदि ऐसा होता तो १२॥

(श्री देवेन्द्रकुमार)

परसेन्ट मुकर्रर करने की जरूरत नहीं थी। वैसे ही आगे बढ़ते। वे पूरे नहीं पढ़ पाते। धन का अभाव होने से वे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। नवमी क्लास का लड़का आगे धनाभाव से नहीं पढ़ने से सर्विस के बारे में मारा मारा फिरता है। तो सबसे पहले पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे उदयपुर डिविज़न में जंगल बहुत है। वन में आदिवासियों की वेन कोऑपरेटिव सोसायटी बनी होती। वन विभाग की ओर से उन आदिवासियों को ठेका न देकर जो अच्छे अच्छे ठेकेदार हैं उनको ठेके देते हैं। कारण आप समझते हैं कि ठेकेदार वैसे रुपये देकर हाथ लम्बे करता है, पर उन गरीब आदिवासियों के पास तो रुपयों से हाथ लम्बे करने की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से पक्षपात सरकार की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से नहीं होना चाहिए क्योंकि वे आदीवासी आपके वन की रक्षा करते हैं। वे जंगलों में रहते हैं। पर आज जो शहरों में रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं अहमदाबाद-बेम्बई में रहते हैं वे ठेकेदार आकर लकड़ी काट कर ले जाते हैं। यह हमारे लिये अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी कारण हमारे उधर तीन चार कोऑपरेटिव सोसायटियां बनी, वे फेल हो गई। वन ठका परशाद, नेनबारा, जेकड़ा आदि सहकार समितियां बनीं वे फेल हो गई। पैसे वाले आगे आ जाते हैं और गरीब आदिवासी हैं उनके लिए वन विभाग के कर्मकारियों की निगाह कमजोर हो जाती है और ठेकेदारों को ठेका देते हैं, जिनमें दोनों तरफ वन विभाग के अधिकारी फायदा उठा लेते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां पर आदिवासी वन ठेका सहकारी समिति बनी है सबसे पहले उनको ठेका दिया जाय।

और मैं यह भी सरकार से निवेदन करूं कि आदिवासी जो होता है उसका ठेका भी उनको दिया जावे। हम वन की रक्षा करते हैं, ठेकेदार फायदा उठाते हैं; यह ठीक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ पशुपालन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहाड़ी इलाका होने के कारण हमारे यहां पशुओं की संख्या भी बहुत है और वहां पर इतनी शिक्षा तो है नहीं कि वह नई सोसाइटी की माफिक काम कर सकें। गवर्नमेंट की ओर से ऐसी व्यवस्था की जाये कि वहां पर अच्छे सांडों को रखा जाये और भेड़ों को भी उन्नत किया जाये, ताकि उनको फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। गंगापुर में नगरपालिका है, उसके अन्दर समाज-कल्याण विभाग की ओर से कोलोनी के बारे में कुछ नहीं किया गया। वहां पर २५ हरिजनों के मकान है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): गंगापुर कौनसा?

श्री देवेन्द्रकुमार: भीलवाड़ा में।

मेरा क्षेत्र है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर २५ मकान हरिजनों के ऐसे

(श्री देवेन्द्र कुमार)

हैं जो कि टूटे फूटे हैं । समाज कल्याण विभाग के अधिकारी चित्तौड़गढ़ गये थे उनको मकान दिखा दिये हैं और आज तक उन मकानों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसकी व्यवस्था करें । इन हरिजनों के मकानों में बारिश बरसने के कारण कीचड़ होता है और उससे बाल-बच्चों को पीडित होना पड़ता है । मैंने उप-मंत्री जी से निवेदन भी किया था कि आप इसके बारे में जल्दी व्यवस्था करावें ताकि वे लोग सुखी रह सकें । खैर, सुखी तो वे तब हो सकेंगे, जब कि उनको पूरी तरह से शिक्षा मिले । तो यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए ।

बस, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विनियोग विधेयक वित्त मंत्री महोदय ने रखा है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो १ अरब ६१ करोड़ १ लाख ६३ हजार का बजट सदन में आया और राजस्थान के सभी वर्गों को इस बजट का फायदा मिलता है और इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, उसको इस बजट से कुछ फायदा ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए जो कि उसको नहीं हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है वह अपने आपको जनतंत्रीय सरकार कहती है, लेकिन जनतंत्र को बनाने का मूल उद्देश्य जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है, जैसा कहते आये हैं सामन्तशाही जमाने में उनको कुचला गया, उसी रूप को लेकर जनतंत्र बनाया गया है और जनतंत्र में भी उस वर्ग को किसी प्रकार का फायदा उपलब्ध नहीं है और वह गवर्नमेन्ट और गवर्नमेन्ट के चलाने वाले जब तक सही माने में यह नहीं सोचेंगे कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं और यह सरकार बनाई है, यह जो जनतंत्र बनाया है, उसका क्या उद्देश्य है और हमें क्या करना चाहिए ? व्यक्ति जो कि पिछड़ा हुआ है, उसको भी समानता का अवसर मिले और वह भी कम से कम अपना जीवन-निर्वाह कर पाये और यदि वह कोई उद्योग करना चाहता है तो जो भी सुविधायें मिलनी चाहिए वे मिलें, तब तो यह सरकार चल सकती है । लेकिन यह जो सरकार है इसकी नीति बिल्कुल गलत है और जैसी देश में पहले की परम्परा चली आ रही है और जो ऊंच नीच का भेद-भाव है, यह देश को रसातल में ले जाने वाली बात है । वाकई मैं सही कह रहा हूं । सही इसलिए कह रहा हूं कि आप में से वह भावना नहीं निकली है और नहीं निकलने का एक ही कारण है कि आप इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाये हो । १७ साल में दूसरे देशों को देखो कि कितनी प्रगति उन्होंने की है और आज के भारतवर्ष ने कितनी प्रगति की है ? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा वह दूसरे का काम नहीं कर

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सकता। ईमानदारी और बेईमानी दोनों को एक साथ स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक गवर्नमेन्ट की नीति ऐसी नहीं होगी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको सहूलियत नहीं पहुचायेंगे, तब तक यह सरकार चलने वाला मामला बिल्कुल गलत है। इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह रुपया खर्च किया जाता है वह पिछड़े वर्ग पर भी खर्च किया जाये। जैसे उद्योगों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस वर्ग को पहले से ही सारी सुविधायें उपलब्ध हैं, उसी को आप पनपा रहे हैं और छोटे लोगों को उद्योगों में या और किसी काम में या जैसे आप लोन देते हैं, उसमें आप प्रोत्साहन नहीं देते। जब तक आप उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक उन लोगों का उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उद्योगों के लिए जो कोटा आप निर्धारित करते हैं उसका भी उन्हीं लोगों को फायदा होता है जिनको नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भी ऐसा कोई धंधा दिया जाये जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और वे दूसरे उद्योग खोलने की कोशिश करें। खाली जुबानी जमा-खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे, मैं निवेदन करूंगा कि जो सुविधायें इन पिछड़े लोगों को दी हैं, वे भी आप उपलब्ध करायें। इसके अलावा जो श्रम सोसाइटीज आपने कायम की हैं इनको जब तक आप पैसा देकर आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि जो ठेका मिलता है वह केवल २५–३० हजार का ही मिलते हैं। इसके आगे के ठेके पी० डब्ल्यू० डी० नहीं देती है, इसलिए गवर्नमेन्ट को चाहिए कि उनको कुछ तो रुपया दे और कुछ गवर्नमेन्ट ऐसी मदद करे कि बड़ा ठेका उनको मिले, ताकि श्रम सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तभी नीचे का तबका ऊपर आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप बस्तियां बसाते हैं। मकानों के लिए लोन दिया जाता है। सारा जयपुर जो १५ सालों में बसा है उसमें किसी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आपने प्लॉट या क्वार्टर दिया है? यह कोई नीति है। यह हठधर्मी की नीति है। आज पहले से जयपुर तिगुना बस गया और उनको आपने एक भी प्लॉट नहीं दिया। एक तरफ तो झोंपड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ महल खड़े कर रखे हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप तो महल वालों के साथ ही लगे हुए हो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह उनकी नीति नहीं है। आप यह गलत मान कर चलते हैं। इस चीज को आप बराबर कहते हैं, यह गलत है। आप कहते हैं कि राजा-महाराजाओं के साथ बैठे हुए हैं तो हमारे यहां से तो आपके पास ज्यादा बैठे हैं। हम यहां जो बैठे हैं, जनता द्वारा चुन कर आये हैं। आप चाहते हैं तो

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हटाइये उनको जो गवर्नमेन्ट के साथ में है । दूसरी नीति जो आपकी यह है कि विधान सभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य यहां चुनकर आये हैं वे ४५-४६ के करीब है; आप उनका कोई भी काम नहीं करते और जिन क्षेत्रों से वे चुनकर आये हैं उन क्षेत्रों की तरफ आप ध्यान नहीं देते तो यह गलत नीति है। इसलिए सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए । तो मैं कहना चाहता था कि जयपुर इतना बड़ा शहर हो गया उसमें इस वर्ग को एक-दो क्वार्टर भी नहीं मिले थे। जोधपुर में भी आपने उनको अलग बस्तियों में डाल दिया है; ये हरिजन हैं, हम ब्राह्मण हैं उनकी कोलोनीज अलग बना दी हैं। जयपुर में भी आपने चमारों की कालोनी अलग बनाई है। यह नीति अच्छी नहीं है । नीचे के तबके वालों को जब तक आप साथ लेकर नहीं चलोगे तब तक उनकी उन्नति नहीं हो सकती ।

श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : आपने कभी जयपुर देखा है ? कितना हार्उसिग लोन मिला है और कितनों को अनुदान मिला है, आपने कभी देखा है ? सैकड़ों का तो मैंने उद्घाटन कर दिया ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने सब देखा है। क्या हुआ, किसी एक को दे दिया तो उससे सबकी समस्या तो हल नहीं होती ।

श्री हरिराम घारू : मैंने सैकड़ों का उद्घाटन कर दिया । हार्उसिग लोन मिला है और अनुदान मिलता है। महतरों को रुपये मिलते हैं और हर साल गवर्नमेंट ५ लाख रुपये दे रही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मैंने आपकी पूरी बस्ती देखी है। जहां पर हाउसिंग लोन मिला है उसमें सूअर घुसते है। उन मकानों में सूअर रहते हैं ।

श्री हरिराम घारू : समाज के लिए ५ लाख रुपये बांटती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उस बस्ती के मकानों में सूअर बैठते हैं उन ७५०) रुपये के मकानों में, मैं देख कर आया हूं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह कांग्रेस सरकार की नीति है। मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह आपकी नीति है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ रियायत नहीं बरतता, केवल एक अमृतलाल यादव का बंगला बन गया है तो क्या औरों के भी बन गये ? कहने को बहुत कहते हो, पर होता कुछ भी नहीं ...

श्री हरिराम घारू : अरे भाई ! ५ लाख रुपया बंटता है हर साल शिड्यूल्ड कास्ट में। मकान सहायता गवर्नमेंट फ्री देती है । और बिजली फ्री लगाती है और नल फ्री लगाती हैं। कुएं खोदने के लिए ५००-५०० रु० अनुदान देती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ५ लाख देती है और ५० लाख रुपये वसूल करती

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है । ५ लाख रुपये देती है तो गवर्नमेंट हम पर अहसान करती है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप जो हरिजन कुर्सियों पर बैठे हैं तो इस तरह से भला नहीं हो सकता है ।

श्री हरिराम चारू : आपको मालूम नहीं है कि हमको राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रिजर्व्ड सीट दी है एम० पी०, एम० एल० एज० की, वह हमारा बड़ा भाग है, और पंचायतों में जो कोआॅप्ट करके मेम्बर लेतो है जिसमें सैकड़ों मील और हरिजन आये है, यह आपको मालूम नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप महसूस करते हैं...

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था और इन बातों को गवर्नमेंट खुद समझती है कि पिछड़े वर्ग को अभी कुछ नहीं किया है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो व्यक्ति समझते हुए कुछ नहीं करते कोई गलत काम करता है तो उसके बराबर दोषी नहीं है । कोई नहीं समझते हुए काम कर जाये तो उसमें उतना दोष नहीं होता है । गवर्नमेंट समझती है कि जो जो सहूलियतें पिछड़े वर्ग को दी गई हैं और हम नहीं दे पाये हैं इस बारे में गवर्नमेंट को ध्यान है । गलत काम करती है और देख कर करती है तो वह इतना बड़ा जुल्म गरीबों पर अत्याचार है वह किसी सूरत में गरीब बरदास्त नहीं कर सकता । जितना कि रिश्तेदारों या जाति के हिसाब मे यह सरकार फायदा उठवा रही है अपने लोगों को यह प्रथा गलत है । आने वाले समय के लिए भी देखा जावे तो आप लोगों के लिए भी बहुत खराब है । मैं केवल आपको यह कहना चाहता हूं कि जो नीति १५ साल से जो हिन्दी को नहीं अपनाने की रही है और उसमें गलत नीति से हजारों आदमी मर गये और परेशान हो गये, यही नीति शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल ट्राइब्स के बारे में बरती जा रही है । आप इस गलत नीति को १५–१६ साल से लगातार चला रहे हैं और उससे देश को फायदा नहीं हो पाया है । तो भूखा वर्ग क्या करेगा बटके भरने के सिवाय । इसका नतीजा क्या होगा कि इस देश के ऊपर उसका गलत असर होगा । वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि कल की कल देखी आहिस्ता से जायेगी....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है । आप जल्दी से कह रहे हैं । अगर मुझे समझना है तो आहिस्ता से कहिये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने तो यह शब्द कहे थे कि कल के बारे में सोचें तो आपने कहा कि कल का कल देखा जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां हैं, और आने वाली जो हमारी सन्तान है उसको और हमारे देश को शक्तिशाली बनाना है तो....

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कब कहा कि कल का कल देखा जायेगा ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने कहा था, शायद आप भूल गये ।

श्री वालकृष्ण कौल : शायद मेरी रूड ने कहा होगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यहीं सदन में कहा है आपने । आप इस बात का ख्याल दिल में देकर चलें कि ५ साल के लिए आप कुर्सियों पर बैठे हैं तो अपना फायदा उठा लें और दुनियां जहन्नुम में जाये । यह जनतन्त्र की परम्परा नहीं है । कोई भी मन्त्री यहां बैठा हुआ है उसको यह नहीं सोचना चाहिए ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सब प्रजातंत्र की देन है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उसे सोचें कि क्या हो सकता है और जो आने वाला समय है उसमें क्या हो सकता है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य से यह कह दूं कि आज जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वे यहीं समझ जायें कि किस कारण यहां बैठे हैं, और जिस जमाने में यह रहते । और जिस वातावरण में यह रहते थे कोई ख्याल ही नहीं कर सकता था कि इतनी हिम्मत करेंगे कि यहां बोल सकें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, मैं आपको बताऊं कि जयपुर रियासत में हमारे यहां रिजर्वेशन था । आपका राज्य तो बाद में आया है और उसमें जयपुर के ललिताप्रसादजी इनकी तरह के मेम्बर थे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हम तो बैठे ही हैं, लेकिन आप भी यहां कांग्रेस की गवर्नमेंट में जितने बैठे हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बूते पर बैठे है ।

श्री बालकृष्ण कौल : हम तो इनके कृतज्ञ हैं, उनकी यहां बात नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि ये जितने अधिकार उनको दिये गये हैं, बराबर का जो दर्जा दिया गया है किसी और दुनिया ने नहीं दिया है सिवाय कांग्रेस गवर्नमेंट के, यह बात आप समझ लें ।

श्री हरिराम धारू : भूतपूर्व राजा साहब जिनके कि पर्सनल नौकर हैं उन्होंने कितने हरिजनों को नौकरी में लिया है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यदि आप चाहें तो आपको नौकर रखवा सकता हूं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : भूल मालूम करा देते हैं उसके ऊपर भी सोचते हैं कि गलती नहीं होती है तो सोचने की चीज है ।

श्री हरिराम धारू : हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छुआछूत का कानून है वह सरकार ने बड़ा भारी काम किया है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह जनतन्त्र नहीं बनता; तो आप लोगों को बोलने की इजाजत कहां से मिलती ? मैं कहूंगा कि आजादी की लड़ाई में पिछड़े वर्ग ने ही योग

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दिया, उस वक्त आप कहां थे ? यह भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महरबानी थी कि गांधीजी इनको साथ लेकर चले और आजादी मिली ।

श्री बालकृष्ण कौल : आप इतिहास से वाकिफ नहीं है। आपने सिर्फ गांधीजी का नाम सुना है और हिज़ मास्टर्स वोइस की तरह जो जी में आता है कहते हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसलिए मैं कहता हूं कि गांधीजी के इशारे पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ ने बलिदान किया है ।

श्री बालकृष्ण कौल : इतिहास तो मुझे खबर है राजस्थान का ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इतिहास ही तो देखा है । गांधीजी खुद लिखते हैं और उन्हीं के जरिये पता लगता है कि अगर सरकार गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलें तो मेरे ख्याल से किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले को ऐसा दुख के साथ कहने का अवसर नहीं मिलता जो कि आज मैं कह रहा हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो नीति है वह गलत नीति है । जैसा कि हमारे नेता, भैरोंसिंहजी जनसंघ के नेता ने कहा कि जितना पिछड़े-वर्ग को बजट में प्रावधान रखा है कितना कम है और वह भी खर्च न करके बचा लिया जाता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं जल्दी खत्म कर देता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि जितने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के लोग हैं जिनके लिये छोटे छोटे धंधे लगाने की कोशिश करनी चाहिये । आपने एक नीति यह लगा रखी है कि जब तक शिड्यूल ट्राइब और शिडयूल कास्ट के लोग हैं वे सोसाइटी कायम नहीं करते तब तक उनको पैसा नहीं मिलता । आप दूसरों को लाखों रुपये देते हैं तो इन छोटे लोगों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये । बड़े बड़े लोगों को देने की आपकी नीति है और छोटे लोगों को नहीं देने की, है, यह गलत है । उनको भी उद्योग में प्रोत्साहन देना चाहिये । गवर्नमेन्ट को भी कुछ उद्योगों में हैल्प करनी चाहिये । जब तक उनको किसी रूप में प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक इन बैकवर्ड लोगों का उत्थान होने वाला नहीं है ।

शराब के लिए यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो यह शराब से होने वाली आमदनी का व्यापार बना रखा है, यह गलत नीति है । सरकार ने शराब को आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा बना रखा है यह गलत है । यह उन लोगों को रसातल में ले जाने वाली है । जो पिछड़ा वर्ग है । सरकार ठेकेदारों से कह रही है कि इतना शराब नहीं बेचोगे तो तुमको ठेका नहीं मिलेगा और ठेका कैंसिल कर देंगे । शराब पीने वाला पिछड़ा वर्ग ही है जो मामूली पैसा कमाते हैं उन

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

पर सरकार जुल्म कर रही है । यह नीति गलत है । इस चीज को बिल्कुल खत्म किया जाय और राजस्थान गवर्नमेंट शराब के बजाय और कोई आमदनी का जरिया खोजे ।

एक बात मैं और कहूंगा चमड़े के लिये । मैंने दो-तीन बार आपसे कहा है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि चमड़े पर जो टैक्स लगा रखा है वह बिल्कुल गलत है । मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूँगा कि इस पर से टैक्स बिल्कुल हटा दिया जाय । इसकी आमदनी देखी जाय तो बहुत कम है और दिल्ली जाते समय रास्ते में सरकारी लोग परेशान करते हैं । आमदनी कोई खास है नहीं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तीन जगह टैक्स लेते हैं कच्चे पर, पक्के पर और फिर सामान पर, यह तीनों जगह का टैक्स हटना चाहिये । जब तक आप इस बारे में नहीं सोचेंगे तब तक चमड़े का काम करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप सारा समय लेना चाहते है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल ; चलने दीजिये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पिछड़े क्षेत्र में स्कूलों, निर्माण कार्यों, औषधालयों की सुविधाएं जिन क्षेत्रों में नहीमिली हैं वहां पर भी मिलनी चाहिये । उनमें से जमुवा रामगढ़ क्षेत्र भी है जो मेरी कॉस्टिट्यूएन्सी है, उसमें मैं देखता हूं कि अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जिससे लोगों को फायदा हो सके, पंचायत समिति के जरिये कुछ काम हुआ है वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है । घटवाड़ी, भानपुर, अंधी रानीजी का खवा में स्कूलों के लिये भवन भी तैयार हुए हैं फिर भी स्कूल नहीं खोले जाते, इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपके पास कुछ बोलने को नहीं है तो वक्त क्यों खराब करते हैं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : बोलने को गयी बरसात जयपुर में बाढ़ आई उससे काश्तकारों के खेत बर्बाद हो गये । दूसरे बरसात से पहले लाल डूंगरी नले का प्रबन्ध नहीं किया तो यह वार्ड नं० २४ रसातल में चला जायगा, इसलिये इस पर भी ध्यान देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री देवीलाल स) : ५ मिनिट में जो समाप्त कर सकें वे बोलें ।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । उदयपुर जिले में तहसील सराड़ा और तहसील खेरवाड़ा इन दो तहसीलों के अलावा भी सलूम्बर तहसील और है जिसमें इस वर्ष वर्षा के अभाव में काफी गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त सरकार ने यह घोषणा अब तक नही की है कि किन किन गांवों में अकाल पड़ा है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): फेमिन की डिबेट तो हो गई ।

श्री उपाध्यक्ष : ये नये फेमिन के विषय में बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस सब्जेक्ट के विषय में डिबेट हो गई उस पर दुबारा नहीं बोल सकते। रूल्स के अन्तर्गत आप कोई रास्ता दिखा दीजिये।

श्री देवीलाल मीणा : पहाड़ी भूमि होने की वजह से एक फसल वर्षा के पानी से पैदा होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो कांग्रेस सदस्य की जानकारी है कि रेवेन्यू का मामला फेमिन में आता है।

श्री देवीलाल मीणा : वहां पर मक्का की फसल हुई वह भी कहीं पर चार आना हुई और कहीं पर आठ आना हुई; इस तरह मक्का की फसल हुई। उनमें से आज बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको मजदूरी के लिये मारे मारे फिरना पड़ता है। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम अकाल-ग्रस्त गांव हैं उनमें रिलीफ कार्य खोलने चाहिये। मुझे बड़ा खेद है कि उन लोगों को आज तक रिलीफ कार्य नहीं मिलने से व्यापारियों के यहां अनाज उधार लेने जाते हैं तो उनको व्यापारी उधार नहीं देते हैं और यदि देते भी हैं तो दुगुने-तिगुने पर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर रिलीफ कार्य चालू किये जायं।

दूसरी मेरी यह अर्ज है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य के बारे में मैं बजट के समय बोला नहीं था, इसलिये सार्वजनिक निर्माण कार्यों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान सराड़ा तहसील की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बड़ोदड़ा गांव से तहसील हैड क्वार्टर सराड़ा पर जाने के लिये सड़क है, उसको करीब ८ साल हो गये। आज तक वहां पर कंकरीट नहीं हो पाई; दो मील चल कर बन्द हो जाती है। बजट में पैसा होते हुए भी खर्च नहीं होता है। खेजड़ गांव के पास में नदी का पुल नहीं होने से वर्षा में तकलीफ होती है। सराड़ा तहसील हैड क्वार्टर में नाला है वहां भी तकलीफ होती है। यह सड़क उदयपुर से आने वाली सड़क पर है। डांबर रोड तहसील लेवल पर तो होनी ही चाहिये, लेकिन निर्माण विभाग ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। सराड़ा से सोमारी व कुण्डा तक सड़क है। वहां पर भी यातायात के साधन चल नहीं सकते हैं। वह बहुत खराब सड़क है। माननीय मन्त्रीजी को लिख कर दे चुका हूं कि इसको योजना में लेकर कम से कम ग्रेवल रोड का निर्माण तो किया जाना चाहिये, लेकिन आज तक कार्य नहीं हुआ है; इसलिये राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उस सड़क को योजना में लेकर निर्माण किया जावे।

(५ म० प०)

तीसरी सड़क है जो डींगरी रेल्वे स्टेशन से सलूम्बर तक जाती है। यह काफी महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन होने वाला है। यह सड़क जो है यह सलूम्बर से रेल्वे स्टेशन डींगरी पर आयेगी, इसलिए इस सड़क को योजना में लिया जाकर बनाया जाय। यह

(श्री देवीलाल मीणा)

दोनों तहसीलों को फायदा पहुँचाने वाली सड़क है। इससे काश्तकार अपना कच्चा-पक्का माल लेकर स्टेशन तक आयेंगे और काफी लोगों को फायदा मिलेगा।

एक और सड़क है जो चावड़ा से सतकाना होती हुई सलूम्बर जाती है। इसके निर्माण कार्य के लिए भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ५ बज कर १ मिनट पर मंगलवार, दिनांक ३० मार्च, १९६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर देखिये)

तहसीलदार की अनुपस्थिति की वजह से तारीख पेशी बदले गये मुकदमों की सूची

तारीख पेशी	मुकदमों के नम्बर कुल
५-२-६४	७२
२१-६-६४	५०
२३-६-६४	४७
२४-६-६४	५२
५-१०-६४	७
६-११-६४	५२
१०-११-६४	५१
११-११-६५	५०
२६-११-६४	३४

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-सोमवार, दिनांक २९ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६२४५	१२	नागरिक	नागरिकों
६२४८ व			
६२४९	१७ व २६	रूंघ	रूंध
६२५०	अन्तिम से ६	मकता है।	सकता है।
,,	अन्तिम	ह ?	है ?
६२५१	अन्तिम से ४	१५	१५ दिन
६२५२	१	श्री परस।।	श्री परसराम
६२५५	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	८	मालपरा	मालपुरा
६२५७	२०	मैं	में
,,	२२	विधान	विधान्
६२५९	अन्तिम से ३	परिबर्तित	परिवर्तित
,,	अन्तिम	बदल के	बदलने के
६२६१	शीर्षक	तारांकि	तारांकित प्रश्नोत्तर [६२६१
,,	अन्तिम से २	घनराशि की शर्त क्या	धनराशि की शर्त क्यों
६२६६	शीर्ष	श्री रामप्र स	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
६२६९	८-९	कब करें जब कि	कब करें ? जबकि
,,	१०	करे।	कहे।
,,	१५	गया	कहा
६२७०	अन्तिम से ३	कायवाह। जल्द। हो	कार्यवाही जल्दी ही
,,	अन्तिम	न्कश्त करना नह	किश्त करना नहीं
६२७४	५	राठौर	राठौड़
६२७५	८	इसा	इसी।
६२७६	१५ व १८	श्री निरंजनाथ	श्री निरंजननाथ
६२७७	अन्तिम से ६	परपर्जेज	पर्वज़ेज़
६२७८	६	जब्बार	जब्बार
,,	२०	महारवल	महारावल
,,	२५	एज्जुकेशन	एजुकेशन

१	२	३	४
६२७९	३	श्री अब्दुलजब्बार खां	श्री अब्दुलजब्बार
६२८२	२२	अध्यापको	अध्यापकों
६२८३	३	अध्यापिका	अध्यापक
,,	५	मे	में
६२८५	२	पर्वेजेज़	पर्वेज़ेज
,,	अन्तिम से २	विलाड़ा	बिलाड़ा
६२८८	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
६२९१	शीर्षक	तरांकित	तारांकित
६२९२–९३	शीर्षक	२९ माच, ६५	२९ मार्च, ६५
६२९३	अन्तिम	वं ०९	व २०
६२९८	१९	दरसाती	बरसाती
६३००–१	शीर्षक	–६५	.६५—
६३००	११	पसा	पैसा
६३०२	११ व १८	ब	व
,,	१६	छात्राए	छात्राए
६३०३	१२	(१) ६१२.	६१२.
,,	२०	१९६५–६६ के	(१) १९६१–६२ के
६३०४	१७	कायों	कार्यों
६३०५	१४–१५	१९६५ ६६	१९६१–६२
६३०६	१	जी हां।	(२) जी हां।
६३०८	६	जा चके	जा चुके
६३११	१२	cornefed	cornered
,,	१६	मे	में
६३१३	२०	रिपोट	रिपोर्ट
,,	२१	न	ने
६३१५	शीर्षक	प्ररताव	प्रस्ताव
६३१६	,,	माच,	मार्च
६३२१	१८	माननी य	माननीय
६३२२	२५	मत्रीजी	मंत्रीजी

१	२	३	४
६३२४,			
६३२६,			
६३२८,			
६३३० व			ज्यादतियां
६३३२	शीर्षक	जादतियां	–
६३२५	अन्तिम से ५	Th is isnot	This is not
६३२६	१७	इसलिये में तब तक	इसलिये तब तक
६३२६	शीर्षक	सिचाई आदि एवं सहकारिता	सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव
,,	२०	ओर	और
६३३०	शीर्षक	२०–२७ मार्च, ६५	–२६ मार्च, ६५–
,,	६	कें	को
६३३१	१२	रहै हैं	रहे हैं
६३३३	२२	(सख्या २)	(संख्या २)
६३३७	२०	आघा	आधा
६३३६	स्कम्भ	६५३६	६३३६
,,	२२	वर्षो	वर्षों
६३४१	अन्तिम से ५	श्री मुरलीधर या.स	श्री मुरलीधर व्यास
६३४३	२७	अधिकासी	अधिकारी
६३४३ व			
६३४४	२६ व १६	राधेकान्त	राधेकान्त
६३४४	१५	तुलिस ने	पुलिस ने
६३४५	२४	जाच	जांच
६३४७	२४	fabrricate	fabricate
६३४८	१	श्री फूलच द	श्री फूलचन्द
६३५०	१३	thet able	the table
६३५१	६	to heve	to have
,,	१४	proce dure	procedure
६३५३	अन्तिम से ५	घटेंगीं बार बार वोलेंगे	घटेंगी, बार बार वोलेंगे
,,	,, ,, ३	श्री .	श्री .
६३२४	१२	मूद्दे	मुद्दे
,,	अन्तिम से ६	गर्व	गर्व

१	२	३	४
६३५५	२४	एप्रोप्रियेशन	एप्रोप्रियेशन
६३५७	८	श्री मुरलीधर ०यास	श्री मुरलीधर व्यास
६३५८	१	व्थास	व्यास
६३६०	अन्तिम से ७	लम्वे	लम्बे
६३६२	४	तवख्वाह	तनख्वाह
६३६३	१३	ग्राघार	आधार
६३६४	अन्तिम से ४	बयान में	ध्यान में
६३६६	अन्तिम	धंटी)	(घंटी)
६३६८	१६	जन-साघारए	जन-साधारण
६३६९	१६	ढग	ढंग
,,	अन्तिम से ४	अनट्रस्ड	अनट्रस्ड
६३७२	४	तव से	तब से
,,	२५	बताइये	बताइये
,,	२७	बा है,	बात है,
६३७३	१३	ग्राख	आंख
,,	१९	(निवाई)	(निवाई):
६३७४	६	श्रा सभापति	श्री सभापति
६३७५	६	द्रष्टिकोण	दृष्टिकोण
,,	२३	गण-पूत्ति)	गण-पूर्ति)
,,	अन्तिम से ३	श्री जयनाराग्रए	श्री जयनारायण
६३७६	अन्तिम से ४	धारणां	धारणा
६३७८	१०	ओर	और
,	२३	पचंवर्षीय	पंचवर्षीय
६३८० व			
६३८२	शीर्षक	२७ मार्च	२८ मार्च
६३८०	६	का, होगा	का होगा
६३८४	अन्तिम से ४	कर जा	कर जो
६३८५	शीर्षक	विधेयद	विधेयक
,,	१९	बाधों	बांधों
६३९२	अन्तिम	खच	खर्च
६३९६	शीर्षक	दाजस्थान	राजस्थान

१	२	३	४
६३९७	अन्तिम से ४	नोन-प्रौड	नोन-प्रोड-
६४००	१	सभापति	श्री सभापति
६४०४	शीर्षक	राजस्थ्यान	राजस्थान
,,	६	बुलेट्स	बुलवस
६४०५	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
६४०७	शीर्षक	१२६५	१९६५
६४१०	शीर्ष	(श्रो	(श्री
,,	अन्तिम से ८	था। पर	था पर
६४११	१२	आपन	आपने
,,	१४	इल्लीटरेसी	इल्लिटरेसी
,,	१७ - १८	इल्टिरेसी	इल्लिटरेसी
६४१२	१३	स्कॉलरशिप	स्कॉलरशिप
६४१४	२१	probolem	problem
६४१६	शीर्षक	राजस्थाज	राजस्थान
६४१७	,,	विधेयक	विधेयक
,,	९	एग्ज़ाइटी	एग्जाइटी
६४२०-२१	शीर्षक	माच	मार्च
६४२०	११	मंत्री हैं एक	मंत्री हैं, एक
,,	१२	मंत्री । ये	मंत्री; ये
,,	अन्तिम से ४ व अन्तिम	लास	लोस
६४२३, ६४२५ व ६४२७	शीर्षक	विधेयक	विधेयक, १९६५
६४२४	२०	ढग	ढग
६४३०	शीर्षक	राजस्थान	राजस्थान
६४३० व ६४३१	१६, १७, व ८,१३,१६, २० व २२	ऐडवर्टाज़इमेंट	एडवर्टाइज़मेंट
६४३२ व ६४३३	९ व २६, ३१	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह

(६)

१	२	३	४
६४४०	३	कुन्वेम्शन	कन्वेन्शन
६४४२	शीर्षक	यार्च,	मार्च,
६४४४	शीर्ष	सालोदिया)	सालोदिया)
६४४५	१३	सक्रेंगे	सकेंगे
६४४८ व	४, २६, २७,		
६४४६	२८, २६ व		
	८, २६	उत्थान	उत्थान
६४४६	स्कम्भ	[३४४६	[६४४६
६४५०	अन्तिम से ६	बाला	वाला
६४५१	६	हे।	है।
६४५२	६	निष्क्रिय	निष्क्रिय
६४५३ से			
६४५६ व			
६४६५ से			
६४६१	शीर्षक	संख्या (२) विधेयक, १६६५	(संख्या २) विधेयक, १६६५
६४५३	१०	घोखेबाजी	धोखेबाजी
,,	१४	बढोतरी	बढ़ोत्तरी
६४५८	२५	मजवूर	मजबूर
,,	अन्तिम से ३	रारिजोया	राजोरिया
६३५६	१८	वेचारा	बेचारा
६४६० व			
६४६२	शीर्षक	२७ मार्च,	२६ मार्च
६४६४	शीर्षक	२६ माच	२६ मार्च
,,	५	एडमिनिस्ट्रेशन	एडमिनिस्ट्रेशन
,,	२२	तोहीन	तौहीन
६४६७	१७	(निबाई):	(निवाई):
६४६८	अन्तिम से ५	सेक्शन	संक्शन
६४६६	१०	त्रिजली	बिजली
,,	१४-१५	नही नहीं दिया।	नहीं दिया।
६४७२	१२	वेन	वन

	२	३	४
७२	१३	होती ।	होती है ।
	२०	आदीवासी	आदिवासी
७४	२१	विधेयक	विधेयक
७६	अन्तिम से ३	उपलव्ध	उपलब्ध
७७	२०	झोपड़ियाँ	झोंपड़ियां
८०	१०	मेम्वर	मेम्बर
,,	११	मील	भील
६४८१	१८	आहिस्ता से जायेमी	जायेगी ...
,,	२४	शव्द	शब्द
६४८३	८	कि य जितने	कि ये जितने
,,	११	गवर्नमिट	गवर्नमेन्ट
,,	१३ व २२	धारू	धारू
६४८६	१४	करूगा	करूंगा
,,	२२	कौल;	कौल :
,,	२३	पिछढ़े	पिछड़े
६४८७	८	(नसीरावाय)	(नसीराबाद)
,,	१८	स)	से)
,,	अन्तिम से २	वाजार,	बाजार,
६४८८	४	सव्जेवट	सब्जेक्ट
६४८९	३	कार्यो	कार्यों
,,	१०	हुए	हुए
६४९०	३	आयेंगे	आयेंगे